राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 | चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 31 वां दिवस | संख्या 14

शुक्रवार,

दिनांक 2 जून, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.3 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, यातायात, गृह, विधि विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

सुल्ताना, जिला झुंझुनू में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

186. श्री मूलचन्द कटेवा : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सुल्ताना पंचायत समिति चिड़ावा जिला झुन्झुनू में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर किस दिन से प्रारम्भ हुआ ?

(2) इस प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में क्या क्या स्टाफ होना चाहिये और इस समय क्या क्या स्टाफ है ?

(3) क्या इस सेन्टर में आज तक डाक्टर रहा है ?

(4) अगर नहीं, तो क्यों और बिना डाक्टर के इसकी क्या उपयोगिता है ?

(5) झुन्झुनू जिले में ग्रामों में कौन-कौन सी ऐसी डिस्पेन्सरीज एवं हास्पिटल्स हैं जो इस सेन्टर के बाद बनी और जहां आज डाक्टर हैं ?

(6) सेन्टर जो पहले बना है और अधिक उपयोगी है उसमें डाक्टर नहीं और ऐसी डिस्पेन्सरियों में जो बाद में बनी हैं और उससे कम उपयोगी हैं वहां डाक्टर हैं, इसका क्या कारण हैं ?

(7) क्या राज्य सरकार इस सेन्टर में तुरन्त डाक्टर लगाने की व्यवस्था करेगी ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (1) यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिनांक 29 मई सन् 1960 से प्रारम्भ किया गया।

(2) इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नलिखित स्वीकृत स्टाफ है जो कार्य कर रहा है:—

क्रम संख्या	स्वीकृति पद	मोजूदा स्टाफ
1. चिकित्सक	1	1 प्रथम श्रेणी कम्पाउन्डर
2. कम्पाउन्डर श्रेणी	1	1
3. मिड वाइफ	4	3

(श्री दामोदरलाल व्यास)

4. लेडी हैल्थ विजिटर	1	रिक्त है
5. स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7	7

(3) जी नहीं।

(4) चूंकि राजस्थान में चिकित्सकों का अभाव है जिसके लिये राजस्थान सरकार ने जहां पर चिकित्सक की सेवा अनिवार्य है वहां के लिये प्रथम श्रेणी कम्पाउन्डर नियुक्त किये जाते हैं और वे चिकित्सक के अभाव को किसी हद तक पूर्ण करने में समर्थ होते हैं।

(5) झुन्झुनूं जिले में निम्नलिखित चिकित्सालय, डिस्पेन्सरियां एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलताना के बाद में खोले गये हैं।

क्रम संख्या	संस्थाओं के नाम	खोलने की तिथि
1	श्री दुर्गादेवी शिशु मातृ सदन चिड़ावा	25–9–61
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुहाना	25–1–63
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसरापुर	5–8–61
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मादरावास	14–12–64
5	डिस्पेन्सरी बबोई	2–2–67
6	डिस्पेन्सरी उदा मण्डी	11–2–61
7	डिस्पेन्सरी अडावता	5–3–67

(6) केवल डिस्पेन्सरी उदामण्डी ही है जहां चिकित्सक रहा है, अब नहीं है डाक्टरों के अभाव में यह स्थान रिक्त है। ज्योंही डाक्टर उपलब्ध होंगे वैसे ही नियुक्तियां कर दी जावेंगी।

(7) डाक्टर उपलब्ध होते ही नियुक्ति कर दी जावेगी।

श्री मूलचन्द कटेवा : क्या इस तरह की डिस्पेन्सरियां नहीं हैं जो सुलताना के बाद खुली हों और जहां डाक्टर की नियुक्तियां नहीं हुई हों ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया न। केवल उदा मण्डी है। अब वहां भी नहीं है।

श्री मूलचन्द कटेवा : जो 9 साल से चालू है वहां डाक्टर न हो तो क्या उपयोग है उसका ?

दामोदरलाल व्यास : फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर है जो करीब करीब डाक्टर की पूर्ति करता है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यह कम्पाउन्डर इन्जेक्शन का प्रयोग कर सकता है और लगा सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : मंत्री महोदय ने बताया कि जहां उपादेयता समझी वहां डाक्टर रख दिया जहां उपादेयता नहीं समझी वहां कम्पाउन्डर रख दिया तो इसका इस उपादेयता का क्राइटेरिया क्या है। कोई नियमानुसार क्राइटेरिया है या यों ही मरजी माफिक है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका क्राइटेरिया का मुकर्रर करना मुश्किल है। रोटे-

(श्री दामोदरलाल व्यास)
शाम से हरेक को केटर करने की कोशिश करते हैं। कभी इस डिस्पेन्सरी में दो साल डाक्टर रह गया तो उसे दो साल दूसरी में लगा दिया। यह है क्राईटेरिया।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : 9 वर्ष से निरन्तर यह हेल्थ सेन्टर का कार्य कर रहा है वहां डाक्टर अभी तक प्रोवाइड नहीं कर सके, पर दूसरे में वहां प्रोवाइड कर दिये हालांकि वे बाद में बने। अभाव है तो सब जगह होना चाहिये और प्रोवाइड रोटेशन से करते हैं तो यहां का नम्बर 9 साल में कभी तो आना चाहिये था।

श्री दामोदरलाल व्यास : रोटेशन से भेजने की कोशिश करते हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : 9 वर्ष में भी इसका रोटेशन नहीं आया इसका क्या कारण है?

श्री विजयसिंह रावत : जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि फर्स्ट ग्रेड कम्पाउण्डर इन्जेक्शन दे सकता है यह कतई निराधार और असत्य है क्योंकि फस्ट ग्रेड कम्पाउण्डर को पोइजन जैसे पेनिसिलन के इन्जेक्शन जिनमें सेन्सेशन होता है अगर किसी को अनुकूल न पड़े तो उसमें मृत्यु तक हो जाती है तो इसके लिये डाक्टर ही लगाने के लिये सर्टिफाइड होता है, उसी की गाइडेन्स में लगाया जा सकता है। फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर या नर्सिंग स्टाफ उसे देने और लगाने का अधिकारी नहीं है। यह वक्तव्य आपने गलत दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री ललितसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (डूंगरपुर) अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि यह आपकी जो व्यवस्था है कम्पाउन्डर को रखने की, उस बारे में भविष्य में कम से कम कोई न कोई योजना होनी चाहिये कि हेल्थ सेन्टर में अगर डाक्टर न मिले तो वे न खोलें। औषधालय खोल दें। और जब तक डाक्टरों की संख्या पर्याप्त न हो जावे तब तक न खोलें। इस तरह से खोलना यह कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। क्या इस बारे में सरकार ने सोचा है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विरोधी दल के नेता से जो बात कही, उससे सहमत हूं। मगर माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य स्वयं भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके खोलने के लिये कितना प्रेशर माननीय सदस्यों की ही तरफ से आता है या जनता की तरफ से आता है।

फिर इतने सालों का अनुभव फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर अगर इन्जेक्शन लगाता है तो कोई खतरा नहीं है। बल्कि यों कहना चाहिये कि नये डाक्टर से फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर को जनता अधिक प्रिफर करती है।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : राजस्थान में डाक्टरों की कितनी कमी है?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये अलग से नोटिस दीजिये।

श्री ओमदत्त भाटी : अब कम्पाउन्डर इन्जेक्शन स्वयं लगा सकता है, यह झूठ बात है, सुपरविजन डाक्टर का होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कम्पाउन्डर फर्स्ट ग्रेड का दे सकता है फिर डाक्टर नहीं हैं, इसलिये भी उनको भेजा जाता है।

श्री मूलचन्द (कटेवा) : अध्यक्ष महोदय इस जगह अब तो डाक्टर इतने अरसे बाद भेजा जावेगा। इसका आश्वासन तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

निम्बाहेड़ा बड़ी सादड़ी सड़क का निर्माण

187. श्री ललितसिंह : (बड़ी सादड़ी) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;

(1) निम्बाहेड़ा से बड़ी सादड़ी (जिला चित्तोड़गढ़) को सड़क के निर्माण कार्य की मंजूरी कब हुई थी और आज तक कितनी रकम इस पर व्यय हो चुकी है?

(2) इस कार्य के कब तक सम्पूर्ण होने की आशा है? क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा से बड़ी सादड़ी का सम्पर्क बारिश में भी रहना अति आवश्यक है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): (1) निम्बाहेड़ा से बड़ी सादड़ी रोड योजना में मन्जूर नहीं की गई है लेकिन बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी को मन्जूरी पहली योजना में थी प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा वाया छोटी सादड़ी की मन्जूरी दूसरी योजना काल में की गई है। दोनों सड़कों पर 11,68,843) रुपये खर्च हुए हैं।

(2) पुल और पुलियों को छोड़कर मेटल रोड पूरी कर दी गई है। धन की कमी की वजह से पुल व पुलियां का काम कब तक पूरा होगा नहीं कहा जा सकता।

श्री ललितसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि निम्बाहेड़ा से बड़ी सादड़ी पर 11 लाख रुपया खर्च हो चुका है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह टुकड़ा सिर्फ 20 मील का है और इसमें चार मील की टार रोड बन जाये और इसी हिसाब से हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने लाख रुपये खर्च होंगे। तो माननीय मंत्री महोदय बतायें कि कितना पैसा कैसे खर्च हुआ?

श्री अमीनुद्दीन : यह जो आपने 20 मील का टुकड़ा कहा है तो मैंने 2 सड़कों का जिक्र किया है। बड़ी सादड़ी और छोटी सादड़ी और दूसरी निम्बाहेड़ा से छोटी सादड़ी यह दो टुकड़े हैं। तो यह 20 मील का टुकड़ा नहीं है। यह 37 मील का टुकड़ा है।

श्री ललितसिंह : मेरा प्रश्न तो बड़ी सादड़ी से निम्बहेड़ा का है। इसमें छोटी सादड़ी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमीनुद्दीन : उसका अगर मालूम करना है तो वह भी .।। लाख का खर्चा हुआ है बड़ी सादड़ी और छोटी सादड़ी के बीच में

एक माननीय सदस्य : मेटल रोड कितनी बनी हुई है?

श्री अमीनुद्दीन : 4 मील मेटल रोड है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त।

बारां अस्पताल में महिला डाक्टर की कमी

188. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां अस्पताल में कितने बेड्स की व्यवस्था है और इसके अनुसार अस्पताल में कितने किस योग्यता के डाक्टर, लेडी डाक्टर व अन्य कर्मचारी होने चाहिए?

(श्री देवीदत्त गाडिया)

(2) बारां अस्पताल में महिला डाक्टर कितने वर्षों से नहीं है और किस कारण से ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा के पी० एम० ओ० ने संचालक चिकित्सा विभाग को यह लिखकर भेजा है कि बारां अस्पताल में 50 या 60 बेड्स की व्यवस्था करने की स्वीकृति दी जाये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या यह सही है कि अस्पताल में एक डाक्टर महिला डाक्टर के स्थान पर एक लम्बे समय से नियुक्त है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की हुई है ?

(5) बारां अस्पताल में किस योग्यता के डाक्टर होने चाहिए और क्या उसी योग्यता के डाक्टर हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) बारां अस्पताल में इस समय 30 बेड्स राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं इसके अनुसार जो स्टाफ है वह निम्न प्रकार है :—

डाक्टर (सी. ए. एस.)	3
स्टाफ नर्स	1
मिडवाइफ	1
दाई	1
कम्पाउन्डर ग्रेड 2	2
कम्पोडर ग्रेड 3	5
टेक्नीशियन	1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10	10

(2) महिला डाक्टर के लिए कोई अलग से स्थान स्वीकृत नहीं है, राजस्थान में महिला डाक्टरों की अत्यन्त कमी के कारण महिला डाक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकी ।

(3) जी हां, धन के अभाव में यह प्रावधान नहीं हो सकता ।

(4) इस अस्पताल के लिए तीन डाक्टरों के स्थान स्वीकृत हैं और तीनों स्थानों पर डाक्टर कार्य कर रहे हैं केवल महिला डाक्टर के लिये अलग से कोई स्थान स्वीकृत नहीं है ।

(5) इस अस्पताल में तीन डाक्टर सी. ए. एस. हैं जो योग्यता प्राप्त हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या बारां अस्पताल में कोई सर्जिकल डाक्टर है ?

श्री दमोदरलाल व्यास : सर्जीकल और मेडीकल दोनों ही कार्य करते हैं डाक्टर्स ।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या बारां अस्पताल में रोगियों को लाने लेजाने के लिए कोई एम्बुलेन्स की व्यवस्था है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है । एम्बुलेन्स की मेरे पास सूचना नहीं है कि कहां कहां हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नथमल चोहला

सीकर-बीकानेर नेशनल हाईवे का निर्माण

189. श्री नथमल चोहला (लछमणगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सीकर से बीकानेर नेशनल हाई वे को विभिन्न शहरों से जोड़ने

Page No. 6

(श्री नथमल चोहला)
हेतु जो सड़क के निर्माण कार्य होने हैं उनके सम्पूर्ण होने से यातायात में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों को शीघ्र पूरा कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): जी हां, चौथी योजना काल में काम खत्म हो जायेगा।

श्री नथमल चोहला : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन सड़कों का काम कब चालू किया गया था और कब खत्म हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन : यह काम सन् 60 में शुरू हुआ था। मन्जूरी नेशनल हाईवे नं० 11 की सन् 60 में हुई और इसको दो टुकड़ों में लिया गया है और यह काम जैसा मैंने आपसे कहा, जल्दी ही सन् 1968-69 में खत्म हो जायेगा।

श्री नथमल चोहला : नेशनल हाई वे रोड़ सीकर से रतनगढ तक है उसमें शाहपुरा शहर वगैरह आता है उस नेशनल हाई वे में से टुकड़ा फट कर निकलता है। उसको चुनावों से पहले शुरू किया था और चुनावों से दो दिन पहले ही काम बंद कर दिया तो उसका काम कब तक पूरा होगा ?

श्री अमीनुद्दीन : यह हाईवे दो टुकड़ों में बनना शुरू हुआ था। जैसे सीकर से बीरमसर तक और दूसरा बीकानेर से डूंगरपुर तक। अब जो हिस्सा इसके बीच का है उसमें प्रोग्रेस चालू है।

श्री नथमल चोहला : जो हाईवे से फटकर टुकड़ा गया है उस पर काम चुनावों से कुछ दिन पहले शुरू हुआ था और चुनावों के दो दिन पहले खत्म हो गया और पत्थर बिछ गये। इससे बड़ी असुविधा होती है उसके लिए पूछ रहा हूं कि वह टुकड़ा कब पूरा होगा ?

श्री अमीनुद्दीन : नेशनल हाईवे नं० 11 का कोई ताल्लुक इलेक्शन के काम से नहीं है।

श्री नथमल चोहला : मैंने प्रश्न पूछा है कि नेशनल हाईवे से फटकर शहरों में टुकड़ा गया है और उस पर अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत काम हो रहा था।

श्री अमीनुद्दीन : यह प्रोग्रेस जिसकी है वह प्रोग्राम भी चल रहा है।

श्री नथमल चोहला : चुनाव से पहले इसका काम शुरू हुआ था और यहां यातायात में बड़ी असुविधा है और रात को यह बिल्कुल बन्द रहता है रास्ता। अब आगे बरसात आने वाली है और तो रात को बिल्कुल ही बन्द हो जायेगा यह रास्ता ?

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर) : ऑर्डर, ऑर्डर,

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था नेशनल हाईवे से जो फट कर सड़क गयी है वह कब तक पूरी हो जायेगी।

श्री अमीनुद्दीन : यह तो दूसरा सवाल हुआ।

अनेक माननीय सदस्य : सवाल तो वही है। लिंक रोड़ का सवाल है।

श्री ग्रमीनुद्दीन : सवाल तो यह है कि क्या यह सही है कि सीकर मे बीकानेर नेशनल हाईवे को विभिन्न शहरों से जोड़ने हेतु ।

कुछ माननीय सदस्य : तो लिंक रोड़ हुई ।

श्री ग्रमीनुद्दीन : इसके मुताल्लिक देखेंगे हम कि इस नेशनल हाईवे से कोई ताल्लुक है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : ग्राप 1968–69 में काम कर देंगे या नहीं ?

श्री ग्रमीनुद्दीन : लिंक रोड्स को ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जी हां ।

श्री ग्रमीनुद्दीन : लिंक रोड़ को नहीं कर सकेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : ग्राप समझ नहीं रहे हैं सवाल तो नेशनल हाईवे से कट कर ग्राने वाली सड़क के लिए है · · ·

श्री ग्रमीनुद्दीन : मैं समझ रहा हूं योर हाईनैस ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका (श्री ग्रमीनुद्दीन) : जो उत्तर है यह नेशनल हाईवे से संबंधित है ?

श्री ग्रमीनुद्दीन : यह मैंने जो उत्तर दिया इसमें थोड़ा सा यह फर्क रह गया ग्रध्यक्ष महोदय कि यह लिंक रोड्स का पूछ रहे हैं ।

श्री ग्रध्यक्ष : तो उसका उत्तर नहीं है ?

श्री ग्रमीनुद्दीन : इसमें नहीं है ।

श्री ग्रध्यक्ष : तो इसको मैं पोस्टपोन करता हूं ।

श्री ग्रमीनुद्दीन : मैं इसकी माफी मांगता हूं ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है । इस सदन के सामने एक प्रश्न पूछा जाता है ग्रौर माननीय ग्रध्यक्ष महोदय उस प्रश्न का उत्तर राज्य सरकार की ग्रोर से दिया जाता है ग्रौर यह ग्रपेक्षा की जाती है कि मंत्री महोदय उसका सही-सही उत्तर दें ग्रौर जो भी राज्य सरकार के माध्यम से उत्तर प्राप्त होता है वह सदन की जानकारी के लिए सदन के सम्मुख उत्तर प्रस्तुत कर दिया जाता है लेकिन वास्तव में जो प्रश्न है न तो उसका सही उत्तर राज्य सरकार समझती है ग्रौर न मंत्री महोदय समझने की कोशिश करते हैं

श्री ग्रध्यक्ष : मैं समझ गया ग्रापका पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ग्रौर इसलिए ही पोस्टपोन किया है ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री ग्रम्बालाल

ग्रजमेर पोलीटेकनिक के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रोजगार

190. श्री ग्रम्बालाल (ग्रजमेर पूर्व) के स्थान पर श्री भगवान दास शास्त्री (ग्रजमेर पश्चिम) द्वारा पूछा गया : क्या शिक्षा-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि ग्रजमेर पोलीटेकनिक से जितने विद्यार्थी प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होते हैं, उनमें से ग्रधिकांश को लम्बे ग्रर्से तक बेकार रहना पड़ता है ? यदि हां, तो इस विषम समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय सोचा गया है ?

(श्री अम्बालाल)

अब तक के उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा इस संख्या में से कितने उत्तीर्ण विद्यार्थी बेरोजगार हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (1) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(2) अब तक 499 विद्यार्थी पास हुए हैं। इसमें से कितने बेकार है इसकी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है :

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि संख्या का पता नहीं कि कितनों को सर्विस मिली और कितने बेरोजगार हैं तो इस सवाल को भी स्थगित कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित नहीं किया जाये। यह तो मैंने अपने विवेक से अनुमति दी है वर्ना स्वयं प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : सवाल यह है कि क्या यह सही है कि अजमेर पोलीटेकनिक से जितने विद्यार्थी प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होते हैं उनमें से अधिकांश को लम्बे अर्से तक बेकार रहना पड़ता है ? यदि हां, तो इस इस विषम समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय सोचा गया है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन करने का सवाल इसलिए नहीं आता कि आपने जो सवाल पूछा है उसका मैंने जवाब दिया है और उसके लिए सरकार के पास जानकारी नहीं है इसलिए यह कहता हूं कि न तो वहां के प्रिंसिपल के पास किसी ऐसे विद्यार्थी की चिट्ठी मौजूद है और न ही सरकार के पास किसी विद्यार्थी की चिट्ठी ही आई है कि उसे नौकरी नहीं मिली और ऐसी नौकरी के लिए पढ़ लिख कर काबिल हुए हैं उस किस्म की नौकरी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और राजस्थान कैनाल में खाली पड़ी हैं। हो सकता है कुछ लोग यह चाहते हों कि क्योंकि उन्होंने अजमेर पोलीटेकनिक से पढ़ाई की है इसलिए नौकरी उनको वहीं मिले तो यह सरकार के लिए मुश्किल है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि टेकनिकल डिप्लोमा प्राप्त किये हुए कितने विद्यार्थी हैं और कितनों को नौकरी नहीं मिली ? आज जहां कि देश को टेक्निकल हैंड्स की इतनी आवश्यकता है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है मंत्री महोदय इसको टालमटोल करना चाहते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : टालमटोल नहीं कर रहा हूं। आपने पूछा है कि कितने लोग बेकार हैं मैंने कहा कि सरकार के पास कोई चिट्ठी या दरख्वास्त नहीं आई कि वह बेकार हैं। दूसरे न प्रिन्सिपल के पास कोई चिट्ठी आई कि वह बेकार हैं, तीसरे डाइरेक्टर आफ टेक्निकल एजूकेशन के पास भी कोई चिट्ठी नहीं आई कि वह बेकार हैं।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, अगर चिट्ठियों के प्रमाण इस सदन में पेश कर दिए जांय कि अजमेर पोलीटेकनिक से जिन विद्यार्थियों ने पास किया है उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है और उन्होंने अप्रोच किया है, तो क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि उनके मामलों पर विचार करके उनको नौकरी दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : हाईपोथेटिकल क्वेश्चन नेक्स्ट ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि पोलीटेक्निक या दूसरे जो इंस्टीट्यूशन्स हैं इस प्रकार के जैसे आई. टी. आई. वगैरा जहां से विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर निकलते हैं, ये सारे नौकरियों पर लग गये हैं या नहीं और उनको उचित प्रकार की नौकरी मिल गई है या नहीं इस प्रकार का रिकार्ड मेंटेन करने के बारे में उचित व्यवस्था की जाय ।

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेंट आफ राजस्थान की तरफ से एक ऑफिसर नियुक्त कर इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई थी । उसका जिम्मा यह था कि इन लोगों को जो बेकार हैं, उनको नौकरी दिलाई जाय । सर्वे करने के बाद पता चला कि जो इस प्रकार के टेक्निकली ट्रेंड हैं उनके लिए जयपुर, कोटा और राजस्थान केनाल में जगहें खाली हैं और वे जब भी काम पर लगना चाहेंगे उनको नौकरी मिल जाएगी । अब कोई यह कहे कि मैं अजमेर में पढा हूं इसलिए अजमेर में ही नौकरी मिले तो यह नामुमकिन है ।

श्री विजयसिंह रावत : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो साइन्टिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं और डाक्टर्स हैं जो कि पास करके निकलते हैं उनका व्योरा सरकार के पास नहीं होता कि उनको नौकरी मिल गई या नहीं, इससे बड़े खेद की क्या बात हो सकती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं मंत्री महोदय से इतना जानना चाहता हूं कि आपका जो यह खयाल है कि जितने भी यहां इन्स्टीट्यूशन्स चल रहे हैं और राजस्थान के इन इंस्टीट्यूशन्स से उत्तीर्ण होकर जो विद्यार्थी निकल रहे हैं उन सब को नौकरी मिल गई है, यह गलत है । मैं आपको कहता हूं कि आज भी आई. टी. आई. और पोलीटेकनिक से निकले हुए विद्यार्थी बेकार घूम रहे हैं, अण्डर एम्पलोयमेंट हैं और यहां तक कि उनके लिए राजस्थान में कोई ग्रेड तक भी फिक्स नहीं है ।

श्री बरकतुल्ला खां : यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार के पास लिस्ट नहीं है । जो भी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते है उनको लिस्ट सरकार के पास है । जो आई. टी. आई. की बात कही गई तो इसका सम्बन्ध तो लेबर डिपार्टमेंट से है. इसे लेबर डिपार्टमेंट कण्ट्रोल करता है और पोलिटेकनिक को एजूकेशन डिपार्टमेंट कन्ट्रोल करता है । जहां तक पोलीटेकनिक का ताल्लुक है यह प्रिज्यूम किया जा सकता है कि जब दूसरी जगह इस क्वालिफिकेशन की खाली हैं और फिर भी उन जगहों पर लड़के अप्लाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि उनको नौकरी नहीं चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री अमीलाल ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, श्री अमीलाल

दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! माननीय सदस्य ऑर्डर रखें । मेरे पास कई प्रश्न हैं, बहुत से प्रश्न प्रतिदिन रह जाते हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप माननीय अध्यक्ष मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए।

(विपक्ष के ही कई माननीय सदस्य द्वारा हमारे बहुत से प्रश्न रह जाते हैं)

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : ये हर बार खड़े हो जाते हैं। हमारे भी प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य (श्री दुर्गालाल की मुखापेक्ष-जो अपना प्रश्न कहने के लिए खड़े हुए थे) मैं नेक्स्ट क्वश्चन ले चुका हूं। ऑर्डर, ऑर्डर!

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार फिर भी अपना प्रश्न कहने के लिए खड़े हुए थे)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। जब दूसरा प्रश्न लिया जा चुका है तो फिर ये पहले प्रश्न पर क्यों जोर दे रहे हैं।

अध्यक्ष : Yes Hon'ble Minister Please.

कुतीना–मोहनपुरा सड़क

191. श्री अमीलाल (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला अलवर, तहसील बहरोड़ में कुतीना से मोहनपुरा तक एप्रोच रोड स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो मिट्टी डालने का कार्य कब प्रारम्भ हुआ तथा क्या टेन्डर द्वारा यह कार्य प्रारम्भ कराया गया है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): जी हां। जनवरी 1967 से।

श्री अमीलाल : मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या काम शुरू हो चुका है।

श्री अमीनुद्दीन : इस साल के बजट में देखेंगे कि वह काम चालू हो जाय।

श्री अमीलाल : अभी चल रहा है या नहीं?

श्री अमीनुद्दीन : इस वक्त नहीं चल रहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार से एग्रीमेंट साइन हो चुका है।

श्री अमीनुद्दीन : क्या कहा?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा पूछना यह है कि इस सड़क के निर्माण का जो ठेका दिया गया है उसका एग्रीमेंट साइन हो चुका है?

श्री अमीनुद्दीन : जितना एग्रीमेंट हुआ था उतना वह काम कर चुका है?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अगर काम कर चुका है तो अब इस स्कीम के अन्दर कौन सा बाकी है। आपके कहने का क्या मतलब है कि सड़क सारी बन चुकी है?

श्री अमीनुद्दीन : जितने काम का ठेका दिया गया था उतना काम खतम कर दिया गया।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : यह ठेका कब दिया गया था और काम बन्द कब किया गया ?

श्री अमीनुद्दीन : यह तो मैं आपको बताता हूं कि ठेका कब दिया गया था। यह ठेका जनवरी में ही दिया गया था और उसी वक्त यह काम शुरू हुआ और इसके बाद खत्म हो गया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह बन्द कब हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन : जब पूरा काम खत्म हो गया।

श्री नत्थीसिंह : हम तो तारीख जानना चाहते हैं ?

श्री अमीनुद्दीन : तारीख तो मैं आपको बाद में दे दूंगा। तारीख आपने इसमें कहां पूछी थी ? अब आपने पूछी है तो मैं मालूम करके बता दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : फरवरी के अन्त तक काम बन्द कर दिया गया है। यह क्यों नहीं कहते कि चुनावों में ही शुरू किया और चुनावों के बाद बन्द कर दिया गया है। साफ बात को क्यों नहीं कहते हैं, छुपाते क्यों हैं ?

श्री अमीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो आप कहते हैं कि काम शुरू किया गया और वह खत्म भी कर दिया गया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केवल 15 रोज के लिए काम शुरू किया गया था और इसी तरह का एग्रीमेंट किया गया था। अगर एग्रीमेंट किया गया और टेंडर इन्वाइट किए गए तो मंत्री महोदय बतायें कि कितने दिनों के अन्दर टेंडर इन्वाइट किए गए और मैंने अपने प्रश्न में भी पूछा है कि यह टेंडर के द्वारा क्या काम छोड़ा गया है। यदि टेंडर के द्वारा छोड़ा गया तो कब और कौनसी तारीख को टेंडर इन्वाइट किए गए और कौन सी तारीख को फाइनल किए गए, इस सब का ब्यौरा देने की कृपा करेंगे।

श्री अमीनुद्दीन : यह कोंट्रेक्ट टेंडर के तहत में हुआ है। अब आप सही डेट मालूम करना चाहते हैं तो वह बता दूंगा।

श्री अमीलाल : यही तो पूछा था।

श्री अमीनुद्दीन : आपने यह पूछा कि यह काम टेंडर के द्वारा किया गया क्या, उसका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री अमीलाल : इसका सप्लीमेंटरी यह है कि कब टेंडर इन्वाइट किए और कब काम छोड़ा, दोनों का टाइम क्या है, किस डेट को फाइनल किए गए ?

श्री अमीनुद्दीन : यह सारी जो इन्फार्मेशन आप चाहते हैं तो मैं आपको दे दूंगा।

श्री अमीलाल : इस प्रश्न को पूछने का जो मकसद था .....

श्री अध्यक्ष : वह मैं समझ गया। आपके पास इन्फोर्मेशन नहीं है इस समय।

श्री जसराज (भिनाय) : इन्फोर्मेशन मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में आपको इन्फोर्मेशन दे देंगे।

श्री :रथीसिंह : चेम्बर में इन्फोर्मेशन देने का सवाल नहीं है! यहां हाउस के अन्दर इन्फोर्मेशन दी जाय ताकि पता तो चले कि इसमें इनकी नीयत क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री भगवानदास शास्त्री !

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, एक एक प्रश्न । क्या मंत्री महोदय उस एग्रीमेन्ट को सदन की मेज पर रख सकेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री अमीनद्दीन : इससे क्या फायदा ।

श्री अमीलाल : इस पर खर्चा कितना कर दिया गया है ?

श्री अमीनुद्दीन : इस पर खर्चा चार हजार रुपयों का हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री माधोसिंह ।

जोधपुर–जालोर सड़क का कार्य

193. श्री माधोसिंह (आहोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर–जालोर रोड को मेटल करने का जो काम आहोर से चालू हुआ उसे बन्द क्यों किया गया ?

(2) अगर बन्द नहीं किया गया तो मेटल पड़ा है और काम चालू क्यों नहीं किया जाता है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): 2-1/2 मील का ठेका श्रमिक ठेका सहकारी समिति जोधपुर को दिया गया था परन्तु काम समय से पूरा नहीं करने से ठेकेदार का ठेका एस. ई. जोधपुर ने रद्द कर काम मह-कराना शुरू कराया है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री माधोसिंह : यह काम बन्द कब से पड़ा है ?

श्री अमीनुद्दीन : इसके अन्दर मेटीरियल डाला जा रहा है और काम जल्दी ही हो जाने की उम्मीद है ।

श्री माधोसिंह : जब मेटीरियल डाला जा रहा है तो रोलर कब से चालू कर दिया जाएगा ।

श्री अमीनुद्दीन : जब मेटीरियल डाला जा चुका है तो जब जरूरत होगी तब रोलर भी चल जाएगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं० 192 रह गया है ।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न ले लूंगा । पहले यह प्रश्न मुझ से रह गया था ।

श्री हरलालसिंह खर्रा ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस सड़क का कार्य इसलिए शुरू किया गया था कि कांग्रेस के एम. एल. ए. उस क्षेत्र से चुनाव जीतना चाहते थे और जब चुनाव जीत गए तो उसके इलेक्शन के बाद में काम बन्द कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० । 192

माध्यमिक एवं हायर सेकण्ड्री स्कूल में परिवर्तन

192. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) —क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या श्री माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में किन्हीं प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने व माध्यमिक शालाओं को हायर सेकन्ड्री में परिवर्तित करने के लिए आगामी सत्र में प्राथमिकता दी जाने के आदेश प्रसारित हुए हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां के और क्या आने वाले सत्र से इनको परिवर्तित किया जावेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जी हां । नीचे लिखी प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को क्रमश: अपग्रेड करने में प्राथमिकता देने के आदेश इस शर्त पर दिये गये हैं कि जनता मकान का इन्तजाम सेशन शुरू होने के पहले कर देगी:—

(1) मिडिल स्कूल ग्राम गुडरो ।

(2) प्राइमरी स्कूल गांव हाथदिया हरदास का बास ।

(3) प्राइमरी स्कूल गांव लाखनी बावड़ी ।

(4) प्राइमरी स्कूल गांव पृथ्वीपुरा । इस साल इन स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इस साल इसके लिए बजट नहीं है ।

श्री हरलालसिंह खर्रा : अध्यक्ष महोदय, तो उस समय यह आदेश होने की क्या जरूरत थी ?

श्री बरकतुल्ला खां : वैसे यह प्रॉयोरिटी में हैं और जैसे ही धनराशि उपलब्ध होगी उसको प्रॉयोरिटी से ले लिया जायगा ।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसलिए उठता है कि यही नहीं बल्कि सैकड़ों इस तरह के ऑर्डर्स कर दिये हैं तो उनमें किस तरह से प्रॉयोरिटी देंगे। अकेले एक जिले में इस तरह के सैकड़ों ऑर्डर्स किये हैं कि अगली दफा में लिया जायगा तो प्रॉयोरिटी कैसे फिक्स करेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : जिन-जिन स्कूलों की प्राथमिकता तय की है और जैसे-जैसे धनराशि उपलब्ध होगी इन स्कूलों को लेंगे ।

श्री हरलालसिंह खर्रा : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पूछना है कि गवर्नमेंट के सामने क्या समस्या थी कि इस तरह के आदेश उनको करने पड़े ।

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार ने ये आदेश इस वास्ते किये कि उनके पास मांग थी । भवन-निर्माण करके सेशन से पहले सरकार को दे देंगे तो सरकार इन स्कूलों को प्राथमिकता में लेकर चला देगी ।

श्री हरलालसिंह खर्रा : भवन बन कर तैयार हैं और और भी बन रहे हैं तो जो आदेश दिये हैं तो क्या इस सेशन में शुरू हो जायेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : सवाल यह था कि सेशन शुरू होने से पहले भवन-निर्माण हो जायेंगे । सेशन तो शुरू हो जायगा और भवन बनते रहेंगे तो स्कूलों में पढ़ाई कैसे शुरू होगी ?

श्री हरलालसिंह खर्रा : दो-तीन जगह भवन बन चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : उसे नोट करा दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जिन स्थानों पर भवन का काम समाप्त हो गया है वहां पर इस सत्र में पाठशालाएं शुरू हो जायंगी ?

श्री बरकतुल्ला खां : जिन्होंने भवन-निर्माण किया है अगर उन्होंने सरकार को सूचना दे दी है कि भवन-निर्माण का काम कर दिया गया है और सरकार की स्वीकृति ले ली है कि स्टैण्डर्ड के मुताबिक भवन बन चुके हैं तो ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री शास्त्री !

सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक सहायता

194. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार सहायता प्राप्त स्कूलों को मिलने वाली सहायता की प्रतिशतता बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जी नहीं।

श्री भगवान दास शास्त्री : ऐसे कितने स्कूल हैं राजस्थान में उनकी संख्या बतला सकते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भगवान दास शास्त्री : हम एडेड स्कूलों को कितनी एड देते हैं और उसको बढ़ाने का विचार होगा या नहीं तो कम से कम संख्या तो देखी होगी कि कितने स्कूल हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : स्कूलों को ग्रान्ट-इन-एड देने के लिए सरकार कौनसी विधि अपनाती है ?

श्री बरकतुल्ला खां : उसके बाकायदा नियम बने हुए हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि ग्रान्ट-इन-एड कमेटी ने जो सिफारिशें ग्रान्ट-इन-एड देने के बारे में की थीं उनको रिवाइज करने के लिए आज तक कमेटी ने कोई कदम नहीं उठाया।

श्री बरकतुल्ला खां : कमेटी जब बनाई गई थी 66 में तो सबको आदेश दिया गया था कि सब की जरूरतों को समझते हुए 65 से जिन रूल्स को लागू कर दिया और केटेगोराइजेशन फिक्स कर दिया है व जिन लोगों को शिकायतें हैं और उन्होंने अपील्स फाइल कर दी हैं कमेटी निर्णय लेकर गवर्नमेंट के सामने पेश कर देगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि कुछ प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के आश्वासन पर अपनी स्ट्रेन्थ को इन्क्रीज किया है और जो पहिले से ही आलरेडी इन्क्रीज्ड स्टाफ था उनको सरकार ने ग्रान्ट-इन-एड देकर किसी प्रकार से राहत नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह इसी में दिया है।

श्री अध्यक्ष : Does not arise,

(प्रश्न संख्या 195)

श्री खेतसिंह !

(प्रश्न पूछने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री जसराज (भिनाय) : आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं क्या ?

श्री खेतसिंह : मैं इस प्रश्न को पूछना नहीं चाहता।

श्री रामकिशन(वैर) : तो क्यों दिया था?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यह तो कोई बात नहीं हुई, अध्यक्ष। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : इस प्रश्न को मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों कि यह सदन में आ गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं आगे बढ़ गया हूं। नेक्स्ट, श्री हरजीराम !

(विराम)

श्री हरलाल !

प्रतापगढ़ गर्ल्स हायर सेकन्डरी स्कूल भवन

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ (जिला चित्तौड़गढ़) गर्ल्स हायर सेकन्डरी स्कूल भवन बहुत छोटा है ? यदि हां, तो यह सरकार की जानकारी में कब से है ?

(2) क्या यह सच है भवन छोटा होने से स्कूल तीन शिफ्टों में चलती है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि स्कूल भवन की आवश्यकता की पूर्ति के विषय में सरकार से कई बार मांग की गई है ? यदि हां, तो आज तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया ?

शिक्षा मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (1) जी हां, सन् 1961 से।

(2) सन् 1962 से स्कूल दो पारियों में चलाया जा रहा है।

(3) जी हां, लेकिन आर्थिक मुश्किलों के कारण और कमरे नहीं बनवाये जा सके।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : आप उत्तर 197 का दे रहे हैं या 196 क्वेश्चन का ?

श्री अध्यक्ष : 197 का। 196 रह गया है तो माननीय सदस्य को मैं मौका दे दूंगा।

श्री हरलाल मीणा : वहां पर स्थान की कमी से कठिनाइयां बहुत है।

श्री बरकतुल्ला खां : कठिनाईयां बहुत हैं और सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठायेगी कि इन कठिनाइयों को दूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष : 196, श्री हरजीराम !

डीडवाना–नागौर सड़क का निर्माण

196. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

डीडवाना–नागोर सड़क पक्की करने का कार्य कब तक सम्पूर्ण हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : उम्मीद है कि वर्ष 1968–69 तक काम पूरा हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गंगासहाय।

लक्ष्मणगढ़-खेड़ली सड़क पर डामर कार्य

198. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ से कठूमर होते हुए खेड़ली जाने वाली सड़क का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त सड़क पर डामर नहीं बिछाया गया ? अगर हां, तो सरकार कब तक डामर बिछाने का विचार करती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री : (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) जी हां।

(2) 15 मील में से 8 मील में डामर करा दिया गया है बाकी 7 मील का काम धन की कमी के कारण मुमकिन नहीं है।

श्री गंगासहाय : क्या यह सही है कि सड़क पर 6–6 और 8–8 इंच के गढ्ढे पड़े हुए हैं और जो रोड़ी बिछाई गई उसका सड़क पर पता नहीं है और इसी कारण से वहां पर बस वाले जाते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने खेतों में होकर रास्ता निकाल लिया है और उनके वहां पर टायर फट जाते है। पैसेन्जर्स जो जाते हैं उनको कई कई घन्टों तक पड़े रहना पड़ता है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरी पूरी हमदर्दी है कि सड़क की हालत ऐसी है। कोशिश की जायगी कि किस तरह से उसको ठीक किया जाय। आप लोग जरा ज्यादा रुपयों की मन्जूरी दे दें तो।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आॅर्डर! आॅर्डर!!

श्री गंगासहाय : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कब तक आप इस सड़क की ठीक प्रकार से मरम्मत कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : कब तक ठीक कर देंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोग्राम बनेंगे तो उसमें जितना हिस्सा आयेगा मरम्मत की मद में उसमें लिये जायेंगे।

श्री गंगासहाय : यह सड़क सबसे पहले बनी है तो इस सड़क का नम्बर सबसे पहले आना चाहिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसा कैसे हो सकता है। तमाम जिलह को देखा जाता है डिस्ट्रिक्ट के।

श्री गंगासहाय : वहां पर 6 से 12 बसें तक आती है और लक्ष्मणगढ़ तहसील

(श्री गंगासहाय)

का सारा माल खेड़ली मंडी में जाता है। सारे लोगों का प्रश्न होता है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसी जगह तो बहुत हैं। एक ही जगह थोड़े ही है राजस्थान में।

श्री गंगासहाय : पिछले 15 सालों से उसकी उपेक्षा की जा रही है क्या इस बार भी आप उसकी उपेक्षा करेंगे। आप अलवर जिले से जीत कर आये हैं तो उसको प्राथमिकता देने का आपका कर्तव्य हो जाता है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसके मायने तो यह हुए कि हाउस मेरे पीछे पड़ जायगा कि अलवर जिले पर ही सारा पैसा लगा दिया।

श्री अमीलाल (महुरोड़) : क्या यह सही है कि सड़क का रुपया तो मन्जूर हो गया है लेकिन वर्क एलाटमेंट नहीं हुआ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : रुपया किसी चीज का मन्जूर नहीं हुआ। बजट मन्जूर हुआ है तो रुपया सही तरीके से बांटा जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बनवारीलाल!

धौलपुर से भरतपुर सड़क पर पुल

199. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या धौलपुर से भरतपुर सड़क वाया सैपऊ पर गांव तसीमा के पास एक पुल बनाने की योजना राज्य सरकार की है?

(2) इस पुल के लिए कितने रुपये की धनराशि का प्रावधान राज्य सरकार का है?

(3) क्या इस पुल को बनाने के लिए भारत सरकार से भी कोई धनराशि मन्जूर हुई है?

(4) यह पुल न बनने से इस सड़क पर यातायात कितने महीने बन्द रहता है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) जी हां।

(2) पुल का तखमीना 6 लाख रुपये का है।

(3) जी हां।

(4) बरसात में करीब-करीब 15 दिन रास्ता रुक जाता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या यह सही है कि यह जो सड़क के पुल बनाने की योजना है यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के कमिटमेंट में से है?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तीसरे प्लान में मन्जूर हुआ था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैंने पूछा है कि इस पुल का निर्माण··

श्री बनवारीलाल : यह कार्य कब शुरू हो जायगा?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं दोनों को जवाब दे देता हूं। इसमें रुपया जो मन्जूर हुआ है तो उधर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री से इसकी मन्जूरी है, लेकिन यह कारसपोन्डेन्स हो रही है। उन्होंने उसका काम अभी तक मन्जूर नहीं किया है, और रुपया देना भी मन्जूर नहीं किया है। अभी तक कारसपोन्डेन्स चल रही है कि यह किसी प्रकार से बन जाय।

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)
यह जिस वक्त में मन्जूरी आ जायगी और रुपया आ जायगा तो काम शुरू हो जायगा।

श्री बनवारीलाल : कितना समय लग सकता है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह बहुत जल्दी हो जायगा क्योंकि व रूटीन केस है

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के कमिटमेंट में से है और चौथी पंचवर्षीय योजना का आधा समय तो निकल गया है। इसको 16–17 साल हो चुके हैं तो और कितना समय और लग जायगा ? आपके अनुमान से यह कब तक बन जायगा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसको जल्दी ही लिया जायगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक सवाल और है, अध्यक्ष महोदय। क्या यह सही है कि भरतपुर जिले का सदर मुकाम है उससे धौलपुर को मिलाने वाला केवल यही रास्ता है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह बिल्कुल सही है और यह ध्यान में भी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। क्या यह सही है कि भरतपुर जिले को सदर मुकाम से धौलपुर को मिलाने वाली केवल यही एक सड़क है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह बिल्कुल सही है और यह बात ध्यान में है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गांधी अस्पताल, जोधपुर में एनेस्थेटिस्ट

200. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में करीब दो वर्ष से योग्यता प्राप्त अथवा प्रवीण निश्चेतक एनेस्थेटिस्ट नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि उसी स्तर के जयपुर, बीकानेर व उदयपुर आदि अस्पतालों में दो से चार तक निश्चेतक हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्यों है ? और क्या सरकार शीघ्र ही जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में योग्य निश्चेतक की नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(1) जी हां।

(2) जी हां। जोधपुर अस्पताल में प्रवीण निश्चेतक लगाने के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनेक बार प्रयास किये गये परन्तु योग्य निश्चेतकों की कमी के कारण नियुक्ति की जाने पर भी किसी ने वहां ड्यूटी जॉइन नहीं की। अब फिर डॉ. वी. श्रीवास्तव के स्थानान्तर के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : इस में डॉक्टरों की कमी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, बहुत कमी है।

श्री ओमदत्त भाटी : इसके लिए क्यों नहीं इन्तजाम किया जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस संबन्ध मे तीन डाक्टरों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री विजयसिंह रावत !

श्री नगर क्षेत्र में सड़क-निर्माण

201. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद क्षेत्र में केवल श्रीनगर पंचायत समिति क्षेत्र में केवल 15 दिन के लिये चतुर्थ आम चुनाव के दौरान सड़क-निर्माण कार्य करवाया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य अब बन्द करवा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): (1) जी नहीं । श्रीनगर पंचायत समिति के अलावा पीसांगंज पंचायत समिति में भी सड़क-निर्माण कार्य हुआ है । सड़क-निर्माण का चतुर्थ चुनावों से कोई सम्बन्ध नहीं, यह तो राहत कार्यों के तहत जिला रिलीफ समिति अथवा जिलाधीश के आदेशानुसार हुए थे ।

(2) जी नहीं । ये कार्य या तो कार्य समाप्त होने पर बन्द हुये हैं अथवा जिला सहायता समिति या जिलाधीश के आदेशानुसार बन्द किये गये हैं और कई जगह काम अभी चल भी रहा है ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि जो सड़कों का निर्माण कार्य चुनावों के 15 दिन पहले शुरू किया गया था वह पूरा हो चुका है या वह अभी अधूरा ही पड़ा है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपने कौनसी सड़क का पूछा है ?

श्री विजयसिंह रावत : आपने अभी उत्तर दिया है कि श्रीनगर के अलावा पीसांगंज पंचायत समिति में भी सड़क-निर्माण कार्य हुआ है । मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कार्य पूरा हो चुका है या पूर्ण होने के पहले ही बन्द हो गया है ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ज्यादा काम पूर्ण हो गया ।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय जो उत्तर दे रहे हैं वह गलत हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कार्य 23-4-67 को बन्द किया गया । इस कार्य के लिये 65 हजार रुपये की मंजूरी हुई उसमें से 50962 रु० खर्च हुए और उसके बाद यह कार्य बन्द कर दिया गया है । इन सड़कों की ऐसी स्थिति है कि वर्षा हुई तो यह काम जो इन सड़कों पर 50 हजार रुपयों का हुआ है वह सब खत्म हो जावेगा और पानी में बह जावेगा ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह जितना काम होता है वह फेमिन रिलीफ से स्वीकृति आती है उतने का कार्य पी. डब्ल्यू. डी. कराती है । जितने फन्ड दिये उतना कार्य किया ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या सरकार के पास 50 हजार रुपये पानी में बहाने के लिये हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर!ऑर्डर, प्लीज !!

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह पैसा पानी में बहाने को है ··

श्री अध्यक्ष : इनका कहना है कि फेमिन रिलीफ से हमको पैसा मिलता है उस प्रोपोर्शनेट से काम कराते हैं। आप इस पर प्रश्न पूछें। भाषण न करें।

श्री विजयसिंह रावत : श्रीनगर और उसके पास सड़कों का काम चालू था वहां काम अधूरा पड़ा है और उसको बन्द कर दिया गया है। और वहां पर लोग 1½ महीनों से भूखे मर रहे हैं और इसके लिये हजारों प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के पास आये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अब प्रश्न पूछ लीजिये। पुट ए क्वेश्चन।

श्री विजयसिंह रावत : अगर यह राहत कार्यों के लिये खोले गये थे तो क्या अब भी आप वहां के लोगों के लिये राहत कार्य की व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह प्रश्न आप फाइनेन्स मिनिस्टर से पूछें। वे इसका जवाब देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि श्रीनगर पंचायत क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के लिए फेमिन डिपार्टमेंट ने रुपया दिया या ट्रान्सफर किया उसके द्वारा ही यह काम कराया गया?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यही तो मैंने कहा था। यह सही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितना रुपया मिला, और कितना काम में लिया गया?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह मैं आपको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किस तारीख से लेकर किस तारीख तक कार्य किया गया?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप सड़क का नाम बतायें कि किस सड़क पर काम कब तक कराया गया तो बताया जाए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : श्रीनगर पंचायत क्षेत्र में जिसके संबन्ध में प्रश्न पूछा है उसके बारे में पूछता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, सड़कों के नाम तो इनके पास हैं नहीं और इसका जवाब मंत्री महोदय ने दिया है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री विजयसिंह रावत : प्रश्न मैंने पूछा है उसमें साफ लिखा है कि उन सड़कों के निर्माण के लिये जो नसीराबाद क्षेत्र में श्रीनगर पंचायत समिति क्षेत्र के लिये सरकार ने राहत कार्य खोले थे वे पूरे हो गये क्या या अधूरे बन्द हो गये हैं? यदि हां, तो क्यों? मैंने यह प्रश्न सही पूछा है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न हो गया और इसका मंत्री महोदय ने आपको उत्तर दे दिया है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसका मैंने आपको उत्तर दे दिया है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत से प्रश्न बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का कहना है कि फेमिन डिपार्टमेंट की ओर से जो रकम खर्च करने के लिये पी० डब्ल्यू० डी० को अलोट की गई वह इस डिपार्टमेंट के द्वारा खर्च हुई। आपका प्रश्न रेवेन्यू और फेमिन से सम्बन्धित है।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, 50 हजार रुपया खर्च हुआ है और 15 हजार रुपया अभी बचा है। और काम बन्द कर दिया गया है। वहां की जनता आज भूखों मर रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया है उसकी मंशा क्या है। इसकी सारी की सारी मंशा यह है कि चुनाव के दृष्टिकोण से यह पैसा खर्च किया गया है। इसलिये ये सारे के सारे प्रश्न माननीय मंत्री से पूछे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा।

(सप्लीमेन्ट्री प्रश्नों के लिये कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

अभी कई माननीय सदस्यों के प्रश्न हैं।

पाली, बांगड अस्पताल की चाहर दीवारी

202. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली में बांगड़ हास्पिटल के कम्पाउन्ड वाल नहीं होने से हॉस्पिटल के इर्दगिर्द गंदगी, सड़ान और बदबू बनी रहती है? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार इस हास्पिटल की कम्पाउन्ड वाल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और क्या 1967-68 के बजट में इसके लिये प्रावधान रखा जायेगा?

(3) सरकार यदि पक्की कम्पाउन्ड वाल इस वक्त नहीं बनाये तो क्या कच्चा ऊँचा धोरा लगवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) धनराशि के अभाव के कारण अस्पताल की कम्पाउन्ड वाल का तो निर्माण नहीं हो सका है परन्तु गन्दगी आदि इर्द गिर्द न हो इसकी व्यवस्था अस्पताल के अधिकारी करते रहते हैं।

(2) जी हां, राज्य सरकार के 1967-68 के बजट में नवीन निर्माण कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जावेगी।

(3) जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : यह 15 साल से नहीं बन रही है। बजट में भी इसके लिये कोई प्रावधान है? 15 वर्ष बाद योजना बनने का इलाज है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है कि इस साल बजट में पैसे उपलब्ध करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केशरीसिंह।

बूंदी रोडवेज स्टेन्ड पर शेड की व्यवस्था

203. श्री केशरीसिंह (बूंदी) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री केशरीसिंह)

(1) क्या यह सही है कि बूंदी के रोडवेज के स्टेण्ड पर जनता की सुविधा के लिये शेड नहीं है और न पानी व पेशाबघर की व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि स्टेण्ड परिवर्तन करने से तथा वहां चाय नाश्तों के लिये स्टाल नहीं होने से सवारियों को दूर जाना पड़ता है और अन्दर कोई स्टाल लगाने की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : भूतपूर्व विद्युत् वितरण कम्पनी का भवन अभी गत माह ही राज्य सरकार द्वारा निगम को बूंदी में बस स्टेण्ड हेतु दिया गया है। यात्रियों के लिये पानी की व्यवस्था करदी गई है। अन्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध करने हेतु निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(2) निगम को यह भवन अभी मिला है अतः इस भवन के अहाते में अभी नाश्ते चाय आदि के स्टाल लगाने की अनुमति किसी व्यक्ति को नहीं दी गई है। वैसे इस भवन के अहाते के बिल्कुल बाहर करीब 30 गज की दूरी पर चाय नाश्ता उपलब्ध हो जाता है। भवन के अहाते में स्टाल, ठेले आदि लगाने की अनुमति देने का प्रश्न निगम के विचाराधीन है।

श्री केशरीसिंह : जो स्थिति बूंदी स्टेट के वक्त थी उसके मुकाबले में आज रोडवेज की व्यवस्था बिल्कुल खराब है क्या यह सही है ?

श्री अमीनुद्दीन : अभी इस वक्त ऐसी कोई स्थिति मालूम नहीं हुई है।

श्री केशरीसिंह : क्या यह सही है कि बूंदी स्टेट ट्रान्सपोर्ट के शेड थे उसकी जगह गोदाम बनाये गये हैं और इस कारण आदमियों को धूप में और वर्षा के समय बारिश में बैठे रहने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है।

श्री अमीनुद्दीन : मैंने जैसा अभी आपको जिक्र किया, अभी अभी इमारत रोडवेज को मिली है और काफी दफ्तर वगैरा वहां हैं। इस बात का इन्तजाम किया जा रहा है कि पूरी तरह से मुसाफिरों को आराम दिया जावे।

श्री केशरीसिंह : वह जो इमारत मिलने के लिये फरमा रहे हैं, वह केवल बुकिंग ऑफिस का कमरा है। इसके अलावा मुसाफिरों के ठहरने के लिये कोई स्थान हो तो आप बतावें।

श्री अमीनुद्दीन : आप इसकी राय मुझे देंगे और मैं इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां !

कामां में लड़कियों के मिडिल स्कूल का भवन

204 श्री मजलिसखां (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा कामां जिला भरतपुर में लड़कियों का मिडिल स्कूल भवन के अभाव के कारण किराये की प्राइवेट हवेली में चलाया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल में छात्राओं की संख्या चार सौ से

(श्री मजलिसखां)

भी अधिक है और स्थान के अभाव के कारण छात्राओं को प्रवेश नहीं मिलता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन में छात्राओं के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है जिसके कारण छात्राओं को खुले स्थान में बिठलाना पड़ता है और तेज धूप और वर्षा के समय स्कूल टाइम से पहले भी छुट्टी करनी पड़ती है ?

( ) क्या यह भी सही है कि अध्यापिकाओं का निवास भी उक्त भवन में ही है। यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या को हल करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि कामा निवासी श्री सूरजभान वैश्य ने शिक्षा विभाग को यह लिखित में दिया है कि वह लड़कियों के लिये 20 हजार की लागत का स्कूल भवन बना कर देने को तैयार है ? यदि हां, तो वह कब लिखा गया और शिक्षा-विभाग ने इस पर क्या निर्णय लिया और कब ?

(6) क्या यह सही है कि श्री सूरजभान ने यह भी शर्त रखी थी कि उक्त स्कूल भवन चिरोंजी देवी के नाम पर रखा जावेगा ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां, 22 जनवरी, 1966 को।

(6) लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी थी कि उनकी माता का नाम हमेशा स्कूल के साथ रहेगा चाहे यह स्कूल आगे जाकर हायर सैकेण्डरी स्कूल हो जाय। चाहे कालेज हो जाय। यह शर्त मानने लायक नहीं थी इसलिये उनको सरकार की मुकर्रर की हुई शर्तों की जानकारी दी गई लेकिन उन्होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया।

श्री मजलिस खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय मौके पर पहुंच कर निरीक्षण करेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां, मैं तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : रघुनाथ बिश्नोई।

सांचौर उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक पाठशाला में अध्यापकों की कमी

2.5. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर माध्यमिक पाठशाला एवं माध्यमिक पठशालाओं में शिक्षक पिछले दो सालों में कभी पूरे नहीं लगाए गये ? अगर हां, तो किस-किस स्कूल में कितने शिक्षकों की कमी पिछले दो सालों में रही ?

(2) सांचोर में सरकारी पठशालाओं में अध्यापकों की कमी रहने के क्या क्या कारण थे ? उन कारणों को भविष्य में दूर करने के लिये राज्य सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किए जायेंगे ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह सत्य है कि पिछड़े क्षेत्रों में अध्यापकों को राज्य सरकार कुछ खास सुविधाएं देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो वे क्या क्या हैं, और ऐसी सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जावेंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) :

(1) जी नहीं। सिर्फ हायर सैकेण्डरी स्कूल में एक साल (1-5-66) से एक सीनियर टीचर और पिछले महीने (1-5-67) से सैकिण्ड ग्रेड टीचर की जगह खाली हैं!

(2) शायद सांचौर दूसरी जगहों से दूर है व रेल्वे स्टेशन न होने की वजह से अध्यापक वहां जाना पसन्द नहीं करते।

(3) ऐसा कोई सवाल अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि वहां टीचर जाना पसन्द नहीं करते तो क्या हम इलाके को दूसरी जगह ट्रान्सफर करेंगे ? अध्यापकों को भेज कर वहां विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां : इसलिए सरकार जागरूक है, माननीय सदस्य को मालूम है कि 6 टीचर लगाये गये थे, एक तो स्तीफा देकर चला गया। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा प्रबन्ध किया जायगा कि टीचर वहां पहुंचें और इसके लिए उनको मजबूर किया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे पिछड़े इलाके में जहां, ऐसी फेसेलिटीज नहीं हैं टीचर्स को स्पेशल अलाउन्स देकर एट्रेक्ट करना चाहिए। वहां स्कूल खोल रखी हैं और टीचर्स नहीं हैं तो इससे क्या मतलब हल होता है ? साल में 6 महीने वहां टीचर्स नहीं रहते हैं। फिर स्कूल खोलने से क्या मतलब। राजस्थान सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय सदस्य ने कहा कि गम्भीरता से सरकार को विचार करना चाहिए, सरकार गम्भीरता से विचार करती है पर केवल अध्यापक ही सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, पुलिस के भी सरकारी कर्मचारी हैं, रेवेन्यू के भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकर हैं। एक डिपार्टमेन्ट में भत्ता बढ़ाया जायगा तो राजस्थान में पहाड़ी इलाके भी हैं, रेगिस्तानी इलाके भी हैं, तो उन सारे लोगों का भत्ता बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए सरकार के लिए यह मुमकिन नहीं कि स्पेशल भत्ता बढ़ाये।

श्री जसराज (भिनाय) : क्या एक वेलफेअर स्टेट का यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि वह शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दे, शिक्षा के बाद दूसरी बातों को महत्व दे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मिडिल स्कूल में तो साल भर में भी एक भी शिक्षक नहीं पहुंचा, डाबल में एक शिक्षक भी नहीं पहुँचा, ऐसी व्यवस्था है कि शिक्षक साल-साल भर तक बिल्कुल नहीं जाते हैं तो ऐसी व्यवस्था कब तक चलेगी। एक मिडिल स्कूल में एक भी शिक्षक साल भर तक नहीं पहुंचे तो लड़कों को क्या पढ़ाई होगी ?

श्री बरकतुल्ला खां : सैदन में 11 की जगह थी 11 हैं, झाडेवा में 8 थीं 8 ही हैं, डूगरी में 7 जगह थी, 7 ही हैं, माब में 8 जगह थीं, 7 हैं, डाबल में 3 की जगह थी, 3 ही नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : साल भर टीचर था ही नहीं तो पढ़ाई कैसे चली ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रवणलाल !

सवाई माधोपुर जिले में डकैती

206 श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) सवाई माधोपुर जिले में कितनी डकैतियां सन् 1965-66 व 1966-67 में, कहां कहां पर पड़ी हैं ?

(2) इन डकैतियों में कितना जान माल का नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त डकैतियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

(4) उपरोक्त डकैतियों में कितने व्यक्तियों को उठा कर ले जाया गया है और उन व्यक्तियों में से कितनों को कितना-कितना रुपया देकर वापस लाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(1) जिला सवाई माधोपुर के ग्राम रामपुरा मन्डरावल की घाटी, कोटा, पीपलदा, गोठड़ा में सन् 1965–66 में 6 डकैतियां हुई। सन् 1966-67 में कोई डकैती नहीं हुई।

(2) सन् 1965-66 की पांच डकैतियों में कुल माल 7250 रु. का लूटा गया, ग्राम कोटा की डकैती के वक्त रत्ना खाती को डकैतान ने गोली से मार दिया और बुधा काछी घायल हुआ। डकैती पिपलदा में गोकुल और प्रहलाद गोली से मारे गये। कोई घायल नहीं हुआ।

(3) डकैतियों की रोकथाम के लिए नाकाबन्दी, गश्त हल्का एवं जरायम करने वाले तथा संदिग्ध चालचलन वालों के विरूद्ध निगरानी का उचित प्रबन्ध किया गया, इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश व राजस्थान के बोर्डर पर डकैतों को रोकथाम के लिए आर. ए. सी. भी तयनात है। डकैतान के पनाह की जगहों तथा पनाह देने वालों की निगरानी की व्यवस्था है।

(4) डकैतान द्वारा किसी आदमी को उठाकर ले जाने एवं उनके रुपया प्राप्त कर छोड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं हुई।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न संख्या 3 में बताया सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है, वह सूची मुझे अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, जिसके कारण मैं कई सप्लीमेंटरीज कर सकता था।

श्री दामोदर लाल व्यास : I had not said कौनसी सूची ? मैंने प्रश्न 3 का जवाब दिया है। डकैतियों की रोकथाम के लिए नाकाबंदी गश्त, हल्का एवं जरायम करने वाले तथा संदिग्ध चालचलन वालों के विरूद्ध निगरानी का उचित प्रबन्ध किया गया, इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश व राजस्थान के बोर्डर पर डकैतों की रोकथाम के लिए आर. ए. सी. भी तैनात है। डकैतान के पनाह क जगह

(श्री दामोदरलाल व्यास)
तथा पनाह देने वालों की निगरानी की व्यवस्था है।

इसमें मैंने कहां कहा है कि सूची सदन की मेज पर रखी गई है ?

श्री श्रवणलाल : मैंने अपने प्रश्न में सूची मांगी है, सूची सदन की मेज पर रखने को कहा है, क्या वह सूची जो मैंने मांगी है, वह सदन की मेज पर रखी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बगैर सूची रखे सारा जवाब दे दिया ?

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि आये दिन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं कि डकैत आदमियों को या और औरतों को उठा कर ले जाते हैं और ले जाने के बाद बीस बीस हजार, पच्चीस-पच्चीस हजार रुपया, 5 हजार रुपया फलां स्थान पर लेकर आ जाना तब तुम्हारे लड़के को तुम्हारे आदमी को छोड़ा जायगा, ऐसा कहते हैं और रुपया लेकर ही उन लोगों को छोड़ते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने चार के जवाब में कहा है कि डकैतान द्वारा किसी आदमी को उठा कर ले जाने एवं उनसे रुपया प्राप्त कर छोड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं हुई।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, एक नहीं अनेकों घटनाएं हुई हैं इस प्रकार की पुलिस में हुई हैं। सन् 65 में 6 औरतों को डकैत उठा कर ले गये थे उनकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं है। अभी अभी कुछ महीनों की बात है। सब डिविजन करौली हिण्डौन के अन्दर आये दिन ट्रकों को रोक लिया जाता है और उनको कहा जाता है कि 10 हजार रुपये का चैक या नकद दो नहीं तो ट्रक नहीं जाने दिया जायगा गोली से ट्रकों के टायरों को बर्स्ट कर दिया जाता है, पैसा पहुंचने के बाद उन ट्रकों को छोड़ जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दीजिये, प्रश्न पूछ लीजिये, जैसे, क्या यह सही है कि ट्रक रोके गये, रुपया लिया गया। इस प्रकार के प्रश्न पूछिये।

(12 मध्याह्न)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया है, उसमें रत्ना खाती और बुद्धा काछी कहा है। क्या इस तरह का जवाब देना स्वर्गीय आदमी के लिए उचित है। इसको आप इस तरह से अमेंड कर दीजिए, स्वर्गीय वगैरह लगाकर। आपने तो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जवाब दे दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आयन्दा आपकी हिदायत के माफिक अमल करूंगा इस पर।

श्री रामकिशन : गरीब लोगों की भी हैसियत होती है। कोई ब्राह्मण या और कोई होता तो मैं नहीं कहता।

श्री बृजवल्लभ (दौगोद) : 1965–66 के अन्दर जो बालेर के अन्दर डकैती हुई थी जिसमें एक लाख का माल दिन दहाड़े डकैत उठाकर ले गये थे क्या उसकी रिपोर्ट आपको नहीं मिली ?

श्री दामोदर लाल व्यास : कौनसा गांव ?

श्री बृज वल्लभ: जिला सवाई माधोपुर के ग्राम रामपुरा, मण्डरायल की घाटी, कोटा

(श्री बृजवल्लभ)
पीपलदा, गोईडा में सन् 1965-66 में 5 डकैतियां हुई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें बालेर नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी सूचना गलत है ऐसा माननीय सदस्य समझते हैं और उनकी निगाहों में और कोई डकैती हुई है, जैसा कि हिण्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है कि डकैती हुई है, और औरत मर्दों को डकैत उठा कर ले गये हैं—उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे इनकी डिटेल्स दीजिए । इसके बाद मैं पता लगाऊंगा । यदि मुझे जवाब गलत दिया गया है तो मैं आफिसर के खिलाफ कार्यवाही करूंगा और यदि आपकी सूचना गलत हुई तो आपको मैं इतला दे दूंगा कि आपकी सूचना गलत है ।

श्री बृजवल्लभ : अध्यक्ष महोदय, 1965-66 के अन्दर ग्राम बालेर में दिन भर डकैती होती रही थी और एक लाख से भी ज्यादा का माल, जेवर आदि उठाकर ले गये थे लेकिन उसका नाम सूची में शामिल नहीं है । इसी प्रकार से एक डकैती 1966-67 की है । महाराजपुर के महाजन को वह खंडार तहसील से आया था । जंगल में डाकू उसका अपहरण करके ले गये थे और वह अभी एक माह पहले ही वापिस आया है उसका नाम भी इसमें दर्ज नहीं है । वह महाजन चोड़े गांव तहसील सपोटरा का है, वह व्यापार के सिलसिले में आया हुआ था । वह अभी मुश्किल से पन्द्रह-बीस दिन पहले ही वापिस पहुंचा है ।

श्री अध्यक्ष : जिनके नाम की सूचना दी है, मंत्री महोदय; जानकारी कर लेंगे ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय · ·

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय । क्या यह सही है कि 395 के केस दर्ज नहीं करके डकैतियों के मामले 458, 557 या 460, 389 और 380 में डाल कर उनको समाप्त कर देते हैं । यह एक डिवाइस है, जिसको आपके पुलिस आफिसर और पुलिस वाले अक्सर करते हैं । इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो डकैती हुई हैं वह 45३ आदि में कहीं डाल कर खत्म तो नहीं कर दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री बृज वल्लभ : अध्यक्ष महोदय, ग्राम बालेर में जो डकैती हुई है वह · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (डूंगरपुर) अध्यक्ष महोदय, ग्राम बालेर में डकैती हुई है वह एक मशहूर बात है · ·

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय, विपक्षी दल !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम बालेर की डकैती एक ऐसी वारदात है जिसको सवाई माधोपुर जिले के हजारों आदमी मानते हैं । बहुत अदब के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वह सवाई माधोपुर के अन्दर बड़ी दिलचस्पी रखते हैं । मुझे आश्चर्य है कि बालेर की डकैती की अभी तक उनको जानकारी नहीं है । उन्होंने जो उत्तर दिया है वह मेरे ख्याल से असंतोषजनक है मैं कोई मोटिव्स इम्पयूट नहीं करना चाहता हूं कि यह छोटी बात नहीं है, बड़ी वारदात है क्योंकि सवाई माधोपुर में 1965-6३ के अन्दर यह दिन दहाड़े हुई थी । इस

(महारावल लक्ष्मणसिंह)
सम्बन्ध में मंत्री महोदय, जानकारी नहीं रखते हों–यह बड़े आश्चर्य की बात है। क्या कृपा करके इस सम्बन्ध में आप प्रकाश नहीं डालेंगे ?

श्री दामोदर लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा ख्याल था कि जो मैंने बात अर्ज की है उससे सदन को संतोष होना चाहिए था। मैंने कहा था, जो सूचना सरकारी अफसरान ने मुझे दी है, उसकी बिना पर मैं जवाब दे रहा हूं। अगर यह सूचना गलत पाई गई तो उनके खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा। अब आप एडीशनल इन्फार्मेशन देते हैं यह बतला कर कि 1965–66 के अन्दर ग्राम बालेर में डकैती हुई है तो मैं उसकी जानकारी करूंगा। अगर जानकारी के बाद में यह बात गलत मालुम हुई तो मैं वापिस आपको सूचना दूंगा ओह अगर अफसरान ने मुझे गलत सूचना दी है तो मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। यह हो सकता है कि 1965-66 में टाइम में फर्क हो और यह 1964-65 में आई हो। यह मैं नहीं मान सकता कि 1965-66 में डकैतियों की जो सूचना मुझे दी है वह गलत है। ताहम बालेर की सूचना दी है और जो हिण्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने जानकारी दी है, उस पर कार्यवाही करके मैं संतोष दिलाऊंगा कि केस रजिस्टर हुआ है या नहीं, क्या कार्यवाही हुई है डकैती हुई है या नहीं। आप यह सारी सूचना मुझे दे दीजिये कि कहां-कहां किस-किस के यहां पर कब-कब डकैती हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि अभी रीसेन्टली एक जगन्नाथ नाम के नेता को एक दामोदर लाल व्यास ने उड़ा लिया था–उसका क्या हुआ ?

(श्री सतीश चन्द्र बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सरकार की जानकारी में है कि पिछले पन्द्रह सालों में धौलपुर सब डिवीजन, सवाई माधोपुर, किशनगंज और शाहबाद-इन इलाकों में डकैतियां होती रही हैं और राजस्थान की पुलिस उस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाई है। उस दृष्टि से क्या सरकार यह विचार नहीं रखती है कि पुलिस फोर्स पर खर्च करने पर भी जो डेकोइटी फोर्स है, डेकोइट्स को खत्म नहीं कर सके है अतः सब-डिवीजन धौलपुर, सवाई माधोपुर, किशनगंज, शाहबाद इस सारी चम्बल वेल्ट के अन्दर डेकोइट्स को लिक्वीडेट करने के लिए यह इलाका छः महीने के लिए मिलिट्री को हैंड ओवर कर दिया जाय ताकि डेकोइट्स को साफ किया जा सके।

श्री दामोदरलाल व्यास : मिलिट्री को हैंड ओवर कर दिया जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : For six months to liquidate the dacoit gangs.

श्री दामोदर लाल व्यास : किसको ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर. ए. सी. को या मिलिट्री को हैंड ओवर करने के लिए क्या आप विचार करेंगे जिससे यह प्रोबलम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान बोर्डर जैसा मैंने परसों निवेदन किया था, यह सबका सब डेकोइट्स अफेक्टेड एरिया है। इस इलाके में डकैती और किडनैपिंग अधिक होता है। इसलिये हमने यहां आर. ए. सी. की बटेलियन तैनात कर रखी है जो एन्टी-डैकोइटी का काम करती है। वह फोर्स पर्याप्त है। इसके अलावा मैं मिलिट्री को देने के लिए कैसे कह सकता हूं क्योंकि वह लेगी या नहीं लेगी यह प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मैं मांगरोल गया था। जब शाम के छः बज गये तब जनता ने कहा कि भाषण समाप्त कर दीजिये क्योंकि हमें दुकानें बन्द करनी हैं, अपने अपने घरों को जाना है क्योंकि यदि डकैत आ गये तो हालत खराब हो जायगी। इस तरह का भय वहां लोगों में व्याप्त था कि वह शाम के छः बजे के बाद में बाजार में रहना नहीं चाहते थे। वह जो सारा एरिया है, किशनगंज मांगरोल का एरिया है इस सारे एरिए को—धौलपुर, कोटा इलाके को इन्क्लूडिंग सवाईमाधोपुर को आप मिलिट्री को हेण्ड ओवर कर सकते हैं, भले ही आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बात करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर मिलेट्री नहीं लेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर चलने दीजिये, जाने दीजिये।

(प्रश्न संख्या 207)

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्रकुमार मीणा!

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

एक माननीय सदस्य : इसको पूछने की इजाजत दे दीजिये।

(प्रश्न संख्या 208)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री कृष्णकुमार गोयल! This is to be postponed इसमें इन्फार्मेशन नहीं आ पाई है।

श्री हीरा!

श्री कृष्णकुमार गोयल : 208 का क्या हुआ!

श्री अध्यक्ष : 208! पोस्टपोन!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या? 208 का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्फार्मेशन नहीं है या यह जवाब नहीं देंगे—यह तो तय हो जाय। क्या प्रश्न का उत्तर विधि मंत्री नहीं देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई दे देगा। उसमें क्या अन्तर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हूं बहुत अच्छा है। सारी इन्फार्मेशन नहीं है क्या?

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, इन्फार्मेशन जो चाहता हूं वैसी नहीं आई है। अधूरी इन्फार्मेशन पर मैं जवाब नहीं देना चाहता। कलेक्टर को फिर लिख दिया है कि पूरी जानकारी भेजें पूरी जानकारी करके फिर जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा !

कुशलगढ़-उदयगढ़ बस सर्विस

209. श्री हीरा (कुशलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ से उदयगढ़ सुबह व शाम को चलने वाली बसें बंद हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या सरकार इस बस सर्विस के महत्व को देखते हुए इस सड़क पर तत्काल बसें चालू करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) यह सही है। यह मार्ग अन्तप्रान्तीय है और इस पर आपसी व्यवस्था (रेसीप्रोसिटी) के तहत दो परमिट्स मंजूर हैं एक तो राजस्थान प्रदेश की तरफ से और दूसरा मध्यप्रदेश की तरफ से। राजस्थान नोमीनी की बस 29-11-66 से बन्द थी और अब यह तारीख 17-5-67 से चालू हो गई है। मध्य प्रदेश नोमीनी की बस 30-11-65 से बन्द है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने इनके खिलाफ कार्यवाही करने का जो कारण नोटिस दिया है जिसको आगे होने वाली मीटिंग में उचित कार्यवाही के लिये पेश किया जायगा।

(2) इस मार्ग पर राजस्थान वाली बसें चालू हो गई हैं और मध्य प्रदेश के नोमीनी की चालू करने के लिये कार्यवाही शुरु कर दी गई है।

श्री हीरा : यह जो बस चालू कर दी गई है, यह पुरानी चल रही थी और बन्द हो गई थी वही है या दूसरी है ?

श्री अमीनुद्दीन : बन्द हो गई थी। फिर से चालू की गई है।

श्री हीरा : बन्द होने का क्या कारण था ?

श्री अमीनुद्दीन : बन्द होने का यह कारण था कि मध्य प्रदेश से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उसकी फीस नहीं दी थी। अब रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम हो गया है तब चालू हुई है।

श्री हीरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। यह बस बहुत पुरानी है। बस कई महीनों में कई बार ....

श्री अध्यक्ष : खराब हो जाती थी।

श्री हीरा : बिगड़ जाती थी और अनफिट हो जाती थी, इसलिए बस बन्द हुई। इसमें रजिस्ट्रेशन का मामला नहीं है। उसने बस दूसरे को बेच दी है, रोड दूसरे को बेच दी है और वह दूसरी जगह चला रहा है। आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के कारण से बन्द है। क्या दोनों बस चलाने की सरकार जिम्मेदारी लेगी ?

श्री अमीनुद्दीन : मैं जरूर उसके मुताल्लिक मालूम करूंगा। मुझे पूरी हमदर्दी है कि कई दिनों से यह रास्ता रुका हुआ है, लोगों को तकलीफ होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुवालाल !

सांभर में कालेज

210. श्री सुवालाल (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सन् 1967—68 में सांभर में कालेज खोलने की स्वीकृति प्रदान करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : यदि भवन बनाने के लिए स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त हो तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में वहां कालेज खोलने बाबत विचार किया जा सकता है।

श्री सुवालाल : जो सरकार की कालेज खोलने की स्कीम है, उसके लिए पूरा धन देने के लिए यदि जनता तैयार हो तो जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस साल कालेज खोल सकती है ?

श्री बरकतुल्ला खां : इस साल तो नहीं खोल सकते लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जरूर खोला जायगा।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : सांभर कालेज का जो प्रश्न है, 1962 में मुख्य मंत्रीजी को वहां बुलाया था··

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री लादूराम सुलानिया : मैं सिर्फ एक बात··

श्री अध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे एक प्रश्न करने की इजाजत दी जाय। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 1962 में मुख्य मंत्रीजी को सांभर की जनता ने बुलाया और जनता ने सारी शर्तें मंजूर की। उसके बावजूद भी आज तक वहां कालेज नहीं खुला और मंत्री महोदय बिल्कुल झूठा जवाब देते हैं··

श्री बरकतुल्ला खां : फाइल पर मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता !

भीलवाड़ा—बिजोलिया सड़क को डामर सड़क बनाने का कार्य

211. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा से बिजोलियां तक की सड़क जो लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व बनी थी और जिस पर पत्थर की खानों के कारण भारी ट्रक्स काफी बड़ी तादाद में चलते हैं और जो सड़क सबसे अधिक आमदनी सरकार को दे रही है, पूरी की पूरी डामर की क्यों नहीं बन रही है ?

(2) क्या इस सड़क को जल्दी से जल्दी पूरी की पूरी डामर की बनाने की योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : इस प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे एक सप्ताह की मोहलत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : पोस्पोन्ड। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

परिवार नियोजन योजना

212. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले दो वर्षों में परिवार नियोजन के लिए कितनी राशि का बजट में प्रावधान रखा गया था ?

(2) वह राशि खर्च कर दी गई या नहीं ?

(3) परिवार नियोजन का टारगेट क्या रखा गया ?

(4) उक्त टारगेट में कितनी सफलता मिली ?

(5) भविष्य में इस कार्य को तेजी से आगे बढाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) पिछले 2 सालों में निम्नलिखित प्रावधान रखा गया था:—

1965-66	56,18 लाख
1966-67	77.32 लाख

(2) उक्त प्रावधान की तमाम धनराशि खर्च नहीं की गई है, जो धनराशि खर्च की गई है वह निम्न प्रकार से है :—

1965-66	25.36 लाख
1966-67	45.47 लाख

(3) परिवार नियोजन के सम्बन्ध में पिछले 2 सालों में निम्नलिखित टारगेट रखे गये थे:—

विवरण	1665-66	1966-67
आई. यू. सी. डी.	भारत सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए	1,32,815
स्टरलाइजेशन		40,581
कन्वेन्शनल कन्ट्रासेप्टिक (आवश्री)		
(क) कन्डोम		95,756
(ख) फोम टेबलेट, जेली इत्यादि ।		23,439

(4) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1965-66 व 1966-67 में निम्नलिखित सफलता प्राप्त की है:—

प्राप्ति

विवरण	1965-66	1966-67
आई. यू. सी. डी.	10,344	15,577
स्टरलाइजेशन	7,479	8,212
कान्ट्रसेप्टिव का वितरण (पोसेस)		
(क) कन्डोम	1,77,961	1,79,897
(ख) फोम टेबलेट	3,74,717	1,40,164
(ग) जेली	10,000	7,340
(घ) डायफ्राम	2,732	1,951

(5) परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राज-

(श्री दामोदरलाल व्यास)
राजस्थान में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त स्टाफ मुखर्जी कमेटी की सिफारिश के अनुसार स्वीकृत कर दिया है। जिससे इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को अधिक सफलता मिलेगी। परिवर्तित आर्डर की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए तथा आवश्यक स्टाफ (डाक्टर एवं अन्य स्टाफ) को परिवार नियोजन में आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार ने जो भत्ते स्वीकृत किये हैं उनकी भी एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इसमें पूछा गया था आई. यू. सी. डी. के लिए। आपने टारगेट फिक्स किया 1,32,000 और उसमें सफलता मिली है केवल 15,000। इस तरह स्टरीलाईजेशन का टारगेट रखा था 48,000 उसमें सफलता मिली है केवल 8,000। इतनी कमी क्यों रही? टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ? इतनी कमी क्यों हुई? केवल 7 प्रतिशत सफलता?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्टाफ की कमी और···

श्री अध्यक्ष : जनता की उदासीनता।

श्री देवीदत्त (बारां) : क्या यह सही है कि विशेष जाति के लोग परिवार नियोजन में भाग नहीं लेते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री महोदय ने उत्तर में जिन डाक्यूमेंट्स को रेफर किया है, उनको सदन की मेज पर रखा जाय।

श्री विजयसिंह : कितनों ने लूप लगवाये और कितनों की कमी है···

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर हमारे देश की सारी प्लान्स निर्भर है और इसको उस दृष्टि से नहीं चला पाते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार इस बात को महसूस करती है कि यह हमारा नेशनल प्रोग्राम है और इसको तेजी के साथ, दिलचस्पी के साथ चलाने का हमारा पूरा इरादा है और इसमें आपका भी पूरा सहयोग लेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री हीरा भाई : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है···

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। जन स्वास्थ्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गोगुन्दा-ओगणा सड़क का निर्माण

207. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : क्या मीणा सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गोगुन्दा से ओगणा सड़क अब तक कितने मील बनी हुई है?

(2) क्या यह सत्य है कि इस सड़क को आगे बनाने की मंजूरी हो चुकी है? यदि हां, तो कार्य क्यों शुरू नहीं किया गया?

उत्तर

(1) 8 मील सड़क ग्रेवल व 14 मील फेयर वेदर है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं।

(12.15 म. प.)

जयपुर नगर में सैनिकों को प्लाट्स के आवंटन संबंधी विवरण

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इस सदन में जयपुर नगर में सैनिकों को प्लाट्स के आवंटन के सम्बन्ध में दिनांक 31-5-67 को एक प्रश्न पूछा गया था। कई माननीय सदस्यों ने विस्तृत जानकारी चाही थी जिस पर माननीय अध्यक्ष ने आदेश दिया था कि तमाम जानकारी विवरण के रूप में सदन की मेज पर रखी जाय। अतः यह विवरण मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण इसकी प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(12.18 म. प.)

ओवरसियर्स के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

78 ओवरसियर मिकेनिकल तथा 142 ओवरसियर सिविल की भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को 20 मई, 1966 को विभाग द्वारा लिखा गया। कुछ पदों के कम होने के कारण व 10 प्रतिशत पदों का प्रोमोशन कोटा में होने के ध्येय से सिविल ओवरसियर्स की संख्या 111 व मिकेनिकल ओवरसियर्स की संख्या 68 करदी गई।

रिक्वीजीशन में ओवरसियर की योग्यता प्रमाणित डिप्लोमा रखी गई थी। राज्य सरकार ने सन् 1965 में ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास प्रमाणित डिप्लोमा अथवा डिग्री नहीं हो उनके लिये कुछ योग्यतायें निर्धारित की थीं। परन्तु लोक सेवा आयोग की सलाह के अनुसार सीधी भर्ती के लिए इन योग्यताओं को नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त इस बात को भी ध्यान में रखा गया था कि प्रमाणित डिप्लोमा तथा डिग्री वाले व्यक्ति काफी संख्या में उपलब्ध हैं। लोक सेवा आयोग ने 30 सितम्बर को इन पदों का विज्ञापन निकाला। इसी बीच सरकार की दिनांक 21 नवम्बर, 1966 की अधिसूचना के अनुसार यह पद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से निकाल लिए गए। लोक सेवा आयोग ने इस अधिसूचना के अनुसार विभाग को सूचित किया कि वो भर्ती का कार्य आगे जारी रखे या नहीं। विभाग ने यह सूचित किया कि अब यह कार्य विभाग स्वयं ही करेगा। इसके उत्तर में लोक सेवा आयोग ने सूचित किया कि उक्त अधिसूचना का अर्थ केवल इतना ही है कि आयोग की सलाह ऐसी भर्ती करते समय नहीं ली जावे लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ये पद आयोग के मार्फत भरे जावें तो वे अवैध होंगे। शासन सचिव, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर, ने भी लोक सेवा आयोग को इन पदों की भर्ती करने के लिए पुष्टि कर दी।

इसके पश्चात् लोक सेवा आयोग ने इन पदों के लिए साक्षात्कार किए जिसमें विभागीय प्रतिनिधि भी उपस्थित था और विभाग को चयन किए हुए व्यक्तियों की सूची भेज दी जिसके अनुसार विभाग ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। चयन किए हुए व्यक्तियों की सूची में विभाग में पहले से कार्य कर रहे व्यक्ति भी हैं व बाहर के भी हैं जिसका विवरण इस प्रकार है :—

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

(1) आयोग द्वारा चयन की गई कुल संख्या 111

(2) विभाग के पहले से कार्य कर रहे ओवरसियर जो अस्थाई नियुक्त किये गये 108

(3) विभाग में कार्य कर रहे व्यक्ति जो आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिये आये 96

(4) विभाग के व्यक्ति जो आयोग द्वारा चयन कर लिये गये · 56

(5) विभाग में कार्य करने वाले ओवरसियर जो चयन नहीं हुए अथवा आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए 53

इसके अतिरिक्त 6 ओवरसियर ऐसे हैं जिनके पास प्रमाणित डिप्लोमा नहीं हैं और विभाग में 1961 से पहले काम कर रहे हैं जिनको स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन होने का मौका दिया जावेगा ।

(क) ओवरसियर मिकैनिकल– आयोग द्वारा चयन की गई कुल संख्या 68

(ख) विभाग के पहले से कार्य कर रहे ओवरसियर की संख्या जो अस्थाई नियुक्त किये गये 74

(ग) विभाग में कार्य कर रहे व्यक्ति जो आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिये आये 49

(घ) विभाग के व्यक्ति जो आयोग द्वारा चयन कर लिये गये 35

(ङ) विभाग में काम करने वाले ओवरसियर चयन नहीं हुए और आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए 39

जो ओवरसियर हटाये गये वे कनिष्ठतम थे और उनकी नियुक्ति केवल चार माह के लिये इस आधार पर की गई थी कि आयोग द्वारा चयन किये गये व्यक्तियों के आने पर या उनकी अवधि जो समय समय पर बढ़ायी जा सकती है उसके समाप्त होने पर जो भी पूर्व हो, उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेंगी। जो विभाग में काम करने वाले ओवरसियर हटाये जा रहे हैं उनमें कोई ऐसा ओवरसियर नहीं है जो राज्य सरकार द्वारा सन् 1955 में हुई नियुक्तियों के लिये निर्धारित योग्यतायें रखता हो या जिनके पास प्रमाणित डिप्लोमा नहीं हो। क्योंकि उनका चयन विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा होगा वरिष्ठता के अनुसार। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति वरिष्ठता के अनुसार नहीं हटाया जा रहा है जो 1955 से पहले का नियुक्त हो और इसके अतिरिक्त रिक्त स्थानों को भरने में पहले उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जावेगा जो आयोग की सूची के अनुसार विभाग में काम नहीं कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आयोग द्वारा किये गये सम्पूर्ण चयन को ही अवैध मान लिया जाय तो इस के परिणामस्वरूप जिन विभागीय व्यक्तियों का चयन हुआ है तथा जो बाहर के व्यक्ति चयन किये गये हैं उनमें भयंकर असंतोष व्याप्त हो जावेगा। यदि नियमानुसार ऐसे हटाये गये ओवरसियर्स को कोई मुआवजा देना होगा तो अवश्य दिया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : ठीक है साहब।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो ओवरसियरों को हटाने का प्रश्न है इसमें एक तथ्य अपने उत्तर में माननीय मंत्रीजी बताना भूल गये। और वह यह है कि जब इन ओवरसियर्स को, इसके पद को पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से हटा लिया गया तब जिन लोगों के अपोइन्टमेन्ट्स हुए उस अपोइन्टमेन्ट लैटर में इस बात को काटा गया कि उनका अपोइन्टमेन्ट टेम्परेरी है और जब पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई दूसरे लोग सिलेक्ट किये जावेंगे तो उनको हटा दिया जावेगा ये शब्द उसमें काट दिये गये और यह बात उसमें लिखी हुई है कि उनका प्रमोशन डिपार्टमेन्टल एक्जामिनेशन के द्वारा किया जावेगा। इसका मतलब यह हुआ कि नवम्बर, 1966 में गवर्नमेंट ने इस पद को पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से निकाल लिया तो इस प्रकार के व्यक्तियों का कन्फरमेशन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट पर निर्भर न होकर खुद डिपार्टमेन्ट द्वारा डिपार्टमेन्टल एक्जामिनेशन के द्वारा होना तय हुआ। इसलिये ये तमाम व्यक्ति चाहे ये नवम्बर 1966 के गवर्नमेंट के डिसिजन के पहले से या बाद में हों, ये तमाम के तमाम व्यक्ति जो पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में न रहने के कारण वे तमाम डिपार्टमेन्टल एक्जामिनेशन के जरिये कन्फर्म होने वाले थे और पब्लिक सर्विस कमीशन की यह राय थी और जब गवर्नमेन्ट का यह निर्णय पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहुंचा तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक पत्र द्वारा चीफ इन्जीनियर साहब को यह सूचना दी कि चूंकि यह पद उनके परव्यू से निकाल दिया गया है इसलिये अब इसमें इन्टरव्यू लेने के पहले वे आगे बढ़ें या न बढ़ें। यह लेटर मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। लेटर नं. F. 17 (18) 35. B 66-67 dated 7th Dec. 1966.

असिस्टेन्ट सैक्रेटरी, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चीफ इन्जीनियर को लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है :—

"I am directed to say that on requisition being made vide your letter No... ...... dated......, the Commission advertised for 142 posts of Engineering Subordinates by advertisement No. ....But subsequently the Government has excluded the said posts from the purview of the Commission vide their Notification dated 24th November, 1966. Since the advertisement was issued prior to the Government's Notification, I am directed to request you to let me know whether the Commission may proceed further to select or recommend the requisite number of candidates for the posts advertised."

श्री अध्यक्ष : Is it the original ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is a copy. Though it is a typed copy I will authenticate it if they challenge it. यह अगर चेलेन्ज करें।

श्री अध्यक्ष : This is for my information only. मेरी इन्फॉर्मेशन के लिये है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टाइप्ड कापी है। अध्यक्ष महोदय, तो पब्लिक सर्विस कमीशन··

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अनअप्रोयेन्टीकेटेड कापी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनअप्रोथेन्टीकेटेड कैसे है ? उसको कोट कर सकते हैं और माननीय सदस्य सदन के पटल पर रखने के लिये उस पर दस्तखत करके दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं ओवर लुक करता हूं। आगे बढ़िये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन यह करने का है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद गवर्नमेन्ट को यह सजेस्ट किया कि गवर्नमेन्ट का इसमें डिसिजन हो कि हम इन्टरव्यू करें या न करें। एडवरटाइजमेन्ट तो पहले निकाल दिया था। जो एप्लीकेन्ट्स थे उनके प्रत्येक के दस रुपये के हिसाब से दस हजार रुपये जमा हुए पब्लिक सर्विस कमीशन में डिपार्टमेन्ट यह कहने लगा कि यह रुपया हमें दे दो। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि इन्टरव्यू हम नहीं करेंगे तो केन्डीडेट को यह रुपया लौटाना पड़ेगा। फिर इसमें गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने उनको लिख दिया कि आप इन्टरव्यू कर लें। अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया है कि गवर्नमेंट ने जो क्वालिफिकेशन इस पद के लिये स्वीकार कीं वे क्वालिफिकेशन उनसे डिफरेन्ट थीं जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवरटाइज की थीं। तो इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो इन्टरव्यूज लेकर के सिलेक्शन किया गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेन्स्ट प्रेस नोट निकाल देने के बाद किया गया। जिस प्रकार की योग्यता चाही है वे क्वालिफिकेशन्स निर्धारित क्वालिफिकेशन्स से डिफरेन्ट हैं इसलिये मेरा यह कहना है कि जितना रिक्रूटमेन्ट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किया गया वह लीगली सही नहीं है, कोन्स्टीट्यूशनली भी सही नहीं है। कोई भी ओथोरिटी चाहे वह पब्लिक सर्विस कमीशन हो, गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद कोई भी ओथोरिटी वह नहीं थी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नोटिस में लाने के बावजूद डिपार्टमेंट इल्लीगल काम को लीगल नहीं कर सकता।

मैं समझता हूं जो एडवरटाइजमेंट के अनुसार अपोइन्ट किये गये हैं उनको सिविल राइट है इस तरह की इल्लीगल कार्यवाही से वेलीड करने न चीफ इन्जीनियर को अधिकार है और न पब्लिक सर्विस कमीशन को ही अधिकार है जब तक कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन को नहीं बदले। मेरा यह निवेदन है कि ये तमाम लोग इतने अर्से से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। गवर्नमेन्ट के पे ग्रेड आदि को लीगल समझते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से निकाला है कोई जह नहीं कि लीगल राइट्स का, जो अपोइन्टीज को है, वह हनन करें। इससे आप उनको मजबूर कर रहे हैं वे कोर्ट्स में जाकर इस बारे में न्याय हासिल करें।

मैं निवेदन करूंगा कि यह क्लीअर डिसीजन है उस डिसीजन को अगर गलत समझते हैं तो आयन्दा रिक्रूटमेंट के बारे में वापिस पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में इस जोब को रख दिया गया है तब तो यह बात समझ में आ सकती है। जब इस प्रकार की बात नहीं है, नवम्बर 1.6. के डिसीजन में उसी तरह आप ठहरे हुए हैं तो वैसी हालत में आयन्दा पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं करेंगे तो फिर केवल एडमिनिस्ट्रेटिव इनकनवीनियेन्स की वजह से पब्लिक सर्विस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कमीशन ने एडवरटाइजमेंट कर दिया तो केवल इसी बिना पर कुछ लोगों को सर्विसेज में ले लिया उन पर कुठाराघात कर दिया जाय यह अनुचित है।

तो, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय इस बात का जवाब देंगे कि क्या यह बात नहीं है कि कुछ लोगों को अपोइन्टमेंट दे दिया गया उन अपोइन्टमेंट लैटर में यह काटा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन से बेटर व्यक्तियों के रिक्रूट हो जाने के बाद उनको हटा दिया जाय? डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन होने पर उनका कन्फरमेशन होगा, आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होल्ड कीजिये, यह जो रास्ता रखा है उसके बाद पास हो जाते हैं उनको कनफर्म करिये नहीं पास होते हैं तो उनको आप दूसरी तरह से डील कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री !

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रामानन्द जी ने जो भावना व्यक्त की है उस भावना से मैं भी अभिभूत हूं। मैंने इस बारे में कोई न कोई रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की है, इस मामले को एग्जामिन करने की कोशिश की है। जैसा कि अभी रामानन्द जी ने फरमाया कि जब उनको पब्लिक सर्विस कमीशन की परव्यू से निकाल दिया तो फिर इन्टरव्यू के लिये भेजने की क्या आवश्यकता थी? मैं निवेदन करना चाहता हूं यह पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन 30 सितम्बर, 1966 को निकला और डिलिमिटेशन गवर्नमेंट का ऑर्डर 22 नवम्बर, 66 का है। पहले से ही वे उससे सील्ड हो गये यह कार्य उनको दिया जा चुका था। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमिशन की मन्शा नहीं थी या इस प्रकार की बात थी उस विषय में जो पत्र उनका आया है श्री जगदीश शर्मा, सैक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 12 जून, 67 को लिखा के. एन. भार्गव के पत्र के उत्तर में जिसमें भार्गव सा० ने लिखा था कि हमें डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इत्यादि के लिये आज्ञा दी जाय वह लैटर मौजूद है। उसके पहले पैरे को छोड़ देता हूं दूसरा पैरेग्राफ पढ़ देता हूं।

"On the other hand, the relevant provisions of the Limitation of Functions Regulations only say that the Commission need not be consulted in making appointments to certain types of posts. It does not mean that if these posts are filled through the agency of the Commission, the action would be illegal and invalid. It was in order to avoid delay in making these appointments and to avoid losses of revenue to the tune of Rs. 10,000 and to avoid unnecessary additional work in the office of the Commission in refunding the fees, that it was suggested that the Commission may proceed with the selection."

इससे स्पष्ट होगा कि वह हाई पावर कमीशन यह कह रहा था आप जबरदस्ती हमारे से लेना चाहते हैं तो अलग बात है। ऐसी हालत में इल्लीगेलिटी की चीज नहीं बनती है। जब यह मामला दे दिया है उसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि हमें करने दीजिये। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी बोड़ी वह किस

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)
सिद्धांतों से सिलेक्शन करती है उसके अन्दर कोई वाद–विवाद की आवश्यकता नहीं हो सकती। वह काफी हाइ पावर बोर्ड है

श्री रामानन्द अग्रवाल : पी. एस. सी. जुडिशियल बोर्ड नहीं है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : अगर इल्लीगेलिटी के बारे में हम कनविन्स्ड हैं तो वह मामला हाई कोर्ट को जा चुका है जो हमारे यहां का सबसे बड़ा न्यायालय है जो वे कहेंगे वह मान्य होगा।

मैं इस बात को मानता हूँ इसलिये मैंने इसकी पूरी जांच की है। माननीय रामानन्दजी को इस बात का भय होना स्वाभाविक है

श्री अध्यक्ष : दोनों को भय है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : अगर हम दोनों एक कुर्सी पर आ जायं तो वह भय भी मिट सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भय से तो क्षोभ होगा।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : यदि मैं उनकी तरह होता तो मैं जबरदस्त भाषण देता कि बड़ी भारी ज्यादती हो गई आदि आदि। मुझे भी इस बात का भय था कि इससे किसी अधिकारी के प्रति अन्याय न हो। इसके अन्दर कई प्रकार के अधिकारी भी हैं जो पुराने हैं, बहुत पुराने हैं सन् 61 से पहले के हैं नोन डिप्लोमा होल्डर्स इत्यादि हैं कहीं वे अलग न हो जायं। उनके लिये मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि उनको अलग करने का प्रश्न इसमें नहीं आता। जो चयन के लिये गये वे डिप्लोमा होल्डर ही गये और मेरिट पर ही सिलेक्शन हुआ और और भी अधिक बुलाये गये हैं। वे भी मेरिट पर सिलेक्ट हुए हैं और केवल वे चार चार महीने की नियुक्ति पर थे। इससे अधिक नहीं। 61 या उससे काफी पुरानों पर दखल इसमें नहीं पहुँचता।

तो इस दृष्टि से यह तो स्पष्ट हो जाना चाहिये कि इस प्रकार के जो व्यक्ति अर्से दराज से काम कर रहे हैं वे किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन को रखते हों, उनको हटाने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन केवल जिन्होंने पी. एस. सी. के एडवरटाइजमेंट पर एप्लाई किया और इन्टरव्यू देकर जिनकी छटनी की गई उन्हीं पर ये सारी बातें आती हैं।

अब किसी प्रकार से माननीय सदस्य ने फरमाया कि उस ऑर्डर में केवल इतना ही था उस ऑर्डर के बारे में भी मैंने जानकारी की है और जहां तक मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं निवेदन करता हूँ...

श्री नाथीसिंह: हाई कोर्ट से फैसला हो जावेगा साहब।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : वह तो होगा ही।

तो वे लाइनें हैं। विभाग ने कहा कि काटी नहीं गई। अण्डर लाइन की गई हैं।

"The appointment will be for a period of four months or till suitable candidates are made available by the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer, whichever is earlier.

These appointment orders are on purely temporary basis, subject to the selection of candidates by the Rajasthan Public Service Commission."

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)
तो यह आई।

पर इस बात को भी हम और तरह से जानकारी करें तो जब कैन्डीडेट ने एप्लाई किया, इण्टरव्यू में शरीक हुए तो स्पष्ट कर देता हूं कि आॅर्डर की मंशा वही थी जो नोर्मली हुआ करती है कि किसी ने भी सेवा के लिए जो बुनियादी सिद्धान्त हैं कि पी. एस. सी. के परव्यू में अगर हो तो उस वक्त तक जब तक पी. एस. सी. चयन न करे, उन सेवाओं को अस्थायी रखा जावे।

अगर डिपार्टमेंन्टल कमेटी भी बैठती तो वही हालत उनकी रहती और वैसे ही चयन होता। आज हम नहीं कह सकते कि पी. एस. सी. के निर्धारित सिद्धान्त गलत हैं। डिपार्टमेंट के क्राइटेरिया तो एक प्रकार के थे। पर पी. एस. सी. ने जारी किया कि डिप्लोमा होल्डर होने चाहिये और जो भी चयन के लिये गये वे सब डिप्लोमा होल्डर थे। तो इस बेसिस पर किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया कि उनके पास अनरिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट हैं, या मैट्रिकुलेट हैं, या इतने साल का है, या डिप्लोमा होल्डर नहीं हैं। केवल उन्होंने डिप्लोमा होल्डर को अपने तरीके से जांचा और उनको योग्यता के अनुसार उस पर उनका चयन हुआ।

अब और निवेदन कर दूं कि ये जितनी 111 पोस्टें एपिअर हुईं उनमें से विभागीय जो केन्डीडेट थे उसका भी मैंने हिसाब निकाला है 68 में से 35 थे. 35 दूसरे थे और इसी तरह से सिविल साइड में है। यह मिकेनिकल साइड थी। सिविल में 55 में से 33 थे। अब आज इनमें से भी सम्भव है कोई जोइन न करना चाहे। और भी वेकेन्ट पोस्टें होंगी। तो यह प्रयत्न होगा कि उन्हीं के द्वारा भरी जावें।

श्री अध्यक्ष : अब सम्भावना है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : बिल्कुल और उनको फिर से मौका दिया जावे कि जो कुछ भी उनका मैरिटाइजेशन के आधार पर रिजेक्शन हुआ तो उनका मैरिट के अनुसार सिलेक्शन हो सके और आ सकें ऐसा प्रयत्न किया जावेगा। पर आज अगर जैसा कि वक्तव्य में कहा जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा संक्षिप्त कर दें।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : जो चयन हो चुके हैं उन्हीं के मामले सामने आ जावेंगे। वे आन्दोलन करेंगे चाहे इधर से खींचे चाहे उधर से खींचें गुदड़ी तो जितनी है उतनी है। छोटी है। पूरी हो नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : दोनों और से नहीं खींचें तो मुझे समय मिल सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपको इसके लिये भी तैयार हो जाना चाहिये।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : साधन सिमित रुपया सीमित, सिलेक्शन भी करने पड़ते हैं। कुछ नाराजगियां भी होती हैं। पर मेरी तो भावना परिपूर्ण हैं कि मैं सबको लगा दूं। पर सरकारी महकमा है यह। अपना प्राइवेट तो है नहीं।

अब उसमें तो अपने तरीके से ही सब काम चलते हैं। इसलिये निवेदन करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो सब कुछ को लगादो पर तब जब आपकी नौकरी पक्की हो।

श्री अध्यक्ष : फिर समझ लेगा सदन अभी तो सब को लगा दो आप तो यही है ना आपका कहने का मतलब ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आर्डर··

श्री अध्यक्ष : मैं यह पूछना चाहता था कि जो दूसरा अंग है वक्तव्य का उसके समाप्त होने के बाद आप पूछ रहे हैं या बीच में ही पूछ रहे हैं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : समाप्त हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : तो अच्छा है आप पूछ लीजिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री जी ने तो यह कहा है कि वे शब्द कटे नहीं हैं अण्डर लाइन किये हुए हैं ऐसा मेरा ख्याल है विभाग ने बताया होगा ।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : विभाग ने बताया और विभाग के भी बताने पर मैं माना नहीं । वे एडवरटाइजमेन्ट हुआ और चयन कर लिये गये तो स्पष्ट हो गया कि वह चीज मानी हुई थी । उनके ध्यान में थी । तो इसलिये उस बात को मानना पड़ता है कि विभाग ने जो बताया वह सही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पत्र ओरिजिनल आप स्वयं मंगाकर देख लें । जो अपोइन्टमेन्ट लेटर अपोइन्टीज को मिला है । मेरे पास इसकी साइक्लोस्टाइल कापी है सीक्वेन्स से भी यही लगता है कि यह कटा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : आपकी प्रति तो दूसरे तरीके की है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें साफ लिखा है ।

श्री अध्यक्ष : वह पत्र कहां है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पी. एस. सी. के पास है । यह पत्र इश्यू हुआ है चीफ इन्जीनियर हैल्थ के यहां से ।

श्री अध्यक्ष : कहां से प्राप्त हो सकेगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय ने स्वयं ने देख लिया है ।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं उस पत्र की प्रतिलिपि हूबहू यहां प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : वह सिर्फ यह है प्रतिलिपि नहीं । तिल मात्र का फर्क है अण्डर लाइन है या ऊपर आ गया है ।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इस पत्र को मैं दे रहा हूं । कहीं तो अण्डरलाइन करने जैसा है कहीं ऊपर आ गई है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : ओरिजिनल है ? I will have it.

(प्रतिलिपि दी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : अब आप पोइन्टेड प्रश्न पूछ लीजिए । मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय खुद को दुबारा सैटिस्फाई करलें कि आया यह कटा हुआ है या अण्डरलाइन किया हुआ है। पूरा पढ़ेंगे तो सही कन्टेक्ट में यही मालूम होगा सीक्वेन्स में भी यही मालूम होगा कि यह कटा हुआ है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं और गहरा इसमें जाऊंगा पर जो आज तक तथ्य मालूम पड़ते हैं उनसे बोनाफाइडी मालूम पड़ती है, मेलाफाइडी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी बोनाफाइडी में हमें सन्देह नहीं है। पर सवाल यह है कि दूसरी बात यह कही गई कि पी. एस. सी. ने यह कहा कि हम अपोइन्टमेन्ट्स अगर कर दें तो इल्लीगल डिक्लेयर नहीं किया। टाइम सैव करने के लिए ऐसा कहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की पी. एस. सी. की पनिशमेन्ट एक जूडिशियल पनिशमेन्ट के रूप में न मानें। यह इन्टरप्रोटेशन पी. एस. सी. का सही नहीं है। जो योग्यता 22 नवम्बर 66 को स्वीकार की उससे लोअर थी। अगर इक्विवेलेन्ट होती तब भी पी. एस. सी. का वह इन्टरप्रोटेशन सही हो सकता था। We are not at all taking that as legal pronouncement. We are only convinced that what they have said is correct. Further, it is already in tho High court.

आपने अपने लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट किया है क्या इसके बारे में? पब्लिक सर्विस कमिशन को इन्टरव्यू होल्ड करने के पहले लॉ डिपार्टमेन्ट को कन्सल्ट करना चाहिए था वह किया गया?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : नहीं किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लॉ डिपार्टमेन्ट को कन्सल्ट नहीं किया। इसलिए सर्विस कमीशन में चाहे कितने ही हाई आदमी बैठते थे लेकिन उनको जुडीशियल प्रोनाउन्समेंट की अथोरिटी नहीं थी। आपको लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट करना चाहिए था।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : Even Law Department's opinion will not be a legal pronouncement.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Law Department is at least authorised to give such an opinion to the Government. They are the proper authority. आप जाते हैं और अस्पताल में डाक्टर सरीन से पूछ लेते हैं तो वह सही माने में ओपीनियन नहीं होती।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने तो दोनों सरीन से पूछा और दोनों ने अलग-अलग राय दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो लीगली आपको वह इन्टरव्यू कराना सही नहीं था और जो पहले लोगों को अपाइन्टमेन्ट दिया इनको कन्फर्म करो उनको हटा नहीं सकते। आपकी यह डिफिकल्टी कि कुछ लोगों का इन्टरव्यू कर लिया और वह भी आपके सामने सिरदर्द हो गया तो यह प्रोबलेम आयेगी तो उस का भी हम हल बता देंगे। लेकिन जो पहले वाले हैं उनके साथ आप अन्याय मत कीजिए। अगर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट लीगली एग्जामिन करे तो आप अपने डिसीजन को स्टे करें। आपके दिमाग में भी डाउट है मुझको नजर आ रहा है··

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि स्टे कर दो तो स्टे करने की बात होती तो वह हाई कोर्ट ही स्टे दे देता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो रिट में गये वह खुद इन्टरव्यू में चले गये और क्योंकि..

श्री अध्यक्ष : यह मसला हाई कोर्ट में पेन्डिग है क्या ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : पेन्डिग है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं ! जानना चाहूंगा कि यह मसला हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के रूप में पेन्डिग है और इसका डिसीजन और होना बाकी है यह क्या तथ्य है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार इन्टरव्यूज होने से पहले एक ओवरसियर ने रिट दायर की थी क्योंकि वह ओवरसियर खुद इन्टरव्यू लेने चला गया इसलिए उसका रिडम्डेन्ट हो गया। मेरी जानकारी के अनुसार उसको स्टे नहीं मिला..

श्री अध्यक्ष : मेरा पाइन्ट है कि हाई कोर्ट के कन्सीडरेशन में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरी जानकारी के अनुसार रिट पेन्डिग में नहीं है लेकिन कोई केस इस सिलसिले में है ऐसी सूचना मिली। लेकिन निश्चित रूप से वह केस किस रूप में है यह मैं नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : तो इस आधार पर चूंकि यह प्रश्न इससे सम्बन्धित किसी भी रूप में हाई कोर्ट में रिट या और किसी रूप में सबजुडिस है इसलिए मैं बाध्य होकर इसको बन्द करता हूं और अब इस मसले पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री लालूराम ढुलाणिया (फागी) : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को जानकारी होनी चाहिए...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य यह प्रश्न ! थोड़ा कानून का है पेचीदा है इसलिए इसमें मत भूलिये।

दूसरा प्रश्न है नगरपालिका छापर के कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं चुकाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाभचन्द द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव।

इसमें कुछ सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिए मैं इसको पोस्टपोन करता हूं। एक दो रोज के बाद इसको ले लिया जायेगा।

श्री लाभचन्द : अध्यक्ष महोदय, वहां पर 78 दिनों से हड़ताल चल रही है..

श्री अध्यक्ष : मैं कल या परसों इसको ले लूंगा।

श्री लाभचन्द : छापर नगर की बुरी हालत हो रही है।..

श्री अध्यक्ष : आज की अव्यवस्था नगरवासी और सह लें, कल मैं इसको ले लूंगा।

(12.55 म. प.)

स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : 2 स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं। एक महालक्ष्मी मिल ब्यावर के श्रमिकों के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का न होने के कारण मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति तो नहीं देता पर इसकी स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु मैं

(श्री अध्यक्ष)
चाहूंगा कि श्रम मंत्री महोदय 7 जून को एक वक्तव्य दें।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना हिन्डोन शहर में जल संकट के सम्बन्ध में श्री श्रवणलाल ने दी है। यह मामला इतना अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर विचार करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे। इसके अतिरिक्त इस मामले पर श्री श्रवणलाल दिनांक 31–5–67 को सदन में एक प्रश्न भी पूछ चुके हैं। अत ऐसी स्थिति मे इस प्रस्ताव पर मैं अपनी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि इसके लिए मैंने एक प्रश्न भी पूछा था तो उस प्रश्न में जो कुछ मैंने पूछा है उसमें भी मंत्री महोदय ने कहा था कि इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं है.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह मैंने व्यवस्था दे दी है। अच्छी है, बुरी है व्यवस्था है। अब उसके बाद में इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रवणलाल : मैं आपके प्रति कोई बात नहीं कह रहा हूं। मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि इस प्रकार की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इस सम्बन्ध में इस समय कोई बातचीत नहीं होगी।

(12.57 म. प.)

विशेषाधिकार प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : एक विशेषाधिकार का प्रश्न श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने झालावाड़ जिले के अन्तर्गत 'डग' विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री लक्ष्मण टानीवाल सदस्य विधान सभा पर राज्य के कतिपय अधिकारियों द्वारा कांग्रेस दल में सम्मिलित होने के लिए उन पर डाले गये दबाव आदि के बारे में जो श्री लक्ष्मण ने राज्यपाल महोदय को लिखे गये एक पत्र में आरोप लगाये उस बारे में उठाया उसके लिए एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना माननीय सदस्य ने दी है। उस सूचना में यह भी कहा गया कि इस प्रकार की कार्यवाही से सम्बन्धित सदस्य एवं सदन का अपमान हुआ है।

मैंने इस सम्बन्ध में मेज पार्लियामेण्टरी प्रेक्टिस तथा उससे सम्बन्धित अन्य पुस्तकों का काफी अध्ययन किया। ऐसे विशेषाधिकार का प्रश्न कहीं भी मुझको अध्ययन करने को नहीं मिला। इसी तरह से दूसरी विधान सभाओं की व्यवस्थाओं पर भी मैंने निगाह डाली और वहां भी प्रयत्न किया कि इस प्रकार का कोई प्रश्न मुझको सहयोग और सुझाव देने के लिए कुछ मिल सके, लेकिन मुझको कहीं इस सम्बन्ध में सहायता नहीं मिल सकी। मै सिर्फ इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर यह व्यवस्था देना चाहूंगा कि ऐसे विशेषाधिकार के प्रश्न का निर्माण किया जाना नए तरीके से उचित नहीं होगा और जो विशेषाधिकार के प्रश्न अब तक अध्ययन हेतु या निर्माण किये हुए प्राप्त होते हैं जिनसे मार्ग दर्शन हमको मिलता है वह हाउस आफ कामन्स से हैं। ऐसी स्थिति में जो भी ऐसे विशेषाधिकार के प्रश्न जिनका अनुकरण

(श्री अध्यक्ष)

हम कर सकते हैं वह संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व हाउस आफ कामन्स की व्यवस्थाओं में उल्लेख है, उन्हीं का अनुकरण किया जा सकता है। मैं इस प्रश्न के तथ्यातथ्य पर तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन चूंकि विशेषाधिकार का प्रश्न है और उसका नया निर्माण उचित नहीं है और यह प्रश्न भी इतना पुराना और ऐसी स्थिति का है कि जिसको अब उठाया जाना और उस पर निर्णय देना भी मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न पंजाब लेजिस्लेटिव असेम्बली में भी आया था।

(I म. प.)

उस विधान सभा में भी इस प्रस्ताव को ड्रोप किया गया है, अतः मैं इसको उठाए जाने की अनुमति नहीं देता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में, जिसको उठाए जाने की अनुमति आपने नहीं दी है। उस व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि प्राइमाफेसी विशेषाधिकार के भंग का मामला था, और तभी आपको इतना कष्ट उठा कर, इतनी लम्बी व्यवस्था उस विशेषाधिकार प्रस्ताव को अस्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में देनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव नया निर्माण हो रहा है इस इस सम्बन्ध में जो आपने कहा है मैं उस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि क्या यह मान कर चलें कि विशेषाधिकार भंग का कोई भी मामला ऐसा नहीं उठ सकता है जिस तरह का विशेषाधिकार भंग का मामला पहले कभी नहीं हुआ हो या हाउस ऑफ कामन्स में इस तरह का कोई मामला न मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इसमें प्राईमाफेसी आपने जो कुछ भी व्यवस्था दी है उसके अनुसार मुझे और सदन को इतना विश्वास तो हो गया है कि इसमें कुछ न कुछ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मैटर है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के क्वेश्चन के बारे में इतनी लिबरल व्यवस्था है हमारे नियमों में केवल मात्र दस सदस्यों का समर्थन भी यदि मिल जाय, अविश्वास प्रस्ताव के लिए तो फिर भी 35 सदस्य चाहिए लेकिन प्रिविलेज के क्वेश्चन को रेफर करने के लिए केवल दस सदस्यों की उपस्थिति और उनका समर्थन ही पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि यह सारी बातें नियमों के अन्दर व्यवस्था के अन्दर हैं कि प्रिविलेज का कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें दस सदस्यों का समर्थन है तो उसे प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर देना चाहिए बशर्ते की प्रिविलेज की सारी स्थितियां संतुष्ट होती हों। अध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ भी इस सम्बन्ध में व्यवस्था देनी थी वह तो आपने दे दी। ज्यादा अच्छा होता यदि ऐसे महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में, जो इतना सीरियस मामला है कि एक विरोधी दल के सदस्य को, और भी कई सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है और भी कई सदस्य विरोधी दल के कांग्रेस में मिले हैं, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिन परिस्थितियों में की है, उनके सम्बन्ध में मैंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं रखा, लेकिन माननीय सदस्य जो इस में आए हैं श्री लक्ष्मण, उन्होंने इस सदन में वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आधार पर उन्होंने जो सदन की मेज पर राज्यपाल महोदय को लिखे गए पत्र की प्रति रखी, उसके आधार पर मैंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा है। बाकी जिन माननीय सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी जोइन की है उनके बारे में विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं रखा है। बाकी सदस्यों के बारे में तरह तरह के आरोप भी सरकारी अधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन उनके बारे में मैंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं रखा है, लेकिन मैंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव उस सम्बन्ध में रखा है कि इस सदन में जो वक्तव्य ढंग से आने वाले माननीय सदस्य लक्ष्मण ने हाउस में दिया। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न सदन की दूसरी परम्पराओं से रिलेटेड नहीं है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह पुराना मामला नहीं है। मैंने विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उसी दिन, उसी रोज जिस रोज की इस सदन में श्री लक्ष्मण का वक्तव्य हुआ उसी रोज विशेषाधिकार भंग होने का प्रस्ताव रखा है। इसलिए पुरानी बात का सवाल ही नहीं है। नई पुरानी का सवाल खड़ा नहीं होता है। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को अस्वीकार करके न केवल हम रूलिंग पार्टी को यह मौका देना चाहते हैं, रूलिंग पार्टी को इस तरह से काम करने का अवसर देना चाहते हैं कि सरकार के अधिकारी इस प्रकार कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहें

(शोरगुल) (व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष मुझे भी कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : चूंकि, जो व्यवस्था इस आसन के द्वारा दी गई है उसके प्रति माननीय सदस्य को क्षोभ है, इसलिए मैं सिर्फ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आर्टिकल 194 आफ दी कांस्टीट्यूशन को देखें। मेरी जो दिक्कत रही है और जिस पर आपने शंका प्रकट की है कि क्या अलग तरह से विशेषाधिकार का निर्माण नहीं हो सकता है, यह सब की, और आपकी दुविधा है। मैं आपका ध्यान आर्टिकल 194 आफ दी कांस्टीट्यूशन, क्लाज (3) की तरफ दिलाता हूं :

"In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law and until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this constitution."

इसलिए मैंने जो व्यवस्था दी है, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस व्यवस्था के आधार पर, जो कांस्टीट्यूशन का अध्ययन करने के बाद और सारी स्थिति का अध्ययन के बाद जो मैंने व्यवस्था दी है उसको समझें इसलिए आपके मस्तिष्क में कोई शंका इधर या उधर की नहीं रहनी चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और इसका मुझे विश्वास भी है।

श्री पी. . चौधरी : मैं चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके व्यवस्था देने के पश्चात् तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती है, किन्तु आपकी आज्ञा से मैं अपने विचार भी व्यक्त करना चाहूँगा। आपने कांस्टीट्यूशन की ...

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय विरोधी दल के नेता महोदय, इतना निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आप अपने विचार व्यक्त करें, किन्तु उन विचारों से तथ्यों पर आघात न हो व्यवस्था पर आघात न हो तो सदन की परम्परा को आघात नहीं पहुंचेगा। और मुझे भी बाध्य होकर भाषण के बीच में दस्तन्दाजी करने का मौका न मिले ऐसी मैं आशा करता हूँ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अर्ज करना यह है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय विरोधी दल।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस सदन की परम्परा और प्रतिष्ठा बढ़े इसमें तो किसी की आपत्ति नहीं है। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो हमारे संविधान का रैलेवेंट प्रोविजन पढ कर सुनाया उससे और आपने यह कहा कि मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को जो देखा है और उसे आपने यहां रेफर किया है उससे भी मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि हमारे सदन के समक्ष जो मसला आया है वह एक ऐसा मसला है कि जिसको नजीर शायद दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सके। ऐसी स्थिति में जब कोई वर्जिन ग्राउण्ड कवर करना है तो मेरे खयाल में जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा के अनुसार कामनसेन्स पर हमको हमारी व्यवस्था बेस करनी चाहिए। आज हमारे सामने एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है और उस स्थिति के अन्दर अगर हम कामनसेंस के अनुसार, कामनसेंस के ऊपर ही सारा जुरिस्प्रूडेंस बेस्ड है, तो कामनसेंस के अनुसार अगर यह बात सत्य है कि माननीय जनसंघ के नेता के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, मेरे खयाल में एक सभ्य देश के अन्दर, सभ्य नागरिकों के लिए यह शोभा की बात नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एक सम्माननीय सदस्य पर दबाव डाला जाय ....

श्री पी. . चौधरी : After the Chair has given a decision, it cannot be convessed ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I shall submit to the Ruling of the Chair without mentioning a single word but since I have taken permission from the Chair and I am in possession of the floor, I hope, the members will keep patience to listen to me with atleast sympathy. So long as I am in possession of the flo r, let me have my say.

श्री पी. के. चौधरी : After the decision has been given ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Otherwise on what ?

श्री पी. के. चौधरी : You are....

.. (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : You have no right. It is for the Chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It has got a lot of questions.

श्री विश्वम्बरनाथ जोशी (बांदीकुई) : Permission has been given by Chair involving no more reflections on the Ruling.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चेयर बैठी हुई है। आप नीचे बैठे रहें।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : Every member has a right.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि अगर भावनाओं के रूप से कोई भी स्थिति है तो उस क्षेत्र में परिवर्तन लाया जाय। उसके लिए कोई विरोध किसी को नहीं होना चाहिए। वह चीज अच्छी है या नहीं वह तो व्यक्तिगत भावना से सम्बन्ध रखती है, किन्तु अगर एक सम्माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य चुना जाय उसको किसी कारण से भावना में परिवर्तन लाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के द्वारा दबाव दिया जाय····

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! माननीय नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं नहीं जानता कि दिया गया या नहीं दबाव····

श्री अध्यक्ष : मैं सादर निवेदन करता हूं·····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे ख्याल में यह एक सभ्य देश के लिए·····

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय··

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उसके सभ्य नागरिकों के लिए अशोभनीय व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : यह जो भाषण है माननीय सदस्य का वह प्रोप्राइटरी आफ दी रूलिंग है उसको चेलेन्ज करने वाला है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I shall submit to your ruling.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूलिंग का सवाल नहीं है। आपने कन्सेन्ट नहीं दी। कोई रूलिंग नहीं है। आपने ब्रीच आफ प्रिविलेज के मोशन को मूव करने की सिम्पली कन्सेन्ट नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : वह रूलिंग है। वह मैंने व्यवस्था दी है। उसके विरुद्ध कोई कनवेसिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कन्सेन्ट रिफ्यूज की और कन्सेन्ट को रिफ्यूज करना कोई रूलिंग नहीं होता है। You have simply refused your consent.

श्री अध्यक्ष : I have refused my consent and refusal of the consent is a ruling.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No sir.

श्री अध्यक्ष : I treat it as a ruling.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No Sir.

श्री अध्यक्ष : Therefore I will not allow any conversation of the Ruling.

श्री सती चन्द्र अग्रवाल : Refusal to a motion is not a ruling. I challenge this ruling.

श्री अध्यक्ष : Order. I have said that the refusal of consent is a ruling and that this is a ruling.

श्री सती चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम इस क्वेश्चन को एजीटेट करना चाहते हैं और बुरी तरह से एजीटेट करेंगे और आपकी व्यवस्था को चैलेन्ज करेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और विरोधी दल के लोगों की सरकारी अधिकारियों और प्रशासन में काम करने वाले लोगों से रक्षा के लिए। उसमें चूंकि मुन्नालाल गोयल का नाम आ गया है इसलिए आपने कन्सेन्ट नहीं दी जब कि गवर्नर महोदय के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव हुआ था तो स्पीकर महोदय ने उसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा था। एक हैड आफ दी स्टेट के खिलाफ प्रिविलेज मोशन को प्रिविलेज कमेटी में भेजा था, लेकिन आपने मुन्नालाल गोयल के नाम आ जाने के कारण कन्सेन्ट नहीं दी है··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से फिर निवेदन कर रहा हूं··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बड़ा सीरियस क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत गर्म हो रहे हैं····

श्री सती चन्द्र अग्रवाल : सरकारी अधिकारियों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वे विरोधी दल के लोगों के साथ···· (कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : यह सीरियस क्वेश्चन है। सीमाएं पार नहीं की जानी चाहिएं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

\+ \+ \+ \+ \+

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! ऑर्डर ! ऑर्डर !! ये जो शब्द कहे गये हैं उनको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कर दें।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि यह आपने व्यवस्था दी है लेकिन उसका यह अहम सवाल है। आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं देते हुए मैं यह कहूंगा कि यह एक अहम सवाल है। यह सदन के सदस्यों की मांग है कि एक सक्षम सरकारी अधिकारी को संरक्षण मिले इस बात का कि वह किसी भी तरह से किसी भी सदन के सदस्य को इस बात के लिए मजबूर करे विवश करे कि वह जिन आस्थाओं को व जिस निष्ठा को लेकर आया है उन निष्ठाओं को बदले, उन आस्थाओं को बदले। इसके लिए उसके ऊपर दबाव डाला जाय। वह सदस्य सदन के सामने अपनी कहानी को कहे उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं है उसके लिए वह सदन में उसका निरूपण करे और उस निरूपण करने के बाद उसका इस तरह

\+ ++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री नत्थीसिंह)

से जो अपमान किया जा रहा है, उसको काम नहीं करने दिया जाता है। उस पर बराबर निगाह रखी जाती है तो केवल सदन ही उसको संरक्षण देने वाला है। यह बड़ा अहम सवाल है। एक्जीक्यूटिव, प्रशासन के लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर हावी होते जा रहे हैं। यह बड़ा अहम सवाल है। यहां सदन के लोगों को काम नहीं करने दिया जाता है। लेजिस्लेचर एक सुप्रीम बोडी है इस मायने में कि यहां पर अंकुश रखा जाता है एक्जीक्यूटिव पर, लेकिन एक्जीक्यूटिव जनता के सदस्यों पर अंकुश रखे। यह बहुत ही अहम सवाल है। इसलिए आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाकर सदन की प्रतिष्ठा का सवाल, सदन के सदस्य की प्रतिष्ठा का सवाल मानकर इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे। जिस तरह से आज एक सदस्य के साथ हुआ है व्यवहार, वह कल दूसरों के साथ हो सकता है। आज इनके साथ हुआ है तो कल उधर वालों के साथ भी होगा। यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें। इससे हमें बात कहने का मौका मिलेगा और प्रिविलेज कमेटी में इसकी जांच भी हो जायगी। जब वहां पर गवर्नर महोदय का आचरण डिसकस हो सकता है तो वहां पर एक छोटे से अधिकारी के लिए जो केवल यह सोचता है कि वह राज्य का पदाधिकारी नहीं बल्कि एक विशेष व्यक्ति या विशेष दल का अधिकारी है और इस तरह का बुरा आचरण करे तो यह सब जनतन्त्र पर कुठाराघात है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इन सारी बातों पर पुनर्विचार करें।

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसके दो भाग हो जायं तो अच्छा हो, क्योंकि जहां तक आपकी व्यवस्था का सवाल है तो निश्चित रूप से उस व्यवस्था का पालन करेंगे, लेकिन जहां तक राज्य कर्मचारी का इस तरह का व्यवहार है उस व्यवहार के मुतल्लिक कुछ हमें कह दें तो अच्छा होगा कि यह व्यवहार अच्छा नहीं था। अगर इस तरह से हमारे लोगों को उठा लाते हैं तो राज्य कर्मचारी हमारे पास भी हैं जो उन लोगों को उठा कर बन्द कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि यह सदन के प्रिविलेज का सवाल है। आपकी व्यवस्था पर डिसकशन नहीं करके जो घटना हुई है इसके ऊपर हमारे नेता कुछ विचार रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि व्यवस्था का सवाल है वह ठीक है। उसको हम सब मानेंगे लेकिन जहां तक घटना हुई है इन सदस्य के साथ तो उस घटना को प्रिविलेज कमेटी में एन्क्वायरी के लिए रख दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि अवसर आसन की ओर से जो निर्देश और निर्णय होते हैं वे हमारे लिए शिरोधार्य हैं और कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता है किसी प्रकार से निर्णयों को चुनौती देने का या उनको अस्वीकृत करने का। लेकिन जो प्रश्न माननीय सदस्य लक्ष्मण को लेकर सदन के सामने आया है वह सदन के सदस्यों के अधिकारों से सम्बन्ध रखता है। आज सदन का सदस्य अपने अधिकार की रक्षा के लिए अगर आसन से मांग नहीं करेगा, सदन से मांग नहीं करेगा तो उसके लिए और स्थान कहां है? आज इनके खिलाफ, दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ, दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कोई भी प्रश्न आता है तो सब प्रश्नों को आपके

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सामने लेकर आते हैं। आज एक माननीय सदस्य अपनी सदस्यता के बारे में कि वह किस दल में रहता है अपने अधिकार के बारे में सदन के सामने लड़ना चाहता है तो उस पर दबाव डाला जाता है, प्रलोभन दिया जाता है और डाला गया है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है। उसके सम्बन्ध में एक पत्र माननीय सदस्य ने गवर्नर को दिया। आज इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार नहीं करके और इसको प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायगा और उसकी हत्या हो जायगा, और आने वाला इतिहास हम पर हंसेगा।

यह विधान सभा के लिए एक अहम प्रश्न है, विधान सभा के सदस्यों के लिए अहम प्रश्न उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रश्न है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कहते हैं। दूसरों के लिए नहीं अपने लिए अगर विधान सभा में कहते हैं तो उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया गया। उसकी स्वतन्त्रता को खरीदने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए अधिकारियों का प्रभाव लगे और मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि वह घटना वहीं पर समाप्त नहीं हुई है जैसा कि आपने फर्माया है कि लक्ष्मण का सम्बन्ध बहुत रहा है घटना से उसको बहुत समय हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, घटनाचक्र अभी तक चल रहा है। लक्ष्मण टानीवाल के भाई हैं वे झालावाड़ के अन्दर एस. डी. ओ. के ऑफिस के अन्दर एकाउन्टेन्ट हैं और जिस समय वह चल रहा है तो हीरालाल पर दबाव डाल रहे हैं। वहां के एस.डी.ओ. और दूसरे अधिकारी इस काम में लगे हुए थे और चीफ मिनिस्टर के वर्तमान पी.ए. भी उस काम में लगे हुए थे। वह काम अभी तक चालू है और हीरालाल पर दबाव अभी तक डाल रहे हैं, और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एकाउन्टेन्ट की पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। वह हीरालाल जो लक्ष्मण टानीवाल का भाई है....

श्री मदनसिंह : (सरकारी पक्ष की ओर संकेत कर) आप बीच में बोल नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री पी. . चौधरी : On a point of order.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जिसके माध्यम से लक्ष्मण टानीवाल के ऊपर सरकारी अधिकारी दबाव डाल रहे थे....

श्री खेतसिंह : On a point of order.

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है, माननीय सदस्य!

श्री पी. के. चौधरी : जब इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी गई है चेयर की तरफ से। चेयर की व्यवस्था के बाद में उन्हीं पाइन्ट्स को, जो माननीय सदस्य ने प्रिविलेज मोशन मूव करते समय दिये, दुबारा दोहरा रहे हैं, सारी बात दोहरा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह ठीक है।

श्री पी. के. चौधरी : जब एक डिसिजन दिया जा चुका है उसके बाद में आप उन पाइन्ट्स को स्ट्रैस नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूलिंग पर पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप रूलिंग से सैटिसफाइड नहीं हैं तो दूसरा मोशन लाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूलिंग पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : एक तरफ तो आप कहते हैं कि चेयर की रूलिंग शिरोधार्य है दूसरी तरफ उसको चैलेंज कर रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : चेयर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पर पुनर्विचार करने के लिए।

श्री मदनसिंह दांता : इसका तो मतलब है कि फिर ऐसी घटना हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा इस उदाहरण को देकर कि किस प्रकार लक्ष्मण टानीवाल, जो माननीय सदस्य चुन कर आये हैं, पर दबाव डाला गया सरकारी अधिकारियों के द्वारा और जिसके सम्बन्ध में इस सदन में एक प्रिविलेज मोशन मूव किया गया। उसके बाद भी अभी तक दमन चल रहा है। लक्ष्मण टानीवाल का भाई हीरालाल झालावाड़ में डी. एस. ओ. ऑफिस में अकाउन्टेन्ट है, उसकी पोस्ट को खत्म करके उस व्यक्ति को सरप्लस डिक्लेअर कर दिया गया है··

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : This is a rape of democracy.

श्री कृष्णकुमार गोयल : और अब भी इस कुचक्र के साथ साथ दमन और दबाव का कार्य चल रहा है कि किसी तरह भी दबाव डाल कर लक्ष्मण टानीवाल को कांग्रेस में शामिल करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज वह हीरालाल भटक रहा है, रो रहा है उसका सारा परिवार कि हाय लक्ष्मण, अच्छा एम. एल. ए. हुआ कि सारे खानदान को भूखा मार दिया। इस प्रकार का उन पर दबाव डाल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारे अधिकार का प्रश्न है, यह हमारे स्वातंत्र्य का प्रश्न है और हमारे अधिकार और स्वतन्त्रता के साथ साथ यह हमारी विधान सभा की इज्जत का प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को हम साधारण रूप में नहीं ले सकते। मैं आपसे दुबारा निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने प्रिविलेज मोशन के बारे में निर्णय दे दिया है उसके बारे में आप री कन्सीडर करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय··

श्री पी. के. चौधरी : Give fresh motion.

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक पाइन्ट ऑफ ऑर्डर के द्वारा रूल 157 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रूल 157 में यह व्यवस्था दी है कि कोई भी मेम्बर आसन को इजाजत से कोई भी प्रिविलेज का मोशन उठा सकता है। रूल नम्बर 157 पेज 49, सर·

श्री भीमसेन : वह तो इजाजत नहीं दी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : ठहरिये साहब, ठहरिये। इसके बाद इसके अन्दर एक दूसरा रूल है 158, रूल 158 में उसका एक

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

तरीका दिया गया है कि इसको उठाने के लिए सैक्रेटरी वगैरह को नोटिस दिया जायगा। और 159 में वह कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब की गई हैं जो अमल में एडमिसिबिलिटी के लिए हैं कि प्रिविलेज का क्वेश्चन किन किन शर्तों को, किन किन कन्डीशन्स को फुलफिल करे जिसके आधार पर उसकी एडमिसिबिलिटी समझी जा सके। और वह कन्डीशन्स तीन हैं। अध्यक्ष महोदय, पहली कन्डीशन यह है कि : "Not more than one question shall be raised at the same sitting"

जहां तक मेरी याद है, इस सीटिंग के अन्दर एक से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आफ प्रिविलेज नहीं उठाया जा रहा है। दूसरा इसमें यह है : "the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence"

इसके सम्बन्ध में जो इसके मूवर हैं, जो प्रिविलेज मोशन को लाने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने बता दिया है काज आफ एक्शन और बता दिया है कि किस रूप से एक वक्तव्य माननीय सदस्य ने सदन के पटल पर रखा ..

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाह रहे हैं उस पाइन्ट पर आप डाइरेक्टली आ जाइये। सारे पढ़े हुए हैं रूल्स आफ बिजनेस !

श्री मुकुटबिहारीलाल : ऐसा है, वैसे आसन का इस सम्बन्ध में अनुभव है वह इससे ज्यादा हो सकता है ...

श्री पी. के. चौधरी : है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट कहें। उस प्रश्न के ऊपर आप डाइरेक्टली आ जायें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : वह कहना चाहता हूं। तीसरा इसमें यह सवाल है (व्यवधान) wait please ! वह मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है : The matter requires the intervention of the House.

अब प्रश्न यह है कि जब इस प्रकार प्रिविलेज का मोशन का नोटिस दिया है तो अब हमें देखना है कि उन कन्डीशन्स के अन्दर अगर यह मोशन कवर होता है तो आसन अपनी तरफ से इस सम्बन्ध में व्यवस्था देगा। अब आगे का रूल 160 है, उसके अन्दर एक बात कही गई है और उसमें 'or' शब्द का यूज किया गया है। उसमें खास तौर से यह सिग्निफिकेन्स है वह यह है, स्पीकर महोदय चाहें और यह होल्ड करें कि यह प्रिविलेज का मोशन इन आर्डर नहीं है तो आप रिफ्यूज कन्सेन्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज होल्ड करें कि आर्डर में है तो फिर लीव आफ दी हाउस के लिये हाउस के सामने रखना होगा। इसके अलावा अगर उस लीव के अन्दर ऐतराज हो कि इसको कन्सेन्ट आफ द हाउस नहीं दी जानी चाहिए, लीव आफ मूविंग मोशन नहीं दी जानी चाहिए, और उसके समर्थन में दस सदस्य खड़े हो जाते हैं तो कन्सेन्ट हाउस की तरफ से मिल जाती है। ऐसी इस सम्बन्ध में नियमों की परम्परा है, तो मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि या तो स्पीकर महोदय अपनी कन्सेन्ट दे दें। अगर स्पीकर महोदय रिफ्यूजल करेंगे तो रिफ्यूजल किसी एक पाइन्ट पर होगा कि यह प्रिविलेज का मोशन है वह इन आर्डर नहीं है, एडमिसिबिलिटी के लिए पर्याप्त नहीं है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उसके लिये केवल तीन कन्डीशन्स होंगी। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कि क्या यह इन तीनों कन्डीशन्स में नहीं है ? क्या यह आर्डर में है ? इसके सम्बन्ध में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि it is not in order यह स्पीकर कहे, The speaker has refused the consent.

इसका इम्प्लीकेशन····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It does not mean that Chair can do it arbitrarily.

श्री पी. के. चौधरी : No. He should not.

लीगल कंडीशन तो यह है without giving any reason, in any circumstance, he can reject or accept. Now the consent has been refused.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Don't you feel that permission is granted when ten members stand in favour of it.

श्री अध्यक्ष : Order, order.

श्री पी. के. चौधरी : You cannot raise the question when the Speaker has refused his consent.

श्री अध्यक्ष : Now the debate on Budget will continue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में कि आप इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार के लिए इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह मामला बड़ा गम्भीर है। आपको शायद स्मरण होगा कि पिछली विधान सभा में श्री रामानन्दजी जब सदन में आ रहे थे तो रास्ते में पुलिस वालों ने उनकी जीप रोक ली थी। उस आधार पर इस सदन में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था और उस विशेषाधिकार प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। जहां शासन और सदन इस कदर जागरूक रहें कि इस सदन में आते समय एक माननीय सदस्य की जीप को रोक लिया गया तो उसे विशेषाधिकार भंग का प्रश्न मानकर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया, तो इस प्रकार का इतना सिरियस मामला हो कि इस सदन के माननीय सदस्य के ऊपर इस तरह दबाव डाला जाय और लोभ-प्रलोभन और दबाव डाल कर दूसरे दल में मिलने के लिए कार्यवाही की जाय और भी विशेष रूप से तब जब उन माननीय सदस्य ने इस सदन में एक वक्तव्य दे दिया हो तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करना चाहिए। अब इस प्रकार का विशेषाधिकार का प्रश्न नया है, हाउस आफ कामन्स में नहीं हुआ है, मेज पालियामेन्ट्री प्रेक्टिस में नहीं है, यह नहीं है, फलां नहीं तो उस सम्बन्ध में एक पक्षीय विचार करके निर्णय करने के बजाय इस प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया जाय। प्रिविलेज कमेटी उस पर निर्णय ले ले, उस प्रश्न पर विचार करने के बाद में अपनी राय दे दें कि नया है, प्रिसिडेंस नहीं है उसके बाद भी जो मामला है उसको कन्सीडर कर सकते हैं। उसके बाद में आप डिसीजन कर सकते हैं। जैसा कि पिछले स्पीकर महोदय ने······

श्री अध्यक्ष : मैं····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर देता हूं, यह सिरियस मामला है। [× × × × × × ×] मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रिसिडेंस, यह रूलिंग किसी भी समय, किसी भी काम में

× × × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
आ सकती है। इसलिए रॉग प्रिसिडेंस नहीं बनाना चाहिए....

श्री पी. के. चौधरी : Conversing....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और रॉग प्रिसिडेंस इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि किसी भी एम. एल. ए. को एप्रोच करने के सम्बन्ध में नियम है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी एम. एल. ए. को एप्रोच करता है तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज माना जायगा। तो [× × × × × × × × × ×] यह एक बहुत सिरियस मामला है। चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों और चाहे इधर बैठने वाले हों—यह सबके लिए सीरियस मामला है, इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाय। सारे मामले में केवल कोई टेक्निकल कमी एडमिसिबिलिटी के लिए है या फार्मेलिटी की कमी बाकी है और फिर भी कन्डीशन्स फुलफिल करता है तो उसको प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया जाय। किसी प्रिविलेज मोशन के सम्बन्ध में दस माननीय सदस्य खड़े हो जायं तो उसको प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया जाय—जहां इतने लिबरल हों प्रिविलेज के मामले में तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले में 162 के तहत प्रिविलेज कमेटी को रेफर करें और उसकी राय लें। उसके बाद में आप रिजेक्ट करते हैं मोशन या कन्सेन्ट करते हैं जैसा गवर्नर वाले मामले में किया (समय—समाप्ति—सूचक घंटी) तो भी कुछ मामला हो सकता है। लेकिन आप इस पर पुनर्विचार करें और इस सवाल के सम्बन्ध में हमारी भावना यह है कि आपने यह निर्णय देकर [× × ×]

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : [× × × × × × × × × × × ×]

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : [× × × ×]

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात है इसलिए आप इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करें। और यदि पुनर्विचार नहीं करें तो मैं बहुत ही नम्रता के साथ में निवेदन करना चाहता हूँ कि सामान्यतः, साधारणतः हमने कभी अध्यक्षीय व्यवस्था के खिलाफ बहिर्गमन नहीं किया है लेकिन आज की परिस्थिति में आप मजबूर कर रहे हैं कि आसन की व्यवस्था के खिलाफ हम सदन से बहिर्गमन करें।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस पर रूलिंग हो चुका है। आपका यह कहना कि [× × × × × × × ×]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : [× × × × × × × × × × × × × ×]

श्री पी. के. चौधरी : इस तरह से कहना चेयर का अपमान है। इसलिए इनको एक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष : This should be expunged from the proceedings.

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था के सम्बन्ध में आपने यह फरमाया कि यह एक नई स्थिति बनी है जिसका कोई उल्लेख मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में कहीं नहीं मिलता है और बाकी का जो उल्लेख मिलता है ....

श्री अध्यक्ष : और कॉन्सिटीच्यूशन भी इसको प्रोहिबिट करता है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, लेकिन मैं परम्पराओं के नाते आपसे निवेदन करता हूं। पर यह वास्तविकता नहीं है। राजस्थान विधान सभा का उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल को, जिस समय चांदपोल बाजार से विधान सभा में आ रहे थे, तो पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उनको रोका और इस कारण उनको विधान सभा में पहुंचने में विलम्ब हुआ। उसके लिये विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया। लेकिन बाद में तथ्यों के कारण किस प्रकार उनको पुलिस के अधिकारियों ने अपनी अनभिज्ञता के कारण रोक लिया फिर भी यह विशेषाधिकार का प्रश्न बना था। और पुलिस अधिकारियों ने इसके लिये अपोलोजी मांगी। यह केवल रास्ते में विधान सभा के सदस्य को रोकने का प्रश्न था और उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न आया। इसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि आप इसके लिये कुछ समय दें तो मैं एक नहीं 10 केसेज ऐसे प्रस्तुत करूंगा कि जिसमें पार्लियामेंट के सदस्यों को रोकने का प्रश्न नहीं, उनके पी. ए. के साथ में भी यदि कोई अनुचित कार्यवाही हो तो यह प्रश्न प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश हुआ है।

(हियर-हियर)

इस प्रकार के कई केसेज आपको मिलेंगे और मुद्गल इन्क्वायरी कमेटी ने कन्डक्ट के बारे में अपनी रिपोर्ट में रेफर किये हैं उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आभास हो जावेगा कि सदस्यों के क्या क्या प्रिविलेज हैं। इसके लिये जो भी आइडियोलोजी है वह यह है कि वह अपने विचार बिना किसी डर या भय के सोच कर सके। उसको अगर डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली सरकारी अधिकारी डराये या धमकाये या उस पर दबाव डाले, या सरकारी अधिकारी का प्रश्न नहीं बल्कि कोई पब्लिक का व्यक्ति भी उसको किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करता है तो उसके लिये भी प्रिविलेज का मोशन आ सकता है। अगर इसके लिये आप हिन्दुस्तान की विधान सभाओं में देखना चाहेंगे तो आप मुझे समय दीजिये आपके चेम्बर में चलते हैं तो 15 मिनिट में मैं आपको कई ऐसे केसेज बता दूंगा। यू. पी. में जिला परिषद् में एक तहसीलदार ने एम. एल. ए. के सम्बन्ध में कुछ कह दिया था उस पर विधान सभा में तहसीलदार के खिलाफ प्रिविलेज का प्रश्न लाया गया। मैं यह कहूंगा कि एम. एल. ए. के प्रिविलेज नए बन सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो श्री लक्ष्मण दानीवाल के संबंध में कार्यवाही हुई है वह पहले नहीं हुई है। मैं कहूंगा कि आज हिन्दुस्तान में सदस्यों के प्रिविलेज डिफाइण्ड नहीं हैं मगर आज हम कन्वेन्शन्स को फोलो करते हैं। यह कन्वेन्शन नहीं है कि जो लिखा हुआ है उसके बाहर हम जा नहीं सकते।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह न तो आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता है न सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। । यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि आज श्री लक्ष्मण

(श्री भैरोंसिंह)

के साथ हुआ वैसा ही कल कांग्रेस की तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों के साथ होगा।

अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा कि एक बार श्री जनार्दनराय नागर को टेलीफोन करने से रोक दिया गया था और उनको टेलीफोन नहीं करने दिया। इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न यहां पर लाया गया। यहां टेलीफोन का प्रश्न नहीं है। यहां तो एक पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में जाने के लिये सरकारी अधिकारियों ने कोशिश की है उससे बड़ा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और क्या हो सकता है। आपने यह व्यवस्था दी है कि यह नई चीज है और यह मैं समझता हूं कि आपने यह रूलिंग देकर विशेषाधिकार के प्रश्न पर यह अंकुश लगा दिया है कि आपकी इस रूलिंग से लोग लाभ उठा कर इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये मजबूर होंगे। हम आपकी रूलिंग की अवहेलना नहीं करना चाहते और यह मान कर चलना चाहते हैं कि आपसे हमको प्रोटेक्शन मिलेगा और हम आपसे प्रोटेक्शन सीक करना चाहते हैं। आप हमारे कस्टोडियन हैं इसलिये कस्टोडियन के नाते आप अपनी रूलिंग को बदल कर पुनः विचार करते हैं तो इससे स्टेट की शान बढ़ेगी और मान बढ़ेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको प्रिविलेज कमेटी के सामने नहीं रखना चाहें तो कुछ समय के लिये इसको स्थगित करके इसको विशेषाधिकार समिति को इस पर राय के लिये सौंप दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : इस पर आगे विचार नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य जयपुर से आने वालों में बातें रखीं कि सदस्यों को जीप से आगे रोका गया; जो सदन में आते हुए को, यह सारा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। किसी माननीय सदस्य को डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली सदन के कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाये या देरी करने का होने से वह विशेषाधिकार में आता रहा है। इसलिये मैंने जो प्रश्न रखा है वह बिल्कुल ही भिन्न है। इस प्रश्न पर मैं यह समझ कर चलता हूं कि भविष्य के लिये माननीय सदस्यों को चिन्ता हुई है कि ऐसा प्रश्न कोई विशेषाधिकार में अभी तक नहीं आया है अतः भविष्य में वह कोई अंकुश नहीं हो जाए। इस पर मैं ध्यान रख सकता हूं। इस स्थिति में मैं आगे अब कुछ नहीं कह सकता। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपकी चिन्ता के प्रश्न पर मैंने ध्यान दिया है। आप आगे की बहस को जारी रखें, इतना ही पर्याप्त होगा।

श्री शिवचरण : अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा है कि भविष्य के लिये चिन्ता प्रकट की है उसके लिये आप जागरूक हैं आप· · ·

श्री अध्यक्ष : रिकन्सीडर और कन्सीडरेशन का प्रश्न दोनों पर ही मुझे विचार करना है।

आप फिर समझ लीजिये। रीकन्सीडर के प्रश्न पर· · · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में मेरे सिद्धान्तों के अनुसार, मैं अपने स्वाभिमान के अनुसार ठीक नहीं समझता कि आपके द्वारा रूलिंग दे दी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

गई तो मैं एक शब्द भी कहूं लेकिन In my mind, I feel very much agitated

यह एक बिलकुल साफ ऐसा प्रश्न है कि जिसकी नजीर मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस में, कान्स्टीट्यूशन में नहीं है और हमको कन्वेंशन के ऊपर इस समस्या को बेस करना चाहिये और अगर इस सिद्धान्त को लेकर यहां इस सवाल पर कन्वेन्शन्स की स्टडी हो और हाउस यह निर्णय ले कि यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय, अगर आपका यह ध्यू आये तो मैं विनम्रता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रश्न जो प्रिविलेज से सम्बन्धित हों उन पर आप गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करेंगे और पुनर्विचार करेंगे तो एक ऐसी स्वस्थ परम्परा का निर्माण होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय विरोधी दल के नेता ने · · ·

श्री अध्यक्ष : The point at issue is that whether I should re-consider it or not.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : We are not forcing your hands, but we are trying to....

श्री मदनसिंह दांता : डिबेट चाहते हैं · ·

श्री अध्यक्ष : This is itself a debate, an issue whether I should reconsider it or not. This is an issue before me.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : We beseach you to give this matter your earnest attention.

(1.43 म. प.)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : अग्रेतर विचार बजट पर।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुऐ)

श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, आज से तीन-चार दिन पहले माननीय मन्त्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया, उस पर तीन चार दिन से विवाद चल रहा है। मैंने इस बजट भाषण को पढा है, वित्त मन्त्रीजी ने राजस्थान सरकार की 20 साल की असफलताओं को स्वीकार किया है। यदि यह असफलता केवल एक कृषि में ही होती तो मुझे ज्यादा चिन्ता नहीं थी पर यह असफलता सभी क्षेत्रों में हुई है, यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। राज्य सरकार की असफलताओं का, राजस्थान की आर्थिक नीति के बारे में, राजस्थान की आर्थिक स्थिति का जो नग्न चित्र वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है उसके लिए तो वे धन्यवाद के पात्र हैं। पर, अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने आंकड़ों के द्वारा तथ्यों को छुपाने की इस प्रकार चेष्टा की है जिस प्रकार एक बढ़िया कलाकार सचाई को छुपाने के लिए अपनी सारी कला का प्रदर्शन किया करता है।

(1.43 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस सारे बजट के पढने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वित्त मन्त्रीजी ने प्रगतिशील बनने का प्रयास किया है

(श्री रामकिशन)

इस बजट को प्रगतिशीलता का बाना पहनाने के लिए एक दो कोशिशें की हैं। आज जो वस्तुस्थिति है उसको देख कर हर एक व्यक्ति अन्दाज लगा सकता है आज राजस्थान की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की बन गई है। आज राज्य सरकार की तरफ से, वित्त मन्त्री जी की तरफ से कह दिया जाय कि अनाज की पैदावार गिरने से प्रति व्यक्ति आय गिरी है, अनाज की पैदावार, खेती की पैदावार वर्षा की कमी के कारण, अकाल के कारण गिरी है पर हमारे यहां दूसरे उत्पादन बढ़े हैं, हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हम योजना पर खर्चा नहीं कर सकेंगे, योजना के द्वारा विकास के कार्यों में बाधा पड़ेगी। इस प्रकार की आशा व्यक्त की है। अच्छा होता यदि हमारे वित्त मन्त्रीजी 20 साल की हमारी आर्थिक स्थिति पर विचार करते, हमारी आर्थिक नीतियों की सफलता पर विचार करते, हमारी आर्थिक नीति की असफलता पर विचार करते, जहां से हमने शुरू किया है वहां से देखते तो इसको प्रगतिशीलता का बाना पहनाने का प्रयास नहीं करते। आज हम यह नहीं कह सकते कि आज हमारी केवल खेती की ही उपज घटी है, हम यह नहीं कह सकते कि केवल अकाल की वजह से हमारी पर-केपिटा इन्कम घटी है। सब क्षेत्रों में हमारी उपज घटी है। मैंने बजट को पढ़ा है, बजट में हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है, हमारे विकास के कार्य रोक दिये गये हैं और गैर विकास के कार्यों पर खर्चा बढ़ता जा रहा है, यह किसी भी राज्य के लिये चिन्ता का विषय हो सकता है। वित्त मंत्री जी ने इस चिन्ता को दूर करने के लिये न तो इस प्रकार का बजट बनाया है और न इस चिन्ता को दूर करने के लिये कोई कार्यक्रम ही पेश किया है, जिससे कि हम आशा बांध सकें कि आज की गिरी हुई हालत में कब सुधार लाया जायगा। केवल यह आशा करके बजट पेश करना कि वर्षा अच्छी होगी और हमारी हालत सुधर जायगी ऐसी आशा है। यह आशा ब्रह्मज्ञानियों की बात होती तो मान लेते।

हम आज पूछना चाहते हैं वित्त मंत्रीजी से कि इन तीन योजनाओं को चलाने के बाद आज हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति क्या है। वे कहते हैं कि अकाल के कारण खेती की उपज घटने से पर-केपिटा इन्कम घट गई तो मैं पूछना चाहता हूं कि और क्षेत्रों में हमारी उपज क्यों घटी है? वित्त मंत्री जी ने इस तरह के आंकड़े दिये हैं कि खेती की उपज अकाल के कारण घटी है पर जो दूसरे उद्योग हैं उनका उत्पादन नहीं गिरा है। उन्होंने मुकाबला किया है पिछले सालों से।

हमारी सीमेंट का उत्पादन गिरा है, बाल बेयरिंग का उत्पादन गिरा है और कांच का उत्पादन गिर गया है। 61 में बाल बियरिंग का उत्पादन 72 लाख था वह आज 54 लाख बाल बियरिंग पर रह गया है। सीमेंट का उत्पादन 61 में 12 सौ मेट्रिक टन था वह आज 11 सौ मेट्रिक टन का कर पाये हैं।

तो मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खेती की उपज में गिरावट का कारण तो वर्षा न होना जन सकता है पर आप बाल बियरिंग के बारे में क्या कह सकते हैं, सीमेंट के उत्पादन में जो गिरावट आई है उसके बारे में क्या कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन गिरा है, उसके लिए क्या कह सकते हैं? आज

(श्री रामकिशन)

राजस्थान की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। प्रति व्यक्ति आय आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि 252 के स्थान पर 239 रह गई है। जो आंकड़े आपने दिये हैं उनके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये आंकड़े बिल्कुल भ्रामक हैं, जो प्रति व्यक्ति आय 239 बताई है वह भी आज 227 के बराबर रह गई है। हर क्षेत्र में गिरावट आई है। खेती की उपज में गिरावट से भी औद्योगिक उपज में गिरावट अधिक भयानक और चिन्ताजनक है। लघु उद्योगों में गिरावट आई है। लघु उद्योगों से हमें 14.55 आय प्रति व्यक्ति होती थी वह आज 13.74 रह गई है। कामर्स और व्यापार से 15.54 परसेन्ट हमारी राज्य सरकार को आमदनी थी वह 13 परसेंट रह गई है। ट्रांस्पोर्ट से 1.8 राज्य के हिस्से आता था वह 1.3 परसेंट ही रह गया है। तो मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछूंगा कि खेती की उपज में गिरावट अकाल के कारण समझ में आ सकती है पर व्यापार, ट्रांस्पोर्ट और लघु उद्योगों में गिरावट का क्या कारण है। मैं समझता हूं वित्त मंत्री जी ने शुरू से इस ओर ध्यान नहीं दिया।

टैक्स लगाते समय कुछ राजाओं का पानी, बिजली बन्द कर दिया, इसका मैं स्वागत करता हूं, पर इसका श्रेय श्रीमती गायत्री देवी और प्रभावती राजे को है जिन्होंने कांग्रेस का इतना विरोध किया, उससे आपके दिल में जलन पैदा हुई है और मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के राजा जितना ज्यादा कांग्रेस का विरोध करेंगे उतनी ही अधिक क्रांति की शुरुआत हो जायगी। अगर आप जगह-जगह नहीं हारते, अगर आप अपमानित नहीं होते तो न तो बिड़ला के बारे में रिपोर्ट पर बहस होती और न गायत्री देवी का पानी बिजली ही बन्द होती। राजाओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ कर क्रांति के लिए चेष्टा की है, चाहे स्वार्थ से की हो या निस्वार्थ से की हो पर जो आज परिणाम आ रहे हैं उनसे जाहिर होता है कि हमारा देश क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है। आज कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि बिड़ला के खिलाफ जांच हो। मैं कहता हूं कि बिड़ला, डालमियां शान्ति प्रसाद जैन के परिवारों ने इन 20 वर्षों में जो सम्पत्तियां इकट्ठी की हैं उनको निकलवाइये और देश के विकास के कार्यों में लगाइये, आज आप बिड़ला और डालमियां, की बातें करते हैं, पर शाहू शान्ति प्रसाद जैन को क्यों भूल जाते हैं? इसलिए कि आप क्रांतिकारी तो हैं नहीं पर अपनी क्रांतिकारिता दिखाने के लिए एक तरह का शिगूफा छोड़ते हैं पर उन शिगूफों से कुछ होना जाना नहीं है।

टैक्सेज लगाते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा कि दो ही रास्ते हैं, या तो योजनाओं में कटौती करें या टैक्सों का सहारा लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि राजस्थान की सही आर्थिक नीति निर्धारित की जाती तो आज इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इसका मुझे दुःख है कि राजस्थान की योजनाएं हर साल छोटी की जा रही हैं। जो प्रावधान योजना में रखते हैं उनको घटाते जा रहे हैं लेकिन राजस्थान में इतनी उत्पादन क्षमता है कि अगर 20 साल इसको सही दिशा दी जाती तो आज यह हालत नहीं होती कि एक एक पैसे के लिए केन्द्र सरकार के पास जाते, हम शिक्षा में कटौती करते, हम नदी घाटी

(श्री रामकिशन)

योजनाओं में कटौती करते । आज हालत यह है कि हमारे राजस्थान में आप सारे उद्योगो को छोड़ दें, सिर्फ एक ही बात पर आपका ध्यान दिलाता हूं । राजस्थान में खनिज संपदा का भंडार है और सारा देश मानता है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 20 साल की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में खनिज के मामले में आपने क्या कार्यवाही की ? अगर खनिज के सम्बन्ध में कार्यवाही करते आपने 1961-62 में जहां आपके ही आंकड़ों के अनुसार स्थिर कीमतों के आधार पर 6,22 लाख का उत्पादन किया, आज चालू कीमतों के आधार पर आपने 9,18 लाख का उत्पादन किया। उल्टी बात हो गई। हमारा उत्पादन इतना नीचे चला गया। आज अगर हम खनिज संपदा का एक्सप्लाई-टेशन कर पाते तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश में संकट आ सकता है, बिहार में आर्थिक संकट आ सकता है लेकिन राजस्थान में आर्थिक संकट आने का कोई कारण नहीं। दूसरी योजना में हमने 45 लाख रुपये खान और खनन के विकास के लिए रखे, उसमें से 4 प्रतिशत सिर्फ खर्च किए, बाकी रकम लैप्स हो गई या दूसरे मदों में ट्रांसफर हो गई । तीसरी योजना में हमने 3,22,00,000 रु. खानों के विकास के लिए रखे उनमें से 1, 19,00,000 रु. खानों पर खर्च किए । अगर खानों का हम विकास कर देते तो 1970 में उसका उत्पादन स्थिर कीमतों पर 16 करोड़ हो जाता जब कि चालू कीमतों के आधार पर 9,18,00,000 है। इसका मतलब यह हो जाता कि अगर आज 16 करोड़ का उत्पादन कर लेते तो राजस्थान के लिये साढ़े तीन करोड़ का अधिक राजस्व मिल जाता और 35 हजार अधिक राजस्थानी निवासियों को रोजगार मिलता, न आपको टैक्स लगाना पड़ता न कुदरत पर भरोसा करना पड़ता और न कीर्तन करवाने पड़ते और न भजन हवन करने के लिए मंडली बिठानी पड़ती। लेकिन आपको दिशा का ज्ञान कहां है ? आप हर साल बजट में बिक्री-कर बढ़ाते हैं और दूसरे कर बढ़ाते हैं । आपका ध्यान तो तीन मदों पर जाता है, शराब पीने वालों पर, बिक्री कर बढाना और सिंचाई कर बढ़ाना और लेवी बढ़ाना । क्रांतिकार का दिमाग तो दिशा की ओर जाता है और कांग्रेसी का दिमाग दिखावे की तरफ जाता है। अगर आप सही दिशा को समझ पाते तो सिर्फ खान और वन से ही हालत सुधर सकती थी लेकिन खानों में क्या हुआ ? वनों में तो उल्टी गंगा बह रही है। पहली योजना में आप वनों से 32 लाख रुपये आमदनी करते थे स्थिर कीमतों के आधार पर और आज 27 लाख रुपए आमदनी कर पा रहे हैं । तो आखिर आप चल किस दिशा में रहे हैं । दिशा का ज्ञान न होने से इधर-उधर चले जाते हैं। तो आप कर-प्रणाली की तरफ ध्यान दें ।

आज आपने 1,27 करोड़ का खर्च और आमदनी का बजट बनाया है और आपने उसके लिए नए नए कर भी लगाए हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन टैक्स आपको किस बात के दें, आप उसके लिए औचित्य सिद्ध कर सकते हैं ? विकास व्यय घटाते जा रहे हैं और गैर विकास व्यय बढाते-जा रहे हैं । दूसरी

(श्री रामकिशन)

योजना की समाप्ति और तीसरी योजना के प्रारंभ में हमारा विकास व्यय 58 प्रतिशत था और गैर विकास कार्यों पर 42 प्रतिशत था। आज उलटी स्थिति है। गैर विकास कार्यों पर 48 प्रतिशत और विकास कार्यों पर 52 प्रतिशत ! इसका मतलब प्रतिशत हर साल घटता जा रहा है। देश में चार राज्य ऐसे हैं जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। इनमें अभी भी उद्योग धंधे पनपे नहीं हैं। राजस्थान में प्रति व्यक्ति कर 1965–66 में 27.50 रु. था, उत्तर प्रदेश कम देता है, मध्य प्रदेश कम देता है, बिहार में कम देते हैं लेकिन प्रशासनिक व्यय पर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति 3.47 रु. देता है, राजस्थान में 6.27 रु. है। आपने पैसा तो लिया, टैक्स बढाया, बिक्री-कर बढाया, आबियाना बढाया जमीन पर टैक्स बढाया लेकिन उस पैसे से नदियां चलतीं, पुल बनते तो खुशी होती। उल्टे प्रशासन का खर्च बढा और फिजूल खर्ची बढी। प्रति व्यक्ति आमदनी और पैदावार जो बढनी चाहिए थी उसकी गति हिन्दुस्तान में कम से कम है और अगर आप दावा करते हैं कि अनाज की पैदावार बढा ली तो वित्त मंत्रीजी जितना आप समझते हैं, हम समझते हैं। पैदावार आपकी कृपा से नहीं बढ़ी है। जब पहले राजस्थान बना था उस समय 1,19,00,000 एकड़ जमीन पर खेती होती थी आज 3,80,00,000 एकड़ भूमि पर खेती होती है। आप अगर अपने घर मथुरा जा कर बैठते या जहां नागौर से आए हैं वहां जा कर बैठते तो भी पैदावार बढ़ती हुई चली जाती। लेकिन प्रति व्यक्ति पैदावार घटती चली जाती है।

वित्त मन्त्री ने सहजे से कहा है कि मध्यम व बड़ी योजनाओं पर पैसा खर्च किया है, इससे किसानों का लाभ हुआ है इसलिए टैक्स लेना चाहते हैं। क्या किसानों को लाभ हुआ है ? आप आंकड़ों को उठा कर देखें। ये आर्थिक सर्वेक्षण विभाग के आंकड़े हैं। उससे पता चलता है कि सारे देश में आय कर देने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है, योजनाओं में पैसा खर्च कर रहे हैं, इसमें केन्द्रीय सरकार अंशदान करती है। आय-कर देने वालों की संख्या बढी ? 1960–61 में सारे देश में 7,84,000 आय-कर देने वाले थे, एक अरब तीन करोड़ के आसपास देते थे। तीसरी योजना समाप्त हो गई, चौथी योजना के दो वर्ष निकल गए। इन्कम टैक्स की संख्या में केवल 22 करोड़ की वृद्धि हुई है। आखिर पैसा कहां चला गया ? आखिर इस गोरख-धन्धे की जांच की है ? वित्त मन्त्री का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि टैक्स लगाए, कुछ लोगों को खरीद ले और सरकार बनाले। वित्त मंत्री का काम यह है कि एक एक पैसे का रिटर्न क्या होता है। आपको जानकारी करनी चाहिए कि योजनाओं में जो पैसा खर्च किया उसका रिटर्न क्या हुआ ? प्रति व्यक्ति आमदनी क्या बढ़ी, समाज में समानता बढ़ी या घटी लेकिन मंत्रिमंडल को इन बातों को सोचने की फुरसत नहीं है। वित्त मन्त्रीजी आपके कुछ प्रसंशक कह रहे थे कि अब की बार माथुर साहब ने बहुत ही अच्छा बजट बनाया है, मेरा भी यही रीएक्शन था कि आपने नई दिशा में बढ़ने की चेष्टा की है। मेरी पार्टी के लोग मुझसे लड़ रहे थे कि मैंने कांग्रेस का समर्थन करना शुरू कर दिया, क्या कोई मेरे मन में विकार आ गया ? जिस घर में हम कई वर्ष रह कर आए उस घर के

(श्री रामकिशन)

लिए ज्यादा आकर्षण नहीं होता है। कोई नए चेहरे हों तो तबियत बन भी सकती है। मैं एक बात की जानकारी चाहता हूं। आपकी नई दिशा क्या है? नई दिशा में आपने एक ही बात कही है कि तीन राजाओं का पानी व बिजली बंद कर दिया। यह तो राजा खुद करवा रहे थे, राजाओं ने खुद ने एग्रीमेन्ट किया था। आपका क्रांतिकारी पग तो तब था जब उनके भत्ते बंद कर देते, पुराने जागीरदारों का मुआवजा बंद करते और राजस्थान में रेडियो, ट्रांजिस्टर, फोन और कार रखने वालों पर ज्यादा टैक्स लगाते चाहे बिजली के पंखों को छोड़ दो। राजस्थान में 15 हजार लोगों के पास कारें हैं, 27 हजार के पास फोन हैं। 2 हजार प्रति माह से कम आमदनी वाले कार नहीं रख सकते। मेरे अपने एक मित्र, जिनके यहां खाना खाने जाता हूँ, कहते हैं कि दो हजार के आसपास के खर्चे पर कार मेंटेन होती है...

श्री भीमसेन : और जीप वाले ?

श्री रामकिशन : श्री भीमसेनजी ने कहा है उसको भी जोड़ लेते हैं। इन जैसे फटीचर कांग्रेस वालों के पास जीपें होंगी, मेरे पास कोई जीप नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : On a point of order, Sir. आपने इनको फटीचर कहा। यह प्रोसिडिंग से हटाया जाय।

श्री रामकिशन : मेरे उनके निजी सम्पर्क हैं। आपको इससे क्या? वे खुद मानते हैं कि फटीचर हैं।

हमारा कार्य तो यह होना चाहिए था राजस्थान में कि जिनके पास कार हैं, रेडियो, टेलीफोन आदि ये उच्च जीवन के प्रतीक हैं और जिन व्यक्तियों के पास ये साधन हैं उनकी औसतन आमदनी दो हजार रुपये महीने से कम नहीं हो सकती, हो सकता है कि उनकी आमदनी 10 हजार, 5 हजार और डेढ़ हजार हो किन्तु हमारे सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए 2 हजार की आमदनी है तो उसको पांच सौ पर लाने की है। अगर हम राजस्व को बचाने की कोशिश करते, कोई सीमा बांधते और उसके कारण जो हम को पैसा मिलता वह पैसा यदि हम निर्माण कार्यों में लगाते तो राजस्थान में हमको 12 करोड़ रुपयों की प्राप्ति होती। यदि राजस्थान में दो चार वर्ष भी इन्द्र भगवान नहीं बरसे तो हम भूखों नहीं मर सकते थे। इतने हमारे पास साधन उपलब्ध हो जाते। जो दोषी होते हैं, निकम्मे आलसी और एशो-आराम में रह कर कर्म से दूर भागते हैं वे ही ईश्वर को दोष देते हैं।

ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा कि जब कांग्रेस का यहां राज नहीं बना अभी पहले, मैंने सुना है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, इसमें सचाई कहां तक है यह आप ही जाने, लेकिन जो सुना है वह यह है कि मुख्य मंत्री जी ने इनके लिये अनुष्ठान कराया। हो सकता है उन्होंने अनुष्ठान कराया हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी अनुष्ठान में विश्वास करते हैं। अगर किसी राज्य का मुख्य मंत्री सार्वजनिक रूप से इस प्रकार अनुष्ठान कराना शुरू कर देगा तो फिर जनता अपना कर्म करना ही बन्द कर देगी। मुख्य मंत्री अनुष्ठान करके राज्य की सत्ता ले सकते हैं तो वे पानी भी बरसा सकते हैं। फिर मनुष्यों को, नागरिकों को अपना कर्तव्य करने की आवश्यकता ही क्या है, प्राकृतिक बरसात और आर्टिफिशियल रेन आदि—की जरूरत क्या है। अनुष्ठान कराके ही मुख्य मंत्री जी बरसात करा देंगे। जिस राज्य का मुख्य

(श्री रामकिशन)
मंत्री ने इस प्रकार सार्वजनिक रूप से अनुष्ठान कराने का पाप किया हो जिसको दो महीने भी सब्र न रहा हो जो यह भी नहीं सोच सकता हो कि वह इस दुष्कर्म से अपने नागरिकों को पाखंडी बना रहा है यह राज्य सत्ता का बड़ा भारी भोंडा रूप है। यह देश के हित में बड़ी भद्दी चीज है। जिस राज्य की यह स्थिति हो उस राज्य की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती।

खानों के सम्बन्ध में एक बात कही। आप खानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। मंत्री महोदय का कर्म बड़ा न रहा हो लेकिन उनकी बुद्धि का मैं विश्वास करता रहा हूँ। आमदनी बढ़ाने के क्या क्या काम होने चाहिये? कौन कौन-सी खान और उनके क्या क्या कार्य हैं। खनिज विभाग का डाइरेक्टर बना रखा है एक माइनिंग इन्जीनियर को। दूसरे राज्यों ने क्या क्या किया है। 20 वर्ष में कलकत्ता के उद्योगपतियों को कहा हो, बम्बई के उद्योगपतियों को कहा हो, भरतपुर के उद्योगपतियों को कहा हो कि कहां कहां डिपोजिट्स हैं, खनिज कहां कहां हैं और उनसे क्या रिटर्न मिल सकता है। 15 प्लान भी ऐसे आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। जियोलोजिस्ट विभाग का काम है खोज और संभावनाओं का पता लगाना। आज क्या हालत है? न तो किसी व्यक्ति से मेरी व्यक्तिगत दोस्ती है, न जानपहिचान है कि डाइरेक्टर कौन है। मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कितनी नयी खानों का पता लगाया गया? जो जो खानें चल रही हैं, राजकीय उद्योग के रूप में चल रही हैं, खेतड़ी की खान में घाटा, माखरी की खान है उसमें घाटा। जो भी काम इस राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में लिया उसका सफाया कर दिया। माखरी की खान से जयपुर के वक्त में अच्छी आमदनी होती थी आज उसमें घाटा हो रहा है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ 3 करोड़ टन लाइम स्टोन का स्टाक है जो डाइरेक्टोरेट ने किताब प्रकाशित की उसके हिसाब से। आज लाइम स्टोन और सीमेंट के कारखाने को विकसित करने के लिये नियमों का पालन करते तो राज्य का इस एक ही काम से इतना विकास हो सकता था कि दूसरी तरफ जाने की आवश्यकता नहीं होती। गोठन में आपके मित्र बैठे हैं, सोजत में आपके मित्र बैठे हैं, नीम के थाने में आपके मित्र बैठे हैं। या तो आप अपने मित्रों के परिवारों की हैसियत बढ़ाओ या गरीब का पेट भरो। दो काम एक साथ नहीं चल सकते। मित्र की हैसियत और गरीब की पेट भराई। इसका नतीजा यह है कि राजस्थान में हजारों दरख्वास्तें ऐसी पड़ी हुई हैं यदि गोटन और सोजत के प्लाट्स का दो दो वर्ग मील के टुकड़े कर दिये जायं तो कितनी आमदनी होगी। वह आमदनी आज खानों से नहीं बढ़ रही है। आमदनी बढ़ाने में रोयल्टी प्रमुख होती है। खनिज मंत्री चाहते हैं कि डेड-रेन्ट नहीं लेंगे। बढ़िया व्यापारी लम्प सम पर विश्वास नहीं करता है। आप बढ़िया व्यापारी भी नहीं बन सके। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पर है कि बढ़िया व्यापारी का काम होता है अधिक से अधिक काम बढ़ाये, लेकिन आपने उस बढ़िया व्यापारी की तरह काम को नहीं बढ़ाया, उसको घटाया है। कहने की बात है, शान्ति प्रसाद जी की बात आयी। उस पर चर्चा हुई। आपने लिया या नहीं लिया

(श्री रामकिशन)

यह आप स्वयम् जानते हैं। 20 लाख रुपये आपने उनसे चन्दे के लिये। हमने क्या लिया या नहीं लिया, हम अपना फैसला खुद कर लेंगे। आपने 20 लाख रुपया लिया इसका कारण बता सकता हूं। शान्तिप्रसादजी से आप अधिक परिचित नहीं हैं। उनकी सास साहित्यिक होने से उनसे मेरा अच्छा परिचय है। फिर भी हमें एक पैसा भी नहीं दिया। क्यों आपको 20 लाख रुपया दिया ? कारण मैं तलाश करके लाया हूं। सवाई माधोपुर में खान लगा रखी थी। चुनाव के पहले दरख्वास्त दी कि डिपोजिट समाप्त हो गये हैं। उसको समाप्त किया नहीं और दूसरी खान दे दी। हीरों के उद्योग को खान आपने चुनावों में देने की कोशिश की। हाईकोर्ट में रिट दायर हुई। इसलिये आपके इन दुष्कारणों से कभी विश्वास नहीं होता कि आप कोई कल्याणकारी राज्य यहां कायम कर सकते हैं। खनिज के लिये दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह है कि 1½ करोड़ की मशीनरी आइडियल खनिज के लिये प्राप्त हुई थी वह क्यों पड़ी हुई है ? किस लिये है ?. इसका टैक्निकल आडिट करायें। इस मशीनरी की खरीद के क्या कारण हैं ? कहां कहां यह काम आ सकती थी ? कौन से कमीशन या उद्योग के लिये खरीदी गई ? इन सब बातों का एक टैक्निकल आडिट होना चाहिये। इस प्रकार की बातों का आपने टैक्निकल आडिट नहीं कराया इसी कारण से आपके आमदनी के स्रोत निरंतर सूखते जा रहे हैं। आप इसी कारण से खेती में गिर गये और पर-केपिटा इनकम आपकी गिरी है यह तो आप भी मानते हैं। खेती में आपकी आमदनी गिरी है, ट्रान्सपोर्ट में और लघु उद्योगों में आपकी आमदनी गिरी है। आप बढ़े हैं तो एक में। आमदनी दिखायी है सर्विसेज के द्वारा नेशनल इनकम में इनकम जुड़ती है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसको मैं भी मानता हूं। तीसरी योजना में 8 लाख 70 हजार व्यक्तियों को रोजगार देना था उनमें से आपने पांच लाख लोगों को रोजगार दिया है। लेकिन सर्विस रोजगार नहीं। यदि आप उद्योग, खानों और खेती का विकास कर पाते तो खेती में, ट्रान्सपोर्ट में और लघु उद्योगों में काफी लोगों को लगा सकते थे लेकिन आपको तबियत नहीं होने से और आप में वे संस्कार नहीं होने से आपने उस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया। आप प्रयत्न करते हैं बिक्री कर बढ़ा देते हैं, आप प्रयत्न करते हैं आबकारी पर कर बढा देते हैं, आबकारी के लिये मुझे सहानुभूति है। मेरे सराउन्डिंग में भी कोई शराब नहीं पीता, किन्तु मेरी सहानुभूति इसलिये है कि मैं इसको एक व्यसन मानता हूं। उसको व्यसन ही चलने दें। माथुर साहब आप सेन्ट लगाते हैं यह भी बड़ा भारी व्यसन है। रंग बिरंगा चश्मा लगाते हैं यह भी व्यसन है। टैक्स लगाना है तो दशा सुधारिये पहले। आपने जिस प्रकार टैक्स लगाये, शराब पीने वालों पर टैक्स लगाया उसका तो स्वागत है। उन पर लगाइये। बीस हजार रुपया जिनकी सालाना आमदनी है जो महीने के दो हजार रुपये से ज्यादा कमाते हैं उन पर टैक्स लगाने का आपने कौन सा काम किया ? आपने एयर कूलर पर लगाया रेफ्रीजेटर पर लगाया यह उचित है। यह टैक्स लग जाने के बाद भी रेफरीजेटर और कूलरों में कमी नहीं। आज जो रुपया आता है गरीब की कमाई का वह एश आराम, ठाट-बाट, शान शौकत में

(श्री रामकिशन)
खत्म हो जाता है। आपकी योजनाओं से विलासिता, शान शौकत और ठाट बाट कुछ लोगों के बढ़े है लेकिन सामान्य जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिला।

आपके सामान्य प्रशासन के खर्चे को देखिये जो हर साल बढ़ता चला जाता है। आप उसके लिये कहेंगे कि हम उसमें मित-व्ययता बरतने जा रहे हैं। एक बार हमने 57 लाख की कमी को दूसरी बार 60 लाख को और अब 1 करोड़ की कमी कर रहे हैं। इतनी कटौतियों के बाद में भी आपके प्रशासन का क्या हाल है? अगर आपने अब इतनी कमी की है तो फिर इतने दिन यह फिजूल खर्ची क्यों की? आपने किसी हरिजन लड़के, आदिवासियों के लड़के या पढ़ी लिखी महिलाओं को स्थान दिया हो या छोटी नर्सेज की स्थिति को सुधारा हो तो कोई बात भी है। आपने अपने परिवार के लोगों को, अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को राज सेवाओं में लेकर उनको प्रश्रय दिया। अभिजात वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा इसमें जन साधारण को क्या लाभ हुआ आपने कभी इन सारी दिशाओं में सोचा।

आज राजस्थान की हालत क्या है इसमें कर राजस्व की हालत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अकर राजस्व घटता जा रहा है। एक अच्छे परिवार के लिये भी यह शर्म की बात हो सकती है। आपने जनता की माली हालत को सुधारना और समाजवादी लक्ष्य को जब स्वीकार कर लिया है, आपने जनता के जीवन में समानता लाने के लिये जो कदम उठाये हैं उनसे क्या समानता ला पाये हैं। आप में समानता लाने की प्रेरणा हो तब ना! आप लोगों पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। कर राजस्व आप बढ़ाते जा रहे हैं। इससे साधारण नागरिक पर भार बढ़ता जाता है उस कारण वह अपनी स्थिति सुधार नहीं सकता। अकर राजस्व किस तरह से राजस्थान में घटता जा रहा है उसके आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् 55-56 में अकर राजस्व 36.85 आमदनी करते थे टोटल बजट में इससे 36.85 आमदनी थी। 60-61 में 34.39 हुई और 67-68 मे 24.7 रह गई। विकास का व्यय घटता जा रहा है और अकर राजस्व भी घटता जा रहा है तो फिर आपकी योजनाओं का अर्थ क्या है? आप कहते हैं कि किसानों की हालत सुधर गई है, योजना के कारण उनमें काफी सुधार हो गया है लेकिन जब राजस्थान बना था सिंचाई से कितनी आमदनी होती थी। राजाओं को गन्दा कहते हैं। हम तो राजाओं को विलक्षण संस्था के रूप में मानते थे। राजाओं के जमाने में 18 लाख रु. की सिंचाई से आमदनी होती थी। 51 से पहले सिंचाई टैक्स से 18 लाख रुपये की आमदनी थी। इन चार पंचवर्षीय योजना के दूसरे साल में 67-68 में यह आमदनी 1.67 लाख को हो गई। इतनी जो सिंचाई की आमदनी बढ़ी है उसके लिये आप कह सकते हैं दर नहीं बढ़ायी है, सिंचाई का एरिया बढ़ा है उसके कारण यह आमदनी हुई है। जब राजाओं का राज था, पहली पंचवर्षीय योजना से पहले कुओं से, तालाबों से, नहरों से जो सिंचाई होती थी वह 29 लाख एकड़ भूमि में होती थी। आज आपके आंकड़ों के अनुसार हालांकि वे विश्वसनीय नहीं है 52 लाख

(श्री रामकिशन)

एकड़ की सिंचाई होती है। सिंचित क्षेत्र दुगुना बढ़ा है लेकिन आपकी आमदनी 18 लाख से बढ़ कर 1 करोड़ 67 लाख हो गई, इससे ज्यादा क्या किसान को आप लूटना चाहते हैं। चुनावों में के दिनों में उनसे मीठी बातें करके उनके कन्धों पर हाथ रख कर चारपाई पर बैठकर, राबड़ी पीकर उनसे वोट ले आते हैं। फिर उन्हीं पर टैक्सों क भार डाल देते हैं। मुश्किल तो किसान के लिए यह है कि सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, लेकिन किसान का संगठन नहीं, उसी का यह परिणाम है कि उन पर कभी राजस्व बढ़ा देते हैं कभी उन पर लेवी लगा देते हैं, कभी मवेशी टैक्स लगा देते हैं। आपने 28 लाख से बढ़ा कर 1 करोड़ 63 लाख का कर भार कर दिया उसके बाद और क्या बढ़ाना चाहते हैं?

आपने मवेशियों पर कर लगाया है। आपने कहा है कि मवेशियों से हमारे राजस्थान के लोगों को आमदनी होती है, यह उनकी आमदनी का जरिया है, उन पर कर लगाया जाय। यह कर लगाने का आपका सिद्धान्त है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स आप पढ़ें जिस जगह जिसकी आमदनी बढ़े उस पर कर लगायें। इस बारे में मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे आपको पता चल जायगा कि कर लगाने का तरीका कितना गलत है। मैंने एक सवाल पूछा था कि तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में प्रति व्यक्ति और प्रति जिले पर क्या खर्च किया गया। उस उत्तर को सारे को तो पढ़ कर सुनाउंगा तो सारा दिन लग जायगा कुछ जिलों के आंकड़े ही बताउंगा। भरतपुर जिले में पहली योजना के अन्दर 4.92 खर्च किया गया दूसरी में 5.2, तीसरी में 5.83 और चौथी में 6.76 खर्च किया गया। इस तरह अलवर, भरतपुर, सीकर, झुन्झुनू ये जिले ऐसे हैं जो घनी आबादी वाले हैं इन पर कर भार निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है।

दूसरी तरफ जिन जिलों की आमदनी कम है लेकिन खर्च उन पर ज्यादा किया जा रहा है जैसे उदयपुर, पहली योजना में 11 पोइन्ट, दूसरी में 13 हालांकि उदयपुर से मुझे कोई नाराजगी नहीं। उस जिले में हरिजन आदिवासी सब रहते हैं उनसे मेरी सहानुभूति है लेकिन कोठारी, मेहता, माथुर, सुखाड़िया, लुहाड़िया, पहाड़िया उनसे मुझे कोई सहानुभूति नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना यह चाहता हूं कि आपका जो कर लगाने का तरीका है वह किस प्रकार का है··

श्री गिरधारीलाल व्यास : पहाड़िया तो हरिजन होते हैं?

श्री रामकिशन : आपने जहां पहले से ज्यादा कर हैं वहां फिर सिंचाई की दर बढ़ा दी है। अब गंगानगर के आंकड़े लीजिये पुराने आंकड़ों के अनुसार वहां के एक आदमी की आमदनी 360 है। भरतपुर में एक आदमी की आमदनी 211 प्रतिवर्ष है। हालांकि गंगानगर और भरतपुर के निवासियों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं मानता। सभी राजस्थानी हैं इस नाते सभी हमारे पूज्य हैं। लेकिन सदन को एक बात समझाना चाहता हूं। एक तो सिंचाई पर आप टैक्स का भार बढ़ाना चाहते हैं उसके अनुसार भरतपुर सिंचाई का क्षेत्र है वहां पर टैक्स का भार पड़ेगा, बाड़मेर, जैसलमेर आदि भेड़, बकरियें चराने वाला इलाका है वह तो बच गया। तो

(श्री रामकिशन)

... जहां पहले से टैक्स का भार ज्यादा है उसी पर टैक्स का भार ज्यादा पड़ेगा। एक तो आबादी घनी और दूसरी तरफ टैक्स ज्यादा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जल्दी ही समाप्त करने वाला हूं। दूसरी तरफ आप निरंतर बिक्री कर बढ़ाते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश में क्या है उसको देखने की कोशिश नहीं की है। आपने तो एक फार्मूला बना लिया। एक साल में एक परसेन्ट है तो दूसरी साल में दो परसेन्ट कर दिया उसके बाद तीन परसेन्ट कर दिया। आपको ज्ञान नहीं कर लगाने का। आप कर प्राप्त करने की व्यवस्था में सुधार करना नहीं चाहते इसमें आपकी आमदनी बराबर नहीं होती। आज जब जनता पर करों का भार बढ़ता जा रहा है, आज जनता की हालत यह हो रही है मेरी समझ में नहीं आता आप टैक्स द्वारा आमदनी बढ़ाने की हिम्मत कैसे करते है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा हमारी वनों से जो आमदनी होती थी वह कम हो रही है। लघु उद्योगों से होने वाली आमदनी कम हो गई, वाणिज्य से होने वाली आमदनी कम हो गई। यातायात से होने वाली आमदनी कम हो गई। तो हम यह पूछना चाहते है कि जब राजस्थान बना था तब यातायात की आमदनी केवल 25 लाख थी और आज 2 करोड़ 40 लाख के करीब वसूल करना चाहते हैं तो भी आपकी विकास की योजनाएं क्रान्ति न कर पाईं तो इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं।

इस राज्य में एक सम्पन्न वर्ग, अभिजात्य वर्ग का उदय हुआ है। आलीशान उनके भवन बन गये। देश में गरीबी बढ़ रही है, गांवों में गरीबी छा रही है, पर मैं यहां शहर में जब जाता हूं तो नई नई डिजाइन के कपड़े पहिने नौरोज में लोगों की भीड़ की भीड़ देखता हूं। एक तो हम उनकी तरफ नजर डालें, दूसरी तरफ रिक्शा चालक हैं, वे भी चले जा रहे हैं। तो देखता हूं एक ओर कुछ लोग शानदार पोशाकों में, नई 2 डिजाइनों की पोशाकों में, नौरोज में आते जाते हैं दूसरी ओर फटे हाल रिक्शा चालक आ जा रहा है अपनी गांव की जमीन बेचकर यहां इस धन्धे पर लगा है और मुश्किल से अपना पेट पाल रहा है। एक बढ़ता जा रहा है, और दूसरा गिरता जा रहा है। एक नौरोज में जाने वाला, एक रिक्शा चालक। गांवों में जाता हूं तो देखता हूं लोगों में भय और गरीबी बढ़ गई है। आदिवासियों में जाता हूं तो देखता हूं कि वहां तो गरीबी और भय दोनों जैसे मर गये। पर जब शहरों में आता हूं तो सड़कों पर देखता हूं नई नई साड़ियां, दिन में पांच पांच बार बदल कर पहिने लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं। इसमें एक ही चीज नजर आती है उस अभिजात्य वर्ग की आमदनी बढ़ गई है किसी तरह से। अफसर की बीबी जब साड़ी खरीदती है तो सोचते हैं इसकी आमदनी तो निश्चित है, सीमित है पर दूसरी आमदनी की तरफ जब ध्यान जाता है तो समझ में आ जाती है बात। जानकारी इसकी आपको भी है। आप भी जानते हैं। जानते को मैं क्या समझाऊं। जितनी डाइरेक्ट उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है उतनी इनडाइरेक्ट बढ़ी है। इसे आप चाहे मानें या न मानें, पर यह है एक तथ्य। सत्य है यह। पैदावार न बढ़ी हो, कारखानों की और खेतों की हालत न सुधरी हो पर उनकी इनडाइरेक्ट आमदनी अवश्य बढ़ती जा रही है। आपके खर्चे भी बढ़ते जा

(श्री रामकिशन)
रहे हैं। उनको पूरा करने के लिये फिर आप टैक्स लगाते जा रहे हैं।

मैं अर्ज कर दूं। आपकी आमदनी बिना टैक्स लगाये कैसे बढ़ सकती है। मैं अलग से बता दूंगा आपको। आप राजस्थान के गरीब लोगों के बजाय इन लोगों पर टैक्स लगाकर अपनी आय बढ़ा सकते है। पर आपको डर है कि यह भार उन्हीं के लोगों पर पड़ सकता है। उनके सगे सम्बन्धी मित्रों पर पड़ सकता है। हो सकता है इसमें आपके परिवार के लोग भी फंस जावें। मेरे रिश्तेदार भी फंस सकते हैं। फिर ये लोग बड़े चतुर और चालाक होते हैं। छोटा मोटा आदमी तो उनसे पार नहीं पा सकता। तो इन बातों के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि बजट में आपने जो कुछ किया सो किया पर हम चाहते हैं कि छोटे आदमी को सुविधा तो दो। आज उनकी हालत गिर रही है।

आपने बड़े गर्व से कहा कि आदिवासी हरिजनों के नल पानी का हमने इन्तजाम कर दिया। आप यह बताइये जब भरतपुर में नल और बिजली लगी थी तो उस समय हरिजनों के मोहल्लों में क्यों नहीं लगी? गये बीस सालों में क्यों नहीं लगी? अब आप कहते हैं लगा दी। इतने दिन क्यों नहीं लगाई? और नहीं लगाने मे जिनका हाथ था या है, उन अधिकारियों को आपको सजा देनी चाहिये थी। कह दिया और दो लाख रुपया हरिजनों का मन बहलाने के लिये रख दिया। इससे उनका कौनसा कल्याण हो जावेगा। आपने कहा उनके वजीफे बढ़ा दिये हैं। हरिजनों की दो श्रेणियां है। आज वे जो जमीन के मालिक हैं और दूसरे वे जो नहीं हैं। आर्थिक हालत में उनकी गिरावट हुई है। जमीन के मामलों में उनकी हालत गिरी हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बूढ़ों के पेन्शन का कानून आपने बनाया। सोशलिस्टों के अनुसार यह कोई बड़ी बात आपने नहीं की। फिर भी कुछ किया है। इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हरिजन महिलाओं की हालत गिरी हुई है। म्युनिसिपैलिटी में हरिजन महिलाएं काम करती हैं। आये दिन हम देखते हैं। उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। व्यवसाय खराब है। नार्वे की सरकार ने उनको बोनस देना शुरू किया है। अकाल काल में वह आप भी देना शुरू करें। आप कह सकते हैं हम तो चाहते हैं परिवार नियोजन को। मैं नहीं कहता आप उनको हर बच्चे पर बोनस दें। एक बच्चा हो दूसरा हो और तीसरे तक दीजिये। चौथे बच्चे पर नहीं। आज उनकी हालत खराब होती जा रही है, शरीर से दुबले पतले आंखों की ज्योति क्षीण होती जा रही है। उनको कुछ राहत आप दें।

ऐसे ही कई धन्धों में गरीब लोग लगे हुए हैं। श्रम मजदूर हैं उनके लिये भी तीन बच्चों तक बोनस शुरू करना चाहिये। बाकी फिर नहीं करना चाहिये क्योंकि हम परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा और बच्चों का विकास करना चाहते हैं। इसके लिये थोड़े से फण्ड की जरूरत होगी। पर अगर आप यह करेंगे तो क्रान्ति हो जावेगी। बूढ़े लोग करें या न करें पर गांव की महिलाएं आपकी तारीफ जरूर करेंगी कि एक माथुर साहब हुए थे कि जिन्होंने हमारे लिये, हमारे बच्चों

(श्री रामकिशन)

के लिये दस सेर घी का प्रबन्ध कर दिया। आप उनकी कल्याणकारी भावनाओं को प्रोत्साहन देंगे तो देश को एक नई दिशा मिलेगी।

दूसरी बातों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आपने कर लगा दिये। पर उनकी वसूलियों की हालत क्या है? करजा आपने दे रखा है उसको वापस लेने की हालत क्या है? राजस्थान उद्योग लिमिटेड से क्यों नहीं वसूल करते? पी. ए. सी. की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी। 84 करोड़ की बकाया दिखाई है उसमें अलग अलग लोगों में। पर उसकी वसूली कौन करे? समाज के किसी छोटे वर्ग पर वह कर्जा है नहीं, हरिजन और आदिवासी वर्ग पर नहीं। पर बड़े लोगों के वर्ग पर काफी बड़ी रकम है जो री पे कर सकते हैं। आप पर पड़ने वाला ब्याज का भार और जनता पर पड़ने वाला टैक्स का भार उससे कम हो सकता है। पर उधर आपकी दृष्टि जाती नहीं।

यह निवेदन करूंगा कि आज राजकीय आर्थिक हालत गिर चुकी है। योजनाएं आपकी असफल हो चुकी हैं। तीन साढ़े तीन करोड़ की वसूली नहीं हो सकती। इसके लिये हालत को बदलने के लिये क्रान्तिकारी कामों की जरूरत पड़ेगी। आपको इसके लिये कोशिश करनी चाहिये। राजस्थान इस माने में नेतृत्व करे। राजस्थान में जिनकी आमदनी 1½ हजार से ऊपर है उन पर कई तरह के टैक्स लगाये जावें। कैपिटल टैक्स, हाउस-टैक्स, वैल्थ टैक्स, प्रोपर्टी टैक्स। मैं देख रहा हूं आज नई-नई आलीशान एयरकन्डीशन्ड बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं एमरल्ड हाउस, कहीं मुराणा हाऊस दिखाई देते हैं। तो आप उन लोगों की आय पर टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं? आज जो जमीन पहले उनके पास दस हजार की थी वो साल बाद पचास हजार की हो गई। उन पर टैक्स लगाइये। इनसे आप बहुत बड़ी आमदनी ले सकते हैं।

खेतों की जमीन को आबादी की जमीन में बदलने का कानून बना दिया काम तो आपने यह ठीक किया। पर आपके हर काम में हमें तो दुर्भावना नजर आती है आपकी। अब क्यों बनाया? पहले क्यों नहीं? अब इसलिये बनाया जब कि बड़े-बड़े सेठ साहूकारों ने, पैसे वालों ने काफी जमीनें हड़प ली। आपने भले ही बुरे इरादे से यह काम किया हो, पर किया जरूर, यह तो अच्छा है। पर इसे आप अपनी राज्य की आमदनी बढ़ाने में काम में लीजिये। आमदनी का जरिया बनाइये। आप यह नहीं कर सकते कि चलो उनको रेगुलेराइज कर दें और छुट्टी। मैं विश्वास-पूर्वक कह सकता हूं कि अपने जिलों में करोड़ों रुपयों की जमीन इन बड़े-बड़े सेठ, साहूकार, वकील, इन्जीनियर आदि लोगों ने आबादी लैंड में कनवर्ट करायी है। आप अगर उन सब को इसी तरह से छोड़ देंगे तो देश में आप के प्रति और बुरी धारणा बन जावेगी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि यह सरकार पहले गलत काम करने के लिये प्रोत्साहन देती है, और फिर उनको रेगुलेराइज करती जाती है। उस वक्त की और आज की कीमतों में रात-दिन का अन्तर है। आप इसे देखिये और उनसे पूरी वसूली कीजिये।

बजट के सम्बन्ध में लम्बे चौड़े आंकड़े मैंने देखे। पर समय के अभाव के कारण समय

(श्री रामकिशन)

की सीमा के बन्धन के कारण मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि आप इन बातों पर नये ढंग से सोचें, विचार करें।

मेरी आदत लांछन लगाने की, गाली-गलौज करने की नहीं है। पर जहां तक आपकी खरीदों का मामला है, जीपें खरीदने की कारगुजारियां हैं वे तो आप मान ही रहे हैं। बाड़मेर में जैसे खरीदीं। ये सब कुकर्म तो आपने किये। पर आपने बड़े-बड़े घोटाले घपले भी किये हैं। कभी-कभी आपके इन काले कारनामों को देखकर मेरे दिमाग में एक बात आती है कि आपको सरकार भी माना जावे या नहीं या सरकार मानना ही बन्द कर दूं। चीनी का घोटाला है।

लीलाराम नामक व्यक्ति ने 15 हजार बोरी चीनी का सौदा किया। कलेक्टर की चिट्ठी पर अमल नहीं। दुबारा कहते हैं। आप चुप। व्यापारी फिर चिट्ठी भेज देता है कि मेरे पास चीनी नहीं रही। आखिर वह कहां चली गई? इसमें एक मन्त्री विशेष का हाथ है। उसका नाम तो क्यों लूं? आप देख लीजिए आप सब जानते ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी हालातों में देश की प्रगति हो तो कैसे हो? आप कांग्रेस में रहे, पुराने लोग हैं। 47 से पहले अच्छे रहे। पर 47 के बाद सबसे बुरे बन गये। और अब इन किस्सों और कुकर्मों की वजह से बहुत देर तक फलीभूत नहीं हो सकते। डालमिया, बिड़ला और सिंघानिया और ये चीनी के ब्लेक मार्केट करने वाले इनकी मदद से आप समाज का कल्याण नहीं कर सकते। आप मेरी इन बातों पर गहराई से विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से वे मंत्री महोदय हैं, उनका नाम बताइये तो सही। उपाध्यक्ष महोदय, यह सूचना मैं जरूर चाहूंगा कि वे मन्त्री हैं कौन?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से मन्त्री महोदय ने शक्कर की बोरियां बेचने की कोशिश की?

श्री उपाध्यक्ष : वे बताना चाहते तो बता सकते थे। नहीं बताते तो यहीं समाप्त किया जाता है।

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय वास्तव में किसी राज्य का बजट उसकी आर्थिक स्थिति का प्रतिबिम्ब होता है। उससे उस राज्य की जनता यह अपेक्षा करती है कि राज्य सरकार जो अपनी नीतियां रखती हैं उनका प्रतिबिम्ब उसके बजट में हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का जो समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य है और नीति है हम देखना चाहते हैं कि उसकी झलक इस बजट में है या नहीं।

यह तो मैं नहीं कहता कि यह बजट पूर्णतया ऐसा है जिसे हम पूर्णतया समाजवादी कहें। लेकिन इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर गत वर्षों के अन्दर जितने बजट इस सदन में प्रस्तुत हुए, जितने बजट यहां की जनता ने देखे उन बजटों की तुलना अगर इस मौजूदा बजट से की जाये तो हम कहेंगे कि हम अवश्य आगे

(श्री शंकरलाल)

बढ़े हैं और यह बजट उन बजटों की तुलना में एक सराहनीय बजट है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को मैं एक त्रिमूर्ति तस्वीर की संज्ञा देता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, आपने अथवा माननीय सदस्यों ने कभी एक ऐसी तस्वीर देखी होगी जिसको सामने देखने से एक चित्र नजर आता है, अगर उसको दूसरी तरफ से देखें तो दूसरा चित्र नजर आता है, अगर उसको तीसरी तरफ से देखें तो एक तीसरी तरह का चित्र नजर आता है । आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी जिसको सामने से देखो तो किसी व्यक्ति का और दूसरी तरफ से देखो तो दूसरे व्यक्ति का और तीसरी तरफ से देखो तो तीसरे व्यक्ति का चित्र नजर आता है । उसी तरह से यह त्रिमूर्ति बजट हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सदन के सामने रखा है । इसको सामने से देखें तो स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव में उन्होंने राज्य की गत वर्षों की सही स्थिति का चित्रण हमारे सामने रखा है । इसको राज्य की सही तस्वीर कह सकते हैं । उन्होंने माना है कि हमारे राजस्थान के अन्दर हमारी आय के अन्दर गिरावट हुई है । उन्होने माना है कि कृषि के अन्दर गिरावट हुई है । उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि हम घाटे के अन्दर रहे हैं । इस प्रकार से राज्य का सही चित्रण हमारे सामने आता है । दूसरी तरफ हम देखें तो यह बजट 3 करोड़ के घाटे का बजट नजर आता है । तीसरी तरफ से देखें तो यह 8 लाख के सरप्लस का बजट भी नजर आता है । इस तरह से हम इस बजट को तीन तरह से देख सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सर्व प्रथम जो हमारे वित्त मंत्री ने और हमारी सरकार ने जो कदम उठाये कि राजस्थान के राजाओं बीकानेर, जोधपुर और जयपुर का जो बिजली और पानी का निःशुल्क खर्चा था उसको खत्म करके 3 लाख रुपये की बचत की । उसके लिए विरोधी पक्ष ने कहा कि यह तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था । मैं तो कहता हूं कि ऐसा एग्रीमेन्ट ही नहीं होना चाहिए था और वह बात दूसरी है लेकिन अभी-अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसका श्रेय तो राजाओं को देना चाहिए कि जिनकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर वह राजाओं को श्रेय देना चाहते हैं—मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने पढ़ा होगा कि राजा लोग उसके लिए हाई कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं । अगर आप राजाओं को श्रेय देना चाहते हैं तो आप अपना एक प्रस्ताव पेश करें और उन राजाओं को समझायें कि वह हाई कोर्ट में रिट न करें । उन्होंने कहा कि हम वास्तव में इसको चाहते थे । यदि आप ऐसा प्रस्ताव ले आते हैं और राजाओं को मना सकते हैं कि वह हाई कोर्ट में रिट न करें तो हम समझेंगे कि हां, आपका कहना बिलकुल सच है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसमें बाधा न डालें ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि दूसरा क्रांतिकारी कदम यदि आप राजाओं से उठवाना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको इस बात के लिए राजी करें कि वह अपने

(श्री शंकरलाल)
प्रिविपर्स को खत्म कर दें। आप राजाओं को श्रेय इस बात के लिए देना चाहते हैं तो इस प्रकार का कदम उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो आय-व्यय का विवरण है उसको देखें तो हमें मालूम होगा कि इसके अन्दर जो आय है उसमें करों से होने वाली आय 6178.37 लाख बतायी गयी है यह वह आय है जो कि करों से होगी और जो बिना कर से आय होगी वह 5046.28 लाख होगी। इस प्रकार बिना कर की आय कर की आय से कम है। प्रश्न यह है कि बिना कर की आय एक अच्छे बजट के लिए ज्यादा होनी चाहिए। हमारी आय दूसरे माध्यम से आनी चाहिए। लेकिन वह इसके अन्दर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरी तरह से हमारे राज्य की आय बढ़े उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिएं। साथ ही में हम देखेंगे कि हमारा जो व्यय है विकास के ऊपर वह 670?.59 लाख का होगा और जो दूसरे विकास के कार्य हैं उनके ऊपर 6035.7 लाख का व्यय होगा। इस प्रकार से हम देखें तो हमारा विकास के ऊपर जो व्यय होगा वह भी आज ऐसा अच्छा नहीं है जिसकी हम सराहना कर सकें। क्योंकि व्यय के मद में और विकास के मद में देखने से यह अन्तर मालूम पड़ता है। गये वर्ष के बजट को देखें तो उससे हमारे इस व्यय के अन्दर अविकास के व्यय के अन्दर ज्यादा वृद्धि हुई है और उपाध्यक्ष महोदय यह अच्छे बजट की निशानी नहीं कही जा सकती। गत वर्ष यह आंकड़ा 810.30 लाख का था और इस वर्ष 769.52 लाख का ही अन्तर है। यह अन्तर अधिक होना चाहिए था। हमारे विकास के कार्यों पर अधिक व्यय होना चाहिए था लेकिन गत वर्ष की तुलना में अब की बार विकास कार्यों में कम व्यय जरूर दिखाया गया है, यह अच्छी नीति का द्योतक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं करों के सम्बन्ध में निवेदन करूं। अलवर से आये हुए माननीय साम्यवादी सदस्य बता रहे थे कि करों से हमारे यहां राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 32 रुपये का भार पड़ेगा और यह बिहार, यू. पी. और मध्य प्रदेश राज्यों से अधिक है। उन्होंने शायद आंकड़ों को तोड़ मरोड़कर रखा या फिर वह समझ नहीं पाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा 32 रुपया हो सकता है लेकिन केरल में बहुत कम है। आसाम, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब और पश्चिमी बंगाल से कम है। इन सब राज्यों से राजस्थान में कर का भार कम है। साथ ही अगर हम उनके कहे अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य-प्रदेश को ले लें तो करों का भार जो प्रत्येक व्यक्ति लगता है उसकी तुलना में देखना पड़ेगा जो कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर खर्च करता है। राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति खर्चा होता है उसकी तुलना अगर बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से करें तो प्रति व्यक्ति हमारे यहां खर्चा अधिक होता है उन प्रान्तों के बजाय। यह आंकड़े इस प्रकार हैं कि उत्तर प्रदेश से हमारे यहां प्रति व्यक्ति खर्चा 24.8 रुपया अधिक खर्च होता है। जितना कर हम लेते हैं और जितना खर्च करते हैं उन दोनों के

(श्री शंकरलाल)

के अन्दर अन्तर 24.8 का है। याने 24.8 रुपया प्रति व्यक्ति हम ज्यादा खर्च करते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर हम देखें तो यह अन्तर केवल 15.73 का है और मध्य प्रदेश में यह अन्तर कुल 21.27 का है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति जो खर्च है वह इन दोनों प्रान्तों से करों की तुलना जितना कर हम हैं और खर्च करते हैं तो इन तीनों प्रान्तों से हम प्रत्येक व्यक्ति पर अधिक खर्च करते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं यह कहने जा रहा हूँ कि राजस्थान सरकार और कर लगाये। लेकिन इस प्रकार जो कहा जाता है कि राजस्थान के अन्दर करों का बोझ अधिक है यह बात बिलकुल गलत है और जैसा मैंने आपको बताया कि 9 प्रान्तों की तुलना में करों का बोझ हमारे यहां कम है वह सही है।

अब जो कर लगाये जाते हैं उनके विषय में भी कुछ निवेदन करना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, शराब पर कर लगा कर प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि लगे लेकिन हम देखते हैं कि बिक्री कर देशी शराब के ऊपर 10 से 15 प्रतिशत किया गया है जब कि बीयर के ऊपर 10 से 12॥ परसेन्ट ही किया गया है। यह अंग्रेजी शराब पर कम बिक्री कर क्यों और देशी शराब पर बिक्री कर अधिक क्यों ?

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : इसको बड़े पीते हैं और उसको गरीब पीते हैं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि उसके ऊपर भी इतना ही होना चाहिए था। वैसे हमारी नीति तो यह होनी चाहिए कि राजस्थान में पूरी शराब बन्दी करेंगे लेकिन जब कर लगाते हैं तो जिस प्रकार से देशी शराब के ऊपर लगाते हैं उसी तरह से बीयर के ऊपर लगाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूं कि जो सिनेमा पर मनोरंजन कर लगाया गया है उसको पचास पैसे से ऊपर के टिकिट पर लगाया गया है। मैं समझता हूं कि पचास पैसे का टिकट तो बहुत कम मिलता है, यहां तो मिलता ही नहीं है। इसके अलावा एक रुपये से दो रुपये के टिकिट पर जो परसन्टेज बढाया गया है वह सबसे ज्यादा है लेकिन दो रुपये से अधिक पर टैक्स कम कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय इसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहूं कि जो उन्होंने अपने बजट भाषण में बताया है उससे पता चलेगा कि यह जो उन्होंने करों की दरें रखी हैं वह न मालूम किस प्रकार रखी हैं। इसलिए कुछ निश्चित नीति होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक रुपये से अधिक और दो रुपये तक तो उन्होंने 15 परसेंट मनोरंजन कर बढ़ाया है और दो रुपये से अधिक का जो टिकिट है तो उस पर दस प्रतिशत ही ज्यादा बढ़ाया है। समझ में नहीं आता है कि दो रुपये पर तो और अधिक टैक्स बढ़ाना चाहिए था जब कि एक रुपये से 2 रुपये तक 15 प्रतिशत मनोरंजन कर आप बढ़ाते हैं। दो रुपये से ऊपर के टिकट पर आप केवल दस परसेंट ही टैक्स बढाते हैं। जो ज्यादा दर का टिकट खरीदने वाला है तो उस पर टैक्स भी ज्यादा होना चाहिए और कम का टिकट लेने वालों पर कम टैक्स होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह

(श्री शंकरलाल)

निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अलावा भी हमारे वित्त मंत्रीजी जो कुछ अन्य विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स लगाया होता तो ज्यादा अच्छा होता। अगर वह ज्वेलरी की चीजों पर टैक्स लगाते, अगर वह लिपस्टिक पर टैक्स लगाते, अगर वह इत्र पर टैक्स लगाते और जरी की चीजों पर टैक्स लगाते तो ज्यादा अच्छा होता।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी चीजें जो विलासिता की हैं जिनसे हमारे राजस्थान के आम नागरिक से कोई वास्ता नहीं है, जिनका कुछ चन्द पूंजीपति ही उपयोग करते हैं तो हम विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स लगाना चाहिए। यह जो छोटे 2 टैक्स हैं उन छोटे 2 टैक्सों का जिनका कि आम जनता पर प्रभाव पड़ता है उन्हें नहीं लगाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, वह कौन सा टैक्स है जिनका आम जनता पर प्रभाव पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने और हमारी सरकार ने जो मेलों के अन्दर जानवरों की बिक्री के ऊपर टैक्स लगाया है पांच परसेंट का वह बिल्कुल ही ऐसा टैक्स है जिसका कि जनता कभी स्वागत नहीं कर सकती। हमारे राजस्थान के गांवों के अन्दर जो लोग रहते हैं और जो लोग अपने खुद के बैलों से, खुद के जानवरों से अधिक जानवर पैदा करते हैं और उन्हें मेलों में बेचते हैं, उन पर टैक्स लगाया जाय यह मेरी समझ में नहीं आता। साथ ही इस टैक्स के द्वारा बहुत सा भ्रष्टाचार फैलेगा क्योंकि यहां पर मवेशियों पर टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि उस मवेशी की कीमत पर टैक्स लगाया गया है। उस मवेशी का क्या है, बेचने वाला और खरीदने वाला मिल कर कम कीमत बता देंगे और सरकार को इससे टैक्स कम मिलेगा। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार मवेशियों की खरीद पर टैक्स लगाना बहुत बुरी चीज है और यह टैक्स हमारे राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार, राजस्थान की जो जनता गांवों में रहती है, उनकी भावनाओं के बिल्कुल प्रतिकूल टैक्स है और इस टैक्स को बजट से अलग कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सिंचाई पर टैक्स लगाया गया है। सिंचाई के ऊपर 25 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है और इससे 25 लाख की आय होगी राजस्थान सरकार को। यह आय कोई बड़ी आय नहीं है। मेलों से आय कितनी होगी? जानवरों की बिक्री से 20 लाख की आय होगी और सिंचाई पर टैक्स से पच्चीस लाख की आय होगी, कुल मिला कर 45 लाख की आय होगी। लेकिन यह 45 लाख का टैक्स ऐसा है जो हमारे राजस्थान में करोड़ों आदमी रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं वह उनकी भावना पर कुठाराघात करता है। वे कभी नहीं चाहेंगे की सिंचाई पर टैक्स हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की आज जो खाद्य की स्थिति है तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाया जाय। एक तरफ हम प्रोत्साहन देना चाहते है कि वह ज्यादा अन्न पैदा करें। लेकिन दूसरी तरफ हम सिंचाई की दरों पर टैक्स लगा कर बढ़ाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह आज की वर्तमान स्थिति में अनुकूल नहीं है। आगे क्या होगा, राजस्थान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, क्या स्थिति होगी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों

(श्री शंकरलाल)

में जो सिंचाई की दरों के अन्दर जो टैक्स, लगान बढ़ा है वह गलत है और उसको बजट से निकाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो भू-राजस्व कर लगाया गया है मैं उसको बुरा नहीं कहता वर्तमान परिस्थितियों में, लेकिन एक शंका पैदा होती है लोगों के दिलों के अन्दर। जो 30 स्टैंडर्ड एकड़ और उसके ऊपर जिसके पास जमीनें हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह टैक्स सीलिंग की दरों के ऊपर लगाया गया है लेकिन क्या इससे यह तथ्य नहीं निकलता है कि सरकार सीलिंग का कानून लागू नहीं करना चाहती। अगर सीलिंग लागू करना है तो जो 30 स्टैंडर्ड एकड़ के ऊपर टैक्स लगाने की बात कही है तो उसी के साथ यह घोषणा भी करते कि फलां तारीख से सीलिंग को लागू किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीलिंग के बारे में कहना चाहता हूं और इसके साथ ही राजस्थान की ग्रामीण जनता की जो भावना है उसको भी सदन में प्रगट करना चाहता हूं। आज राजस्थान में जो सैकड़ों हजारों भूमिहीन किसान हैं जिनको जमीन दी जाकर खाद्यान्नों की उत्पत्ति बढ़ाई जानी चाहिए, इन भूमिहीनों को रोजगार देना चाहिए, वहां एक तरफ तो लोग हजारों बीघा जमीन अंधेरे रख जिन्होंने अपने पास जमीन रख रखी है, जमीनों के बारे में जो लैंड युटिलाइजेशन एक्ट है उसका पालन नहीं होता है, वह उसमें घास और केश क्रोप्स पैदा करते हैं और उनके पास काफी जमीन खाली पड़ी रहती है। इस तरह की जमीनें उनसे लेनी चाहिए और इन भूमिहीन किसानों को देनी चाहिए। आज तक इस सीलिंग के कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं यहां पर राजस्थान की जनता की भावनाओं को, राजस्थान की जनता की आवाज को, रखना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सीलिंग के कानून को लागू किया जाय। जल्दी से जल्दी इन आसामियों से भूमि लेकर भूमिहीन किसानों को दी जाय। इसलिए इस भूमि के कानून को सीलिंग के कानून को आगे सरकाने की बात हमारी समझ में नहीं आती। अगर सीलिंग के कानून के बारे में भी इसके साथ ही घोषणा की जाती तो मैं इस टैक्स का विरोध नहीं करता। यह टैक्स ठीक है। 30 स्टैंडर्ड से अधिक जिसके पास जमीन है उसे यह सरचार्ज देना चाहिए। अन्ततः मैं यह चाहता हूं कि भू-राजस्व को खत्म करके सीलिंग के कानून को लागू किया जाय।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि इस बजट के द्वारा हमारे प्रशासन के अन्दर जो कटौती करने के प्रस्ताव आए हैं जो हमारे खर्चे में कमी की गई है वह वास्तव में स्वागत के योग्य है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे 232 पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के पद समाप्त किए गए हैं और बहुत से अन्य पद जैसे बोर्ड कमिश्नर का पद, सिंचाई और दूसरी 2 जगहों के पद जो अनावश्यक पद थे वे सब समाप्त किए गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये अनावश्यक पद थे, लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हम प्रशासन के खर्च को देखें तो इससे भी ज्यादा हमारे

(श्री शंकरलाल)

प्रशासनिक खर्च के अन्दर कमी की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस प्रशासनिक खर्च के अन्दर इस वर्ष भी 518.85 रु० का खर्च बताया गया है। इसमें से 805 का खर्चा होगा केवल पुलिस की डिमाण्ड पर। केवल पुलिस के विभाग पर 805 लाख का खर्चा होगा। उपाध्यक्ष महोदय और मैं यह बताना चाहूं कि गत वर्ष प्रशासन के अन्दर 366.47 लाख का खर्चा था और वहां इतना खर्च में कटौती करने के बाद भी यह खर्चा हमारा 518.85 लाख का रखा है। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे प्रशासन में और खर्चे में कमी की जा सकती है और वह कमी किस प्रकार की जा सकती है इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा और वह यह कहना चाहूंगा सबसे पहले कि यह बात तो ठीक है कि जिनकी आवश्यकता नहीं है उन पदों को समाप्त किया जाय, यह बात तो ठीक है, लेकिन एक तरफ से आपका एक अधिकारी ऊंची से ऊंची तनख्वाह लेता है, तीन हजार, ढाई हजार तनख्वाह पाता है और दूसरी तरफ हम बात करें कि सौ दो सौ रुपया पाने वाले अधिकारियों के पद समाप्त कर दिए जायं। जहां पर पद समाप्त करने की आवश्यकता हो उन्हें समाप्त किया जाय लेकिन हम चाहते हैं कि इस राज्य के अन्दर समाजवाद की झलक हमें देखनी है तो इस प्रकार की घोषणा की जानी चाहिए कि चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सेक्रेट्री हो, चाहे राज्य का कोई अधिकारी हो, किसी की एक हजार से ऊपर तनख्वाह नहीं रहेगी।

(विपक्ष की ओर से हियर हियर)

उपाध्यक्ष महोदय यह क्या बात है कि एक तरफ तो तीन हजार, ढाई हजार, साढ़े बारह सौ रुपये की इतनी बड़ी 2 तनख्वाहें और दूसरी तरफ छोटी 2 तनख्वाह पाने वालों को समाप्त कर दिया जाता है कि तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, तो उनके दिलों में आवाज उठेगी कि आप एक तरफ तो छोटी तनख्वाह वालों को तो समाप्त कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बड़ी 2 तनख्वाहें देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी तनख्वाहों में भी कटौती की जावे और तभी समाजवाद की भावना दिखाई देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो डिप्टी डायरेक्टर्स के पद हैं, चाहे किसी भी महकमें में हों, जहां डिप्टी शब्द रहता है, चाहे डी. आई. जी. हो, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस हो, डिप्टी डवलपमेंट आफीसर हो, चाहे डिप्टी सेक्रेटरी हो, तो इन सब डिप्टियों को··

श्री मदनसिंह दांता : और डिप्टी मिनिस्टर हों तो ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने ऐसे पद हैं उनको समाप्त किया जाय।

इसके फलस्वरूप हमारे राज्य के अन्दर हमारे खर्चे के अन्दर बहुत बड़ी कटौती होगी और अच्छा लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे महकमें हैं जिनकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का महकमा है, जो

(श्री शंकरलाल)

ग्राफिस है अगर उसकी प्रगति को आप देखें तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार की पद्धति और किस प्रकार का काम इसका है। यह जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनसे मालूम होता है कि 1966 के अन्दर 1,32,400 व्यक्तियों का पंजीयन किया गया और उनमें से कितने आदमियों को रोजगार मिला 16079 को और 16,079 लोगों में से भी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के थ्रू केवल 5,570 आदमियों को रोजगार मिला। जहां 1,32,000 लोगों का पंजीयन हुआ उसमें से 16 हजार लोगों को रोजगार मिला। और 16 में से 5 हजार को एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के थ्रू रोजगार मिला। और जिलों के अन्दर स्टाफ है और उसके अन्दर भी स्टाफ है। उसका क्या औचित्य है? हम देखते हैं कि उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह जो महकमा है वह किसी काम का नहीं है, और उसके जरिये एक फालतू खर्चा होता है। वह खर्चा भी हमें अच्छा नहीं लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने यह बताया था और मैं उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि हमारी सरकार द्वारा जो ऋण दिया जाता है और जो ऋण दिया गया है उसकी वसूली नहीं होती है और उस वसूली के नहीं होने का बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव हमारे बजट पर पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि इस वर्ष के बजट के अन्दर 2705.39 लाख के अग्रिम एडवान्समेंट की तुलना में 1450 लाख की वसूली करने की बात रखी गई है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम गत वर्षों की सारी चीज को देखें तो हमें मालुम होगा कि जो फिगर्स हैं उनसे निराशा ही मिलेगी कि सरकार के पास इतना स्टाफ होते हुए भी वसूली नहीं होती है। जो वसूली देने के योग्य है—यह बात सही है कि जब जब भी वसूली में कड़ाई करने के आदेश जाते हैं अधिकारी गरीब किसानों को जरूर तंग करेंगे, मजदूरों को तंग करेंगे कि वसूली लाओ, लेकिन जो प्रभावशाली और बड़े बड़े जागरदार लोग हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनको नहीं छेड़ेंगे · · ·

श्री देवीदत्त : बड़े बड़े नेता हैं · ·

श्री शंकरलाल : · · · · जिन्होंने बिना आवश्यकता के राज्य के सैंकड़ों और हजारों रुपये ले रखे हैं और उनके पास वसूल के साधन हैं · · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपके डिप्टी मिनिस्टर साहब में 49 हजार रुपये बाकी हैं।

श्री शंकरलाल : 1962 के अन्दर जहां अग्रीम एडवान्समेंट 3013.68 थे वहां 3018.68 लाख रुपये के एडवान्स वसूली 450 लाख हुई। तीन हजार की जगह 450, उपाध्यक्ष महोदय। 66–67 को देखें तो एडवान्स लोन कितना था वह 3947.73 लाख रुपये था और वसूली कितनी हुई? 506 लाख। उपाध्यक्ष महोदय, 51 से लगाकर आज तक के आंकड़े और देखेंगे तो ज्यादातर रुपया उन लोगों में बाकी हैं जिन लोगों ने अनावश्यक ऋण ले रखा है। मैं जानता हूं कि हमारे पाली जिले में जो बड़े बड़े जागीरदार हैं उन्होंने हजारों रुपया खुद के नाम से, अपने बेटे के नाम से अपनी बेटी के नाम से ले रखा है। उनके

(श्री शंकरलाल)

पास सम्पत्ति है, लेकिन फिर भी वसूली नहीं होती है। क्या कारण है? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो इस वसूली के मामले को कसें और जिन लोगों को आपने लाखों रुपये दे रखे हैं और जिन लोगों के पास में सम्पत्ति है उनसे वसूली करने में आप अपने स्टाफ को एक दम लगायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और आगे निवेदन करना चाहूँगा योजनाओं के विषय में उपाध्यक्ष महोदय, हमारी इस साल 67–68 की जो योजना है उसके अन्दर 32 करोड़ के बजाय 44.50 करोड़ खर्च करने का प्रावधान सदन के सामने माननीय वित्त मंत्रीजी ने रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 44.50 करोड़ में से उन्होंने यह बताया है कि जो 11.50 करोड़ का अधिक खर्चा होगा उसमें से 7.77 करोड़ रुपया सिंचाई, बिजली और कृषि पर खर्च किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी मौजूदा खेती की स्थिति है, आज सिंचाई योजनाओं की, और बिजली की योजनाओं की जरूरत है। उस जरूरत को देखते हुए 11.50 करोड़ जो इस योजना पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं वह पूरे का पूरा रुपया कृषि, सिंचाई और बिजली पर खर्च करें। आपको खाद्य के संकट का सामना करके उसको पार करना है। अगर आपको राज्य का उत्पादन बढ़ाना है तो जो योजनाओं में वृद्धि कर रहे हैं वह उन मदों के अन्दर खर्च करें, ऐसी योजनाओं में वृद्धि करें जिन योजनाओं को कार्यान्वित करके अनाज के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। मैं पाली जिले के विषय में, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूँगा कि वहां पर बहुत सी ऐसी सिंचाई की योजनाएं हैं, जैसे हमारा ढाबरिया बांध है तो, उपाध्यक्ष महोदय, उस बान्ध की योजना कई अर्से से पड़ी है उसको अगर कार्यान्वित किया जाय तो कितने ही हजारों एकड़ सिंचाई होगी और कितना ही उत्पादन बढ़ सकता है। मैं समझता हूं कि वह एक उपयोगी योजना है। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोमादर की योजना के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे रायपुर तहसील में जो बोमारों की योजना है, रायपुर सुमेर की छत्रियों के नाल की जो योजना है, जो पाटन की योजना है, जोबड़ी धान की योजना है, चित्तौड़ के अन्दर सेली बाटी के बान्ध की जो योजना है, करालिया के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, जो बिगारी बान्ध की योजना है जिसमें नहरों को ऊंचा लेकर सिंचाई की योजना है···

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो आधा घन्टा ही हुआ है।

अगर इन योजनाओं पर कार्य किया जाता, अगर इन योजनाओं पर पैसा लगाया जाता तो मैं विश्वास के साथ कह सकता कि उनसे उत्पादन बढ़ता।

इतना ही नहीं, आज हमारे यहां जो किसानों के कुओं की दशा है, 6 लाख कुए राजस्थान के अन्दर हैं इनमें से केवल डेढ़ लाख कुओं का उपयोग होता है। दूसरे कुए उपयोग में नहीं आते हैं कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनका पानी नीचा चला गया। तो किसानों के लिए

(श्री शंकरलाल)

सबसे पहले बोरिंग और ब्लास्टिंग मशीन की जरूरत है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वे चीजें उन्हे समय पर नहीं मिलती है। उनके पास में पैसा नहीं है कि वे बोरिंग और ब्लास्टिंग में खर्च कर सकें। मैं चाहता हूं कि 5.77 करोड़ में वृद्धि करके पूरी की पूरी 11.50 करोड़ की रकम से जो योजनाएं बढ़ेगी तो उनको कृषि, सिंचाई और बिजली के अन्दर लगाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के अन्दर जितनी योजनाएं हैं उनमें प्राथमिकता हमें गांवों के अन्दर बिजली देने में करनी चाहिए। आज कई गांवों के अन्दर ऐसे कुएं हैं जिनके पास में बिजली आई हुई है और उसकी सम्भावना पर उन्होंने अपने अरहट हटा दिये हैं। बिजली ठीक उनके नजदीक आ गई है, लेकिन उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह से पावरा गांव में ऐसे 7-8 कुएं हैं तो उनके अन्दर बिजली नहीं दी गई। वह काम पूरा होना चाहिए। हमारी रायपुर तहसील में आजीवास की योजना है, बालूंदा के लिए हम कह सकते हैं। जैतारण में करालिया, ठाकुरवास के पास कुएं हैं जो कि बिजली लेना चाहते हैं। वे बिजली का उपयोग लेकर सिंचाई और कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। उसके अन्दर जो योजनाएं हैं उसके लिए कदम उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ जो बातें हैं उनको मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर शहरों के लिए पेय-जल की व्यवस्था के लिए 2 करोड़ की है, लेकिन गांवों के अन्दर 30 लाख से 80 लाख कर दी गई है। उसके अन्दर 50 लाख रुपये बढ़ाये हैं। जो जनता राजस्थान की गांवों के अन्दर रहती है तो ऐसे गांव भी हैं जहां मील-दो मील से पानी लाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों को स्नान के लिए तो क्या पीने के लिये पानी नहीं मिलता है। हमारे पाली जिले में जैतारण तहसील के सिमला और गिरना गांवों को जाकर देखिये। वहां के लोग पीने का पानी कितनी दूर से लाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जब राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ इस सदन के अन्दर तब बताया था कि पेयजल की व्यवस्था के लिए 70 करोड़ की योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में उस योजना का कोई उल्लेख नहीं है कि इस योजना में कितना रुपया खर्च किया जायगा पेयजल की समस्या को सुधारने के लिए। मैं चाहूंगा कि यह हमारी सरकार का परम कर्त्तव्य है कि वह गांव वालों के लिए पीने के पानी के लिए व्यवस्था कराये। हर एक गांव में, गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था करे कि एक कुआ जिसका पानी लोग पी सकें अगर किसी गांव में कुआ नहीं हो तो वहां पर टांका बनाया जाय। मुझे याद है, कुछ साल पहले राजस्थान में जल बोर्ड बना था। उस जल बोर्ड के अन्तर्गत गांवों के अन्दर पीने के पानी की समस्या कुछ पूरी हुई थी लेकिन आज सरकार के पास में ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा पेय जल की योजना को जल्दी ही पूरा करने के लिए प्रावधान होना चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में बताया

(श्री शंकरलाल)
गया है कि पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए इतनी छात्र वृत्ति दी जायगी, इतना छात्रवासों पर खर्चा किया जायगा। पिछड़ी जाति के लिये बहुत अच्छा काम किया जायगा। बहुत अच्छा! उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करता हूं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन छात्रावासों से निकलने वाले विद्यार्थियों को क्या पूरा रोजगार मिलता है, क्या उनको एम्प्लायमेंट मिलता है।

राज्य सरकार की एक नीति है कि नौकरियों में अनुसूचित और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को साढ़े बारह पर्सेन्ट स्थान दिये जायेंगे लेकिन इस नीति का पालन होता है या नहीं होता है—यह आपको देखना चाहिए। मैं एक बहुत ताजा उदाहरण आपको बताऊं कि हमारे राजस्थान के अन्दर खाद्य विभाग, फूड डिपार्टमेंट में से कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ लोगों को रिट्रेन्च किया गया, कुछ लोगों को ऊपर बढ़ा दिया गया है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) लेकिन जिन लोगों को हटाया गया है, उनको हटाते समय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह ध्यान रही रखा गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट के सब लोगों को तो नहीं हटा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट के साढ़े बारह पर्सेन्ट लोगों को तो डिटेन करना चाहिए। अभी भी वह मसला सरकार के विचाराधीन है सरकार को चाहिए कि शीघ्र ही इस मसले को हल करे और साढ़े बारह पर्सेन्ट को जो अधिकार है नौकरियों में रहने का वह अधिकार उनको मिले और उसके अनुसार उनको नौकरियों में रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम रह गया है और · · ·

श्री उपाध्यक्ष : समय खत्म हो गया है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक कुछ नहीं कह कर यह कहना चाहूंगा अन्त के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय · · ·

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री आलमअली : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट!

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! माननीय मदनसिंह!

श्री आलमअली : पांच मिनिट जरूरी है, इसमे मैं रख दूं।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : अरे सुनो तो सही। मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! श्री मदन सिंह!

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि बीस-बीस मिनट दिये जायं तो जो माननीय सदस्य नये पधारे हुए हैं, जिनको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका नहीं मिला है उनको मौका मिल जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप ही उदाहरण पेश करें।

श्री ·दनसिंह दांता : आप कहे तो मिनिट में एक सांस में क्रिटिसाइज कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का न तो ज्यादा समय लेना चाहता हूं और न मैं बि·[illegible]

(श्री मदनसिंह दांता)

का विशेषज्ञ हूं। परन्तु मैं एक वह नागरिक हूं जिसके ऊपर सारी व्यवस्था लागू हो रही है। यह जो अर्थ की व्यवस्था है, मैं समझता हूं, यह राजस्थान के नागरिक पर और पशु पर दोनों पर लागू होगी। और मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था को हर मानव समझ सकता है। मैं एक बात की तो तारीफ करूंगा कि यह पहले वित्त मंत्री हैं जिनके भाषण में जो सम्पूर्ण बजट है उसकी छाया इन्होंने रखी है। जितने जितने पहले वित्त मंत्री हुऐ वह अपने भाषण के अन्दर अपने पूरे बजट की छाया नहीं रखते थे इसलिये मेरे जैसे फौजी आदमी उस बजट को कम समझ पाते थे, पर यह बजट पूरा समझ में आया है। मैं समझता हूं कि बजट की राशि 117 करोड़ की है। राजस्थान की जनता के लिये कोई बड़ा भारी खर्चा हो, मैं उसके बीच में बाधा करूं-ऐसी व्यवस्थाओं को मैं नहीं मानता। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त मैं वित्त मंत्री का भाषण सुन रहा था, मेरे दो चार दफा मन में आया कि मैं बीच में उठ कर कहूं, पर मैंने समझा कि यह सदन की मर्यादा के खिलाफ होगा। मैं विचार कर रहा था कि वित्त मंत्री जी अपने भाषण के अन्त में यह फर्मायेंगे कि जब तक राजस्थान में अन्न की कमी पूरी नहीं हो, जब तक राजस्थान में पानी की व्यवस्था न हो, जब तक राजस्थान के किसानों को उद्योग और धन्धे के लिये पूरी राशि न मिले और जब तक राजस्थान के किसानों की उन्नति न हो, जब तक राजस्थान के पुलिस के आदमियों और फौजियों के लिए, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, अच्छी व्यवस्था नहीं हो तब तक राजस्थान के वित्त मंत्री सौ रुपये माहवार लेकर झोंपड़ी में रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि वह ऐसा ऐलान करते तो हम विचार करेंगे कि वह राजस्थान को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। वैसे हमारा अनुभव है कि पहले भी बजट सैशन हुए हैं और उनमें कई तरह की घोषणाएं हुई हैं पर वह कहां गई। वह तो राजस्थान की जनता से त्याग ही करा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह परम्परा हिन्दुस्तान में हमेशा से रही है। महर्षि चाणक्य एक झोंपड़ी में बैठे हुए सारी व्यवस्था करते थे। बजट सब बनाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी बजट बनाती है और सब पार्टी ही बजट बनाती है—बजट में दोष नहीं होता है। जो बजट बनाया है उसमें दोष नहीं है, जिन्होंने बजट बनाया है उनमें दोष नहीं है। बजट में सबसे बड़ी गहराई की चीज होती हैं वह दो तीन चीजें ही सोचने की होती हैं। बजट की आय जिन जिन मदों पर खर्च हो रही है वह उन चीजों पर खर्च हो रहा है कि नहीं? बजट की आय पर कौनसे नियम और कौनसे कानून लागू हैं जिन कानून और नियमों के जरिये इस बजट की राशि, बजट का रुपया जहां भेजना चाहिए वहां पहुंचता है या नहीं? आपकी व्यवस्था यह है कि बजट एक तरफ रुपया कहीं देना चाहता है लेकिन आपका कानून इस तरह का है कि उस कानून के जरिये जहां रुपया पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता है। तकावी के सम्बन्ध में काफी सदस्य बोल गये हैं। तकावी का चक्करदार कानून बनाया गया है कि कोई भी किसान उसको पहचान नहीं सकता, किसान का वकील भी नहीं समझ सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, तकावी का सीधा रास्ता है लेकिन उसको इतना पेचीदा रख दिया गया है कि पहले किसान अपनी जायदाद

(श्री मदनसिंह दांता)

रखें. फिर दूसरा किसान आये, वह भी अपनी जायदाद रखे। फिर सरपंच और फिर ग्राम-सेवक। इस तरह जो तकावी पन्द्रह दिन में मिल सकती है वह किसान को दो महीने में जाकर मिलती है। बजट सब अच्छे होते हैं लेकिन उनको चलाने की क्षमता होनी चाहिए। तो दूसरा मुद्दा आता है कानून का जिसके जरिये बजट का पैसा पहुंचाया जाता है। यह दूसरा पक्ष है और तीसरा पक्ष है कि बजट में लगे एडमिनिस्ट्रेशन में ताकत होनी चाहिए कि राजस्थान की जनता के टैक्स का जो पैसा है उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। यह तीसरी बात है। इस तीसरी बात के अन्दर मैं आपको बताऊं, वित्त मंत्रीजी जहां बैठे हैं वह सुनलें, अगर राजस्थान की जनता के टैक्स का पैसा आज जिस तरह भ्रष्टाचार में खर्च हो रहा है. जो दूसरे लोग खाये जा रहे हैं—चाहे पंचायत समिति हो, चाहे कोई आफिसर हो, या अन्य कोई हो—अगर वह बन्द कर दिया जाय तो राजस्थान की जनता के ऊपर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं हो। इतना आज गबन हो रहा है। इस बात को आंकड़े बता सकते हैं कि राजस्थान की जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अगर इस दुरुपयोग को बन्द कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को यह एलान नहीं करना पड़ेगा कि हम और टैक्स बढ़ाना चाहते हैं।

दूसरे कमी की भी उन्होंने सूचना दी कि बड़ी बड़ी कमी हुई है। वह कमियां भी गरीबों में हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को चलाने वाले के लिए, जैसे कम्युनिस्ट के हमारे नेता कह रहे थे, उन्होंने सत्रह सूत्रीय कार्यक्रम बताया। वैसे ही मैं केवल सात बातें बताऊंगा कि इस बजट को कौन संस्था, कौन व्यक्ति, कौन गवर्नमेंट चला सकती है। जिसके हृदय में स्नेह की ज्योति जागती हो, जिनकी भावनाओं में परम्परा की शान हो, जिसके वचन में सच्चाई हो, जो उन्नति की ओर कदम उठा सके, जो सत्य भाषी हो, जिनका हृदय विशाल आत्म विश्वास से ओतप्रोत हो, जिनके हृदय में बलिदान की कूट कूट कर देश के लिए भावना हो। और यह किसमें होती है। वह उसमें होती हैं जो फौजी है। यह जितनी मैंने बातें बताई, वह फौजी में हो सकती है। अगर यह बजट किसी एक्स सर्विसमैन या प्रधान के हाथ में होता, या इस बजट की व्यवस्था किसी एक्स सर्विसमैन के हाथ में होती··

श्री उपाध्यक्ष : इसके साथ में यह और जोड़िये कि वह चुन कर आया हो।

श्री मदनसिंह दांता : ऐं।

श्री उपाध्यक्ष : वह चुन कर भी आया हो—यह भी जोड़िये।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : आप चुन कर भी आये हैं और फौजी भी है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं मैं प्रिन्सिपल की बात कह रहा हूं, मैं फौजी महात्मा गांधी को भी समझता हूं, या तिलक में थी, या आपके नेता शास्त्री जी में थी, या सुभाषचन्द्र में थी और विदेशों में देखें तो चर्चिल में थी, और उससे भी आगे जाकर देखें तो अमेरिका में एक्स सर्विसमैन की भावना कनैडी में थी। मैं समझता हूं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया, उन्होंने बजट को चलाया और राष्ट्र की सेवा भी की। इधर देखते हैं तो इन चीजों में अन्तर होता

(श्री मदनसिंह दांता)

है। इस कारण से योजना सफल नहीं होती हैं। जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं हो सकता है, जिनमें इन भावनाओं का संचार नहीं हो सकता है, उनका बजट सफल नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, परसों प्रान्त की सीमाओं की व्यवस्था की बात चल रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। जब मैं कैनेडा का इतिहास देखता हूं तो बीच पर कैनेडी अपने बच्चों के साथ स्नान कर रहे हैं और राष्ट्र की रक्षा भी कर रहे हैं। यहां के होम मिनिस्टर को पता नहीं है कि अपना दुश्मन कौन है, अपनी सीमाओं पर क्या हो रहा है। यह चीजें देखता हूं तो मैं समझता हूं कि इन चीजों में ज्यादा तरक्की नहीं हो सकती है आज यहां के होम मिनिस्टर, मैं समझता हूं कि और खर्च बन्द करके जहां भी वे रहे अपने साथ वायरलेस रखें। जहां बैठते उठते है वहां टैलीफोन और टेप रेकर्डर रखें जिससे सीमा सुरक्षा की स्थिति अच्छी तरह से उनको मालूम हो सकें। मगर आज होम मिनिस्टर का ही मामला नहीं है कि उनको ही मालूम नहीं है बल्कि सबसे ऊंचे अधिकारी हमारे प्रेसिडेन्ट हैं उनकी कुर्सी के नीचे पाकिस्तान की कोई योजना बनती हो तो उसका भी पता चल सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वे इस बजट को कैसे चला सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय (उपाध्यक्ष), आज हमारा अनुभव यह कहता है, मैं दो तीन चीजें सदन के सामने ऐसी रखूंगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने कुछ खर्चे को कम किया है। इसके लिये मेरे पास जोधपुर से पत्र आये हैं कि आबकारी में जितने फौजी थे उनको कम किया है। इसलिये अगर उन्होंने सबसे पहले किसी भी क्लास को हिट किया है तो जवान और किसानों को किया है। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि जिस इलाके से वे जीत कर आये हैं वह इलाका भी फौजी इलाका ही है जिसमें फौजी भाई रहते हैं और वे कैमखानियों के बल पर जीत कर आये है। आज वे वित्त मंत्री के नाते उन्हीं के लिये यह कटौती काम में ला रहे हैं। वित्त मंत्री ने जो खर्चा कम करने के लिये जो कमी की है वह ऐसे आदमियों के साथ अन्याय हुआ है जो बहुत गरीब हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसानों के संबन्ध में दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। उनके लिये यह ऐलान हुआ कि 5 करोड़ की भूमि पर लगान माफ करेंगे और 30 एकड़ से ज्यादा पर लगेगा। किसान जिसने हमेशा कांग्रेस को सींचा है और कांग्रेस का राज्य लागू किया है उसके लिये आज सैंकड़ों लॉज ऐसे बने हैं जिससे आज वह किसान दुखी हैं और उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम सबको मालूम है कि सीलिंग का कानून बन रहा है। जिसके पास ज्यादा जमीन है उस जमीन के टुकड़े होंगे और कम जमीन होगी उसको जमीन दी जावेगी। और इस प्रकार का कानून बन रहा है। मगर इस बात को हमारे वित्त मंत्री जी भूल गये कि आप जानते हैं कि कोओपरेटिव फार्मिंग होगा तो पांच बीघा वाली जमीन और 30 एकड़ वाली जमीन का क्या होगा जब वे एक होंगे तो क्या कानून बनाना होगा। क्या उस समय कोओपरेटिव में 3, बीघा और 5 बीघा रहेंगे या छूट जावेंगे। इसके लिये आप अपना तर्क दें।

मैं इसको फिर दोहराता हूं। जब कोओपरेटिव फार्म बनेंगे उस समय पांच बीघा जमीन जिसके पास है वह जमीन कम्बाइन्ड हो जावेगी और वह जब 20 बीघा हो जावेग

(श्री मदनसिंह दांता)
तो उसके लिये आपने क्या व्यू रखा है। उसको उसी 5 बीघा की श्रेणी में रखा जावेगा या उसको बड़े काश्तकार की श्रेणी में रखा जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे कई टैक्स लगे उनके सम्बन्ध में मेरे पूर्व में कई भाई बोल चुके हैं इसलिये मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के बारे में कहना है। मुझे इसके लिए यही कहना है कि इसको बन्द कर देना चाहिये क्योंकि इसका फंक्शन है वह अच्छा नहीं है। इससे तो साधारण पुलिस का मामला अच्छा था। यदि कोई मामला एन्टीकरप्शन को दे दिया जावे तो उसमें इतना उल्टा मामला पड़ जाता है कि 6 महीने तक इतनी रगड खानी पड़ती है जो खुद एन्टीकरप्शन करते हैं उनको रगड़ नहीं मिलती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि या तो यह डिपार्टमेन्ट खत्म होना चाहिए और अगर इसको खत्म नहीं करते हो और अगर चीफ मिनिस्टर की हिम्मत हो तो वह जैसा मैंने पहले कहा था इस डिपार्टमेंट को विरोधी दल के सदस्यों के हाथ में सौंपा जाना चाहिये। आप समझते हैं कि इससे आपको परेशान कर देंगे। मगर ऐसा नहीं हो सकता।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपका स्वप्न सच्चा नहीं हो सकता।

श्री मदनसिंह दांता : मेरे स्वप्न कभी सच्चे हो जावेंगे। आज एन्टीकरप्शन आपके पास है मगर आप हम पर मुकदमें नहीं चला सकते इस दृष्टि से मैं नहीं कहता हूं। इसको विरोधी दल के लोग अच्छी तरह से चला सकते हैं। अच्छे अच्छे मंत्री और नेता लोग अच्छे ढंग से सोचने लग जावेंगे। यह मैं अपने ढंग से कहना चाहता हूं। जब यहां पर सबसे बड़ा ऐलान हुआ कि जागीर कमीश्नर बाकी है, को खत्म किया, बी० डी० ओज० को खत्म किया। मुझे यह सुन कर बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने केसेज लगा रखे थे। मैंने सोचा कि उन केसेज के आधार पर उसको खत्म किया होगा। जब मैंने बाहर जा कर देखा तो मालूम हुआ कि उनको खत्म नहीं किया गया है वे कहीं न कहीं एडजस्ट किये जावेंगे। खर्चा तो यों का यों होगा और उनकी जगह दूसरे लोग होंगे वे तो उनसे भी ज्यादा खराबी करेंगे। कम से कम बी० डी० ओ० उस स्तर का ऑफिसर है जो उस डिपार्टमेंट को संभाल सकता है। इससे तो अच्छा यही था कि अध्यक्ष और कलेक्टर ही इसको संभालते तो ज्यादा अच्छा था। व्यक्तिगत रूप में मैं ब्लॉक डेवलपमेंट को भी अच्छा नहीं समझता था लेकिन पोलिसी मेटर के मामले हैं इसलिये उनका होना जरूरी है। मगर मैं यह कहूंगा कि इसके लिये कलेक्टर और अध्यक्ष वहां के पंचायत के हों वे ही काफी हैं। अगर ऐसा हो तो इससे भी ज्यादा खर्चा कम हो जाता है।

एन्टीकरप्शन के लिये मुझे एक केस पेश करना होगा क्योंकि जागीरों का प्रश्न था और मुवावजे का प्रश्न था उसके लिये एक वायदा है और उसको देना चाहिये। मगर बीच के ऑफिसर भ्रष्ट होने के नाते, जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके लिये आज तक सजा नहीं है। इसके कमिश्नर गोरधनसिंह हैं जो जागीर को बढ़ा कर बीच में पैसा खाते थे और जो जागीर दस हजार की है उसको 1 लाख की जागीर रेज करके मुआवजा लिया गया है। उसके लिये मैंने कई बार कहा है लेकिन फिर भी उस केस को अभी तक पेंडिंग में रखा गया है। इसलिये मैंने

(श्री मदनसिंह दांता)

पहले कहा था कि बीच में रुपया खाते हैं, भ्रष्ट हैं उनको चैक नहीं करेंगे तो जो खर्चा होगा वह आधा लोगों में खर्च होगा। इन जागीर कमिश्नर के लिये मैंने यहां सदन में भी मेरे मित्र के जरिये स्थगन प्रस्ताव रखवाया था और उस समय लड्डा साहब ने आश्वासन दिलाया था कि अगर सच्च होगा तो सजा देंगे। आज वे यहीं हैं और उनको कोई सजा नहीं दी गई है और वे कल रिटायर हो जायेंगे। इसलिए जब तक भ्रष्ट लोगों को सजा नहीं दी जावेगी तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा और पक्षपात करने वालों को सजा नहीं मिलेगी और पक्षपात भी नहीं मिटेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप चाहें जितना सुन्दर बजट बनाइये, जिनके पास रुपया पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेगा!....

इस तरह उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली और वाटर वर्क्स के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। जहां तक बिजली विभाग का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि राजस्थान बिजली विभाग के जितने भी सेक्रेटरी हैं, इन्जीनियर्स हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि बिजली के मामले में जिस तरह एक मां अपने बेटे को पालती है उसी तरह राजस्थान में इन अधिकारियों ने आउट आफ लिमिट जा कर भी बिजली के प्रसार का कार्य किया है। कई आफीसर्स ने तो इस प्रकार काम करने में सजा पाई है पर गांव से कोई आ गया तो उसको बिजली दी गई है।

इसमें कुछ चैकिंग हो, क्या घोटाले हो जाते हैं इस सम्बन्ध में मेरे सुझाव हैं, उनके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। जहां तक बिजली के महकमे का प्रश्न है, वह बिलकुल ठीक है, पर बीच में बिजली लगाने वाले कन्ट्रेक्टर्स हैं, वे लोग बड़ी बदनामी करते हैं। कन्ट्रेक्टर्स गांवों में जाते हैं और लोगों से पहले ही रुपया उगाह लेते हैं और कहते हैं कि पृथ्वीसिंह ने कहा है कि फलां जगह बिजली आ जायगी. तुम लोग रुपया पहले ही जमा करा दो। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जानकारी चाहें तो मेरे पास नाम हैं। उन गांवों से रुपये इन कन्ट्रेक्टर्स ने पहले ही लोगों से उगाह लिये हैं जहां दो वर्ष भी बिजली नहीं जायेगी। ऐसे गांवों में लोगों से पहले ही रुपये उगाह लिये हैं। मंत्री महोदय ने जहां जहां बिजली का काम किया है, महकमे ने जहां जहां बिजली का काम किया है ईमानदारी से किया है।

अब मैं दो शब्द वाटर वर्क्स के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, वाटर वर्क्स के मंत्री महोदय यहां नहीं है, नवाब साहब को ही नोट करना पड़ेगा। आज वाटर वर्क्स इतना भ्रष्ट हो गया है कि इसकी कोई मिसाल नहीं। मैंने कई केसेज पकड़ाये हैं। सीकर के बड़े एग्जीक्यूटिव आफीसर वाटर वर्क्स के हैं, उनको वाटर वर्क्स के कार्य के लिये जीप दे रखी है, दूसरी सब प्रकार की सुविधाएं दे रखी हैं पर वे अनाज का व्यापार करते हैं। जीपें गांवों में भेजते हैं, किसी प्रधान से ट्रोली लेते हैं और ट्रोली से अनाज का व्यापार करते हैं। मैंने उनके फोटो मंत्री महोदय को दिये हैं, यह सेशन चल रहा है, इस सेशन में इस पर विचार नहीं होगा तो फिर मुझे आना पड़ेगा और मजबूर हो कर आन्दोलन खड़ा करना पड़ेगा। मुझे विश्वास दिलाया गया है कि ऐसे आफीसर के खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

वाटर वर्क्स में बड़े एग्जीक्यूटिव आफीसर इस तरह अनाज का व्यापार

(श्री मदनसिंह दांता)

करें, ड्राइवर को लिखित में दिया है कि बोरियां लदाओ, जब हमने सुना तो हमने आदमी लगाया और फोटोज लिये ।

आज लांका से समाचार आये कि शादियां हुई तो एक एक कर्मचारी एक एक शादी वाले से 25, 2 रुपये लेता है। अगर शादी वाला अपने यहां इन लोगों को तीन टाइम खाना नहीं खिलाता और एक शादी के लिये 25 रुपये नहीं देता तो पानी नहीं देते हैं । यह नये जागीरदार कहां से पैदा हो गये हैं । जागीरदारों पर अभी आक्षेप लगाया गया, मैं कहना चाहता हूं कि अब कहां रहे जागीरदार, आपसे भी गये बीते आज जागीरदार हैं, जिनको अन्न पानी नहीं मिलता है । पर आप इन नये जागीरदारों को नहीं पकड़ सकते जो हर शादी का 25 रुपया वसूल करते हैं । इसलिये नहीं पकड़ सकते कि उनके जरिये अनाज का व्यापार होता है, गायों की चराई उनके जरिये होती है और घर के काम उनके जरिये होते हैं।

अब मैं थोड़ा गल्ले के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा । उस रोज भी गल्ले के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी, उस समय मैंने सीकर के लिये कहा था। पर मुख्य मंत्री बार बार खड़े होते थे.....

श्री उपाध्यक्ष : आपने यहां का एक केस पकड़ाने का कहा था ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका-थाना) : आपने खबर दी थी एक व्यापारी के यहां अनाज पकड़ाने की....

श्री मदनसिंह : सब्र रखिये, अभी मुश्किल हो जायगी, मैं कहने हो वाला हूं। मैंने राजस्थान में आपसे ज्यादा 17 वर्ष तक धक्के खायें हैं, मैंने आपसे ज्यादा दुकानें देखी हैं। मैंने चांदपोल के कोठों में मंत्री महोदय को रात के एक बजे तक दिखाया और 2 हजार मन अनाज पकड़वाया अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनको सजा मिलेगी या नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी : डिक्लेरेशन पर नहीं होगा तो जरूर सजा मिलेगी ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : आप तो सेल्स टैक्स के मामले में पकड़े गये थे, आपको तो सजा नहीं मिली ।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री मदनसिंह दांता : नहीं आपने कुछ नही किया है, आप बिलकुल साफ है, नापाक हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे बारे में कहा है, मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, किसी सदस्य के बारे में कोई बात कही जाये तो उसे स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे को स्पष्टी-करण करने का मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लें उसके बाद ।

श्री मदनसिंह दांता : अनाज की चर्चा चलाते समय मेरे मुंह से यह निकला था कि सड़ा हुआ अनाज लोगों को दिया जाता है। उस सड़े हुए अनाज की बोरियों के जो का नमूना मैं सदन की मेज पर रख रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर दस्तखत कर दीजिये कि यह आपने पेश किया है।

श्री मदनसिंह दांता : वे कौनसे गोदाम हैं, 50 गोदाम हैं, 22 गोदाम हैं वहां से सड़ा हुआ जौ लेकर बच्चे आये और कहा कि हमारे लिये तो कहिये। मैंने पहले भी कहा था। माननीय सदस्य नीम का थाना से पधारे हुए हैं, उनको तो पास जाने से दुर्गन्ध आ रही थी, वह अनाज आज जयपुर की दुकानों पर बांट रहे हैं और जयपुर की भूखी नंगी जनता उस सड़े हुए अनाज को खा रही है और राजस्थान के वित्त मंत्री एक फर्स्ट क्लास पोशाक में खड़े हुए भाषण दे रहे हैं जैसे शादी में पधारे हों। मेरे ख्याल से राजस्थान के वित्त मंत्री को खादी की टोपी और खादी का कुर्ता पहन कर झोंपड़ी में बैठ जाना चाहिये था और यह प्रण करना चाहिये था कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति, राजस्थान की खाद्य स्थिति जब तक नही सुधरेगी, तब तक मैं झोंपड़ी में ही रहूंगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : आप तो फरमा रहे थे कि सब को कम बोलना चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : मेरे सब्जेक्ट पर दो बातें मुझे कहनी हैं। बड़ी लज्जा की बात है कि राजस्थान के वित्त मंत्री ने अपने बजट में एक्स सर्विसमैन के लिये एक पैसे की भी व्यवस्था नहीं रखी है। आप सारे बजट भाषण को उठा कर देख लीजिये, एक शब्द भी एक्स मिलिटरी सर्विसमैन के लिये नहीं कहा है, एक पैसे का भी प्रावधान इनके लिये नही किया है। जिनके बारे में यहां सदन में बार-बार पूछा जा रहा है, काफी समय से आवाज उठा रहे हैं पर एक्स सोल्जर्स के लिये, आर. ए. सी. के लिये कुछ नहीं कहा है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि 1000 रुपया टोकन का रखा है। एक हजार रुपये का बंटवारा किया जाय, एक हजार रुपये का गुड़ खरीद कर पानी में घोल कर दें तो भी पानी नहीं आयेगा। मैं समझता हूं आयुर्वेद से एक हजार रुपये का संखिया मंगा लिया जाय ताकि उनका फंदा भी कट जाय और हमारा फंदा भी कट जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

आप स्थान ग्रहण करें। मैने घंटी बजा दी है कई बार।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने हृदय की घंटी नहीं सुनी है। जिनका प्रतिनिधि बन कर आया हूं उनके सम्बन्ध में दो शब्द कह दूं फिर मैं बैठ जाऊंगा।

इनको जमीनें अलोट करने के बारे में राजस्व मंत्रीजी पूछना चाहते थे कि क्या बात है? बात यह है कि सर्विस क्लास के हैं उनके लिये कोई कानून नहीं है कि जमीन मिले और एक्स सोल्जर्स हैं, उनके लिये कोई कानून नहीं है कि प्लाट्स मिलें। ऐसे न

(श्री मदनसिंह)
मालूम कहां से नियम निकाल कर लाये हैं। किसने ऐसे नियम बताये हैं।

आज फौजियों की हालत जहां तक पंजाब का सवाल है, अच्छी है। पर हमारे यहां अशोक चक्र, वीर चक्र जिन लोगों को मिले हुए हैं उनको आज तक एक पैसा नहीं दिया गया है जब कि राजस्थान मुख्य मंत्री कोष है, जनता ने मुख्य मंत्री कोष में लाखों रुपया दिया है, उस चंदे में से भी इन लोगों को एक पैसा नहीं मिल रहा है। राजस्थान के सिपाही को पेन्शन 5 रुपया है, हमने इस बारे में कई बार कहा, चपरासी की पेन्शन 25 रुपया और फौजी सिपाही की पेन्शन 5 रुपया। इसके सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े भी हैं। इसलिये आपकी आज्ञा के माफिक बजट के सम्बन्ध में शासक के तौर से अपने भाव रखते हुए, भाव भी शासक के तौर पर क्योंकि गुलामों की तरह से देखें तो कुछ नहीं कर सकेंगे, शासक की तरह से देखेंगे तो बता सकेंगे कि यह बजट गरीबों का पोषक नहीं, गरीबों का शोषक बजट है, इससे पूंजीपति बढ़ेंगे और गरीब मरेंगे, इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने मुझ पर आरोप लगाया कि मेरे सेल्स टैक्स के मामले ये बही खाते पकड़े गए। मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि पिछले साल इन्हीं विरोधी सदस्यों ने मंत्री महोदय को दरख्वास्तें पेश की कि मोदी बंधु सैल्स टैक्स की चोरी करते हैं और मंत्री महोदय ने एक आदेश गुप्तचरों को देकर उन्होंने 10 सेल्स टैक्स आफीसर, एक डिप्टी कमिश्नर और 20 या 30 सिपाही नीम के थाने भेजे। वहां जाकर उन्होंने 200 के करीब किताबें जब्त कीं। एक माह तक 10 सेल्स टैक्स आफिसरों ने बैठकर एक एक पेज देखा और एक पैसे की भी चोरी नहीं मिली। मै माननीय सदस्य से कहता हूं कि उनको ऐसी बातें कहते हुए कम से कम शर्म तो महसूस होनी चाहिए।

श्री दर्नसिंह दांता: किसी ने नहीं कहा।

एक माननीय सदस्य: श्री श्रवणलाल ने कहा।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर ऑर्डर। आपका एक्सप्लेनेशन आ चुका।

श्री मदनसिंह दांता: मै उर्दू ज्यादा नहीं समझता। इसलिए जो नापाक शब्द कह दिया उसको पाक समझें।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष: या तो आप अपने को संयुक्त दल मानें और उस तरह से समय का बटवारा करें। अगर अपने को अलग अलग 5—6 दल मानते हैं तो जो पार्टियों के नेता हैं उन्होंने डेढ़ डेढ़ घंटा लिया है।

श्री विजयसिंह रावत: श्री दुर्गालालजी 1 घंटा 15 मिनट बोले हैं उसके बाद स्वतंत्र पार्टी में से कोई नहीं बोला है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दुर्गालाल 1 घंटा 26 मिनट बोले हैं।

श्री श्रवणलाल: पोइंट आफ आर्डर। मेरा व्यवस्था का सवाल है। जब से सदन

(श्री श्रवणलाल)
चला है, उठक बैठक करते रहते हैं लेकिन सिवा नेताओं के हम जैसों को तो समय ही नहीं दिया जाता है····

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री श्रवणलाल : मैं प्रार्थना करूंगा कि सब माननीय सदस्यों को समय जरूर मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह समझें कि आपके नेताओं और आपके बीच में इत्तफाक है। यहां आपके व्हिप्स के द्वारा दी हुई लिस्ट के अनुसार व्यवस्था होती है। श्री शोभाराम।

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह रावत : हमने आपको लिखकर दिया है। हम सहयोग देते हैं फिर भी····

श्री उपाध्यक्ष : आसन को अधिकार है कि समय के अनुसार सब दलों के नेताओं को अवसर दें। उसके बाद में आपको भी समय दिया जायगा। बाकी आप चाहें कि आप अमुक समय पर बोलें, यह तो नहीं हो सकता. आसन तो अपने हिसाब से समय देगा।

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाडिया (बांरा) : आपने सभी दलों के नेताओं को सूची भेज दी है कि कौन कौन से सदस्य बोलें। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कब यह लिस्ट भेजी? मै जनसंघ के सेक्रेटरी होने के नाते आपको कह सकता हूं कि जनसंघ के पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई है।

श्री उपाध्यक्ष : मै निवेदन करूंगा कि सबसे ज्यादा समय जनसंघ ने लिया है।

श्री लादूराम मुलाणिया : आसन से जो व्यवस्था मिलती है, उससे हम सबको संतोष है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक आदमी बोले और दूसरे को समय ही नहीं मिले। जिलावाइज या क्षेत्रवाइज, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जयपुर जिले के किस सदस्य को आपने समय दिया?

श्री उपाध्यक्ष : कभी दल की बात आती है तो कभी जिले की बात। 25 जिले हैं और 7 दल, उसको मल्टीप्लाई करें इतना समय तो नहीं होगा। आप तसल्ली रखें हम समय का पूरा ध्यान रखते हैं। एक तो ध्यान रखते हैं कि कोई माननीय सदस्य ज्यादा समय नहीं ले लेकिन उसके बाद में भी दो दो मिनट करके समय ज्यादा चला जाता है, ज्यादा डिस्कशन करते हैं, ज्यादा समय लेते हैं।
श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने रखा, उसके बारे में सदन के समक्ष तीन चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। इस बजट को देखा जाय तो 3–4 कसौटियों से देखा जाय।

एक माननीय सदस्य : माइक को ठीक किया जाय।

श्री शोभाराम : पहली कसौटी है कि वित्तीय परम्पराओं के अनुसार बजट के आंकड़े

(श्री शोभाराम)

और बजट तैयार करते हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक रुपए का सदुपयोग हुआ या नहीं। तीसरा हिस्सा जो आती है वह यह कि जो कुछ भी कर हमने लगाए उसका इम्पैक्ट आम लोगों पर कैसा हुआ, कितनी कमियां रही और कितने कर लगाने चाहिए थे जो नहीं लगे। चौथी कसौटी यह भी हो सकती है कि हम ऐसे कौनसे सुझाव पेश करें जिनसे हम वित्तीय साधनों को ज्यादा सक्षम बना सके। सबसे पहले जैसे मैंने अर्ज किया कि किन आंकड़ों के आधार पर बजट बनाया गया। सबसे पहले सिद्धांत जो लोग मानते हैं वह है कि किसी भी बजट में रेवेन्यू डिफिसिट को कैपीटल अकाऊंट्स से बेलेंस्ड नहीं करना चाहिए। वित्त मन्त्री के भाषण में 15 या 15.14 करोड़ रेवेन्यू का डेफिसिट बताया गया। करीब 12 या 13 करोड़ के आंकड़ों को लेकर तीन करोड़ की डेफिसिट बनादी। मैंने उनके भाषण को पढ़ा। उन्होंने बताया कि अब तक टोटल लायबिलीटीज 430 करोड़ की हुई जिसमें से 419 करोड़ के असेट्स हुए। असेट्स की तरफ जाते हैं और किताब में देखते हैं तो मालुम पड़ता है कि 130-135 करोड़ के असेट्स गलत प्रकार से बनाये गये हैं। एक उदाहरण पेश करता हूं। चार या 5 बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत आज तक हमें 138 करोड़ रुपए का लोन मिला। भाखरा, चंबल जवाई, माही और राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये पांच मल्टी परपज प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन जो एस्टीमेटेड लागत बता रखी है वह है 273 करोड़ उसके लिए निवेदन करूंगा कि जो 419 करोड़ रुपए के असेट्स उन्होंने बताए, उसका मेहरबानी करके ब्रेक-अप तो बताएं और इसमें कैपिटल असेट्स कितने बने। इन्टरेस्ट की अदायगी की या नहीं। जो कैपिटल रिसीट्स मिलीं, उनको अदायगी में शामिल किया? रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर को मीट करने के लिए इसमें शामिल नहीं किया गया। तो हम यह देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू कैपिटल अकाउन्ट है वह नितांत गलत है। मैं वित्त मंत्री महोदय से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हम को आज तक के असेट्स का हिसाब बताया जाय कि कौन कौन से असेट्स आज तक बने हैं। वित्तीय साधन हमने इन किताबों में देखा है लेकिन साधारणतया 4 परसेन्ट हम इन पर ब्याज का देते हैं। 420 करोड़ की लायेबिलिटी है। 4 परसेन्ट का ब्याज लगाया जाय तो हम मान कर चलते हैं मूलधन के साथ ब्याज की भी अदायगी करनी पड़ती है तो जो कैपिटल असेट्स बने हैं उनकी जो पेइंग केपेसिटी बनती है उसको एक रिटर्न के रूप में देखते हैं तो हमको इस प्रकार से अब तक किन-किन से कितना-कितना रिटर्न इन असेट्स से मिल रहा है। उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 8 साल पहले एक सरकुलर जारी हुआ था कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लिया जाय जिसमें 4½ परसेन्ट से कम रिटर्न न हो, फिर उसको घटा कर 3 परसेन्ट कर दिया, फिर 2 परसेन्ट पर आ गये, और फिर 75 परसेन्ट कर दिया और अन्त में जाकर उस सरकुलर को ही रद्द कर दिया गया। जहां कैपिटल असेट्स से रिटर्न नहीं मिलता है तो डेड असेट्स हो जाते हैं और डेड असेट्स होने के बाद उनकी ऋण की अदायगी करना मुश्किल हो जाता है। मैं जरूर यह जानना चाहूंगा कि 419 करोड़ के जो आपने हमारे असेट्स बताये हैं उनका ब्रेक-अप बताया जाय। यह बताया जाय कि कैपि-

(श्री शोभाराम)

टल असेट्स कितने बने हैं और उनका रिटर्न क्या है ? यदि आप इसके ब्रेक-अप को बतायेंगे तो राज्य की वित्तीय स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

पिछले बर्षों के बजट एस्टीमेट्स को मैंने देखा है। बजट एस्टीमेट बनाते हैं तो उसमें आमदनी ज्यादा बताते हैं और खर्चा कम बताते हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स है तो आमदनी कम बताते हैं और खर्चा अधिक बताते हैं इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट का जो हिसाब है उसको भी तो देखें। जहां पांच करोड़ का शुरू में इन्ट्रेस्ट चुकाया था वह बढ़ कर 20 करोड़ हो गया जैसा बजट में बताया गया लेकिन जो रिवाइज्ड बजट पेश किया गया उसमें एस्टीमेट 30 परसेंट बढ़ गये, और कहीं 40 परसेन्ट बढ़ गये। अदायगी की मात्रा बढ़ी है। एस्टीमेटेड आमदनी ज्यादा बताते है और रेवेन्यू अकाउन्ट है तो कम बताते हैं। जो आंकड़े दिये गये हैं उसके आधार पर रेवेन्यू बजट में फर्क है और इसी आधार पर यह मालूम होता है इस बजट में बहुत बड़ा घाटा होने की उम्मीद है। जो फीगर दिये गये हैं वे गलत हैं। राज्यपाल महोदय के भाषण में डीयरनेस देने की बात कही थी। और इस वर्ष भी जिस तेजी के साथ मंहगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए सेन्टर के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे के लिए जावेंगे और सेन्टर के द्वारा रिजर्व बैंक से नोट छपवा कर हमारी जरूरत को पूरा कराया जायगा। नतीजा यह होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फोरकास्ट तो मंहगाई के लिए करना चाहिये राजस्थान गवर्नमेन्ट को, उसके फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को इस वर्ष कितना कोस्ट ओफ लिविंग इन्डेक्स बढ़ेगा। इसका अनुमान लगाना चाहिये था। गत वर्ष के आंकड़ों को देखा है। जो कार्य प्रणाली गत तीन चार वर्ष से चल रही है। उसको देखता रहा हूं। एक साल में 180 से 211 परसेंट। छः महीने में बढ़े हैं। इस वर्ष भी 10.12 परसेंट कोस्ट आफ लिविंग बढ़ेगा। यदि इन्डेक्स बढ़ता है तो डी. ए. भी बढ़ाना पड़ेगा जैसा राज्यपाल के भाषण में सिद्धांत तथा इस नियम को मान लिया गया है। यह उनको पे करना पड़ेगा और फिर रिवाइज्ड बजट उनको लाना पड़ेगा और रिवाइज्ड अकाउन्ट लाने पर जो रेवेन्यु एक्सपेन्डीचर में नहीं दिखाया है उस अमाउन्ट को उनको दिखाना पड़ेगा और वह करीब 1 करोड़ रुपये का होगा यह इसमें प्रोविजन नहीं किया है। छिपी शक्ल में खरीफ फसल का 75 लाख का रेवेन्यु माफ किया। छः महीने को रबी की फसल का तो जनवरी के बाद बजट पर प्रभाव पड़ेगा। एक एकड़ पर रेवेन्यु माफ किया तो 1 करोड़ का आप एन्टीसिपेट करते हैं वह 2।। करोड़ का होगा उसके मुकाबले में पचास साल से भाई अलग अलग काश्त करते हैं, खाना अलग पकाते हैं, लेकिन उन सबका एक ही खाता है। उसके लिए बड़ी प्रोब्लेम होगी। सरकार ने तो एक खाता होने से उन पर लगान दूना लगा दिया, इस तरह से एक खाता होने पर, चाहे अलग अलग पचास साल से रह रहे हों, उस रेवेन्यू का इम्पेक्ट उन पर पड़ेगा। चार भाई अलग अलग होने पर भी एक खाता रखने के कारण लगान का जो एक्जम्प्शन मिलना चाहिये वह नहीं मिल सकेगा। इन्साफ के तरीके से काम किया जाय। 6 एकड़ से नीचे के काश्तकार को लगान से एक्जम्प्ट करना चाहते हैं तो 1।। करोड़ के बजाय आपको 2।। करोड़ रुपये का लगान माफ करना पड़ेगा, चूंकि

(श्री शोभाराम)

कायदा कानून के अनुसार नहीं चलना चाहते किताबों में जो कुछ छाप दिया उसके अनुसार उससे वसूल करेंगे लेकिन असलियतें क्या हैं इसको अवश्य देखना चाहिये। किसान किस तरह से जिन्दगी बसर कर रहा है इस ओर देखना पड़ेगा।

मुझे एक बात कहनी है, उपाध्यक्षजी, सदन के सामने आपकी मार्फत राजस्थान सरकार से। मैंने आडिट रिपोर्ट पढ़ी है। खुशी की बात है कि कुछ साल से यह प्रथा चली है कि रेवेन्यू अकाउन्ट का ऑडिट होता है। ऑडिट रिपोर्ट्स से कुछ संकेत मिलता है कि किस प्रकार से काम चल रहा है। आप देखेंगे, जैसा इसमें बताया गया है कि 337 केसेज में लोनी की रिसीट्स ही नहीं है, हस्ताक्षर नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं उपाध्यक्षजी, पिछले दो साल के अन्दर सहकारी विभाग के सिलसिले में कई कांफ्रेंसेज को अटेन्ड करने का मुझे मौका मिला। उन कान्फ्रेन्सेज में डाइरेक्टर एग्रीकल्चर भी मौजूद थे। मैंने उनको बताया कि क्या यह बात सही है कि 8 साल पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मार्फत तीन चार करोड़ का फर्टिलाइजर डिस्ट्रिब्यूट किया गया था, जिनकी रिसीट्स नहीं हैं, अकाउन्ट्स ही नहीं है। तो उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। यह नहीं कहा कि गलत है। उन्होंने कहा कि यह मेरे आने से पहले की बात है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की यह जिम्मेदारी है गरीब लोगों की जेब से, कन्सोलिडेटेड फन्ड से कन्टीन्जेन्सी फण्ड से या किसी फन्ड में पैसा जमा होता है और वह राजस्थान में खर्च किया जाता है, इसलिये प्रत्येक माननीय सदस्य का फर्ज हो जाता है कि वह यह देखे कि प्रत्येक पाई का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। मैं यह राज्य सरकार से चाहूंगा कि वह एक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत करे पिछले 15 साल में, सन् 1951 से लेकर, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, कितने लोन्स एण्ड एडवान्सेज डिसबर्स किये हैं। हमें यह बताया जाय······

हमको यह बताया जाय लोन्स एण्ड एडवान्सेज का कितना डिस्बर्समैन्ट हुआ। कितने साल से कितने लोगों में ओवर ड्यूज अमाउन्ट है दो साल का कितना, पांच साल का कितना, दस साल का कितना इस तरह का एक स्टेटमेन्ट बनाकर सदन के सामने रखा जाय और सदन को विश्वास में लिया जाय। उन पर प्रिन्सीपल अमाउन्ट कितना चढ़ गया। जो कर्जा उनको दिये गये हेड आफ दी डिपार्टमेन्ट देखे कि रसीदें भी ली थीं या नहीं सैंकड़ों की तादाद में इस प्रकार की धनराशि को माना भी है ? वैसी हालत में उनका वैरिफिकेशन किस प्रकार से करे, बहुत से वाउचर्स थे रसीदें थीं वह उनके सामने पेश नहीं की गई इस तरह से पूरा आडिट नहीं हुआ। लोन्स एण्ड एडवान्सेज की क्या पोजीशन है ? कितने ड्यूज हैं उन पर कितना इन्टरेस्ट होता है, तीन-तीन साल पुराने मामले हैं उनकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई। बहुत से लोगों ने मुझे बताया, किसी सदस्य ने बताया या अफसर ने बताया मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। आठ साल पहले फर्टिलाइजर का डिस्ट्रिब्यूशन हुआ न उनकी रसीदें दिखाई गई कितनों की कीमत वसूली की गई कुछ पता नहीं हिसाब किताब नहीं, यह बहुत ही निराशा की बात है।

एक बात बड़ी जोरदार है वह है किफायत करने की बात है। इतने बी० डी० ओज० को हटा रहे हैं, इतने प्रोग्रेस असिस्टेन्ट्स को हटा

(श्री शोभाराम)

रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो स्ट्रेन्थ है उसमें से किसनों को रिट्रेन्च कर रहे हैं यह तो आप नहीं बता रहे हैं। होता क्या है कि प्लान एक्सपेन्डीचर के तहत सेन्ट्रल असिस्टेन्स आती है योजना काल के खत्म हो जाने के बाद वह कमीटेड एक्सपन्डीचर हो जाता है। प्लान विकास को चालू रखने के लिए जरूरी है और जो कमीटेड एक्सपेन्डीचर है वह पहले प्लान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च होता था वह कमीटेड एक्सपेन्डीचर होने पर खत्म कर दिया जाता है और इस खर्चे को दूसरी योजनाओं में ट्रान्सफर करने की कोशिश करते हैं। 23. बी० डी० ओज० की जगहों को आप समाप्त कर रहे हैं। लेन्ड मोर्टगेज बैंक में एम० इ० ओज० की जगह उनको काम करने का मौका दिया जावे ऐसी सरकार सोच रही है, आज लैन्ड मोर्टगेज बैंक में कलेक्शन चार्जेज कितनी परसेन्ट है बी. डी. ओज. के जाने से कितना खर्चा बढ़ेगा और यह बैंक चल भी सकेंगे या नहीं इसका भी अन्दाज सरकार ने नहीं लगाया।

प्रोग्रेस असिस्टेन्ट्स 232 ब्लाक्स में थे। प्लान के काल समाप्त होने पर वे भी खत्म कर दिये गये याने कमिटेड एक्सपेन्डीचर खत्म हो गया उनको अब फेमिली प्लानिंग में ले जाने की बात सोच रहे हैं क्योंकि फेमिली प्लानिंग प्लान में फिलहाल सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिलगा। आखिरकार कमिटेड एक्सपेन्डीचर खत्म करके प्लान डेवलपमेन्ट के लिये जो स्कीम मिलती है उसमें सेवायें लगा दी जावेगी। केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलेगी उनकी इसलिये हम किसी भी प्रकार की किफायत नहीं कर सकते। रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर मे कमी करके वह खर्चा प्लान डेवलपमंट में डाल दिया जाता है कुछ दिनों तक इस प्रकार सेन्ट्रल असिस्टेन्स से काम चल सकता है लेकिन यह सही पद्धति बजट की नहीं है।

अगर आप एरियर्स आफ रेवेन्यू को देखें तो उसमें 13 करोड़ रुपये कई वर्षों से पड़े हुए हैं। कितनों का युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ। 41348 केसेज सन् 54-55 के पड़े हुए हैं। 40 हजार केसेज उसके बाद के हैं जो 31 करोड़ पचास लाख के केसेज हैं। इन एक साल से ऊपर होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई 31 मार्च, 67 तक चालीस हजार केसेज और 31 केसेज पिछले दस सालों के इन सब की धनराशि 57 करोड़ की होती है जिनके लिये उपयोग किये जाने के कोई सर्टिफिकेट नहीं हैं। जो रुपया दिया गया उसका उपयोग हुआ या नहीं यह भी विचारणीय विषय है।

रिपोर्ट में लिखा गया है अन इनवेस्टेड का बेलेन्स 36 करोड़ रुपया वैसे ही पड़ा रहा जिसमें से 13 करोड़ रुपये का इन्ट्रेस्ट अदा करना पड़ा। कुछ पैसा ऐसा था उसको यदि फिक्स्ड डिपोजिट में रखा जाता तो उसके जरिये से सवा दो करोड़ रुपये का ब्याज पा सकते थे। ये जो कार्य में है उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय, बजट के उत्तर के दौरान उन बातों का जवाब देंगे। या विभिन्न मंत्रालयों की मांगों पर उत्तर देते समय मंत्रीगण उसका जवाब देंगे। कम से कम डिमान्ड्स के समय तो इन बातों का जवाब आना ही चाहिये। लोगों की तरफ में कितनी बकाया है और कितनी डूब गई है।

(श्री शोभाराम)

अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार यह भी बताये कि उनका कुल कर्जा कितना है और इन्टरेस्ट और प्रीन्सीपल लोन कितना–कितना बाकी है और किन-किन से कितना रुपया आ गया है।

(4. म. प.)

मैंने यहां तक पाया कि इन्टरेस्ट की अदायगी रेवेन्यू के बजट में दिखाई गई है लेकिन यह अदायगी नये लोन लेकर की जाती है जो बात नहीं है। इस प्रकार से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं बनती है।

बजट में लेवी का जिक्र आया। सिद्धांत रूप से मैं इसके विपक्ष में नहीं हूं। पर आपका ध्यान 15 साल पहले की तरफ खींचना चाहता हूं 53 में सीलिंग कमेटी का निर्माण हुआ तो जिस किसान की अधिकतम आमदनी 3600 वार्षिक मानी गई और इसी के आधार पर सिलिंग कानून बना उस सिद्धांत को मान कर 30 स्टेण्डर्ड एकड़ का माप-दण्ड रखा था।

जब आप किसान पर आमदनी पर सीलिंग लगाते हैं तो आज के दिन भी सात सौ आठ सौ रुपये माहवार से ज्यादा किसान नहीं कमा पावेगा। उनकी आमदनियां ही सीलिंग से ज्यादा नहीं कमावोगे तो वे कहते हैं कि यह हमारे साथ ही क्यों लगाई जाती हैं किया जाता है क्या किसान अपने बच्चों को इन्जीनियरी कालेजों में नहीं पढ़ा सकते ? हमें इसका हक उन्हें है या नहीं, शहरी लोगों को ही क्यों इसका हक है ? जो अपने एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिये 200 तीन सौ रुपया मासिक खर्च करते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यह प्रश्न प्रस्तुत होता है।

फिर लेवी के बारे में 150–200 का घाटा किसान क्यों उठावें ? अगर बाजार भाव से कम्पीटीटिव रेट पर लेवी लें तो इतना घाटा उसका आता है। यह भार भी किसान तबके के जिम्मे ही क्यों पड़ा है ? फिर उनसे इस तरह से लिये गये लेवी के अनाज को माल-दारों को सस्ते दाम पर खिलाने के लिये ? इतना सेक्रिफाइस आप किसान से क्यों चाहते हैं ? मै कहता हूं लोगों के दिमागों पर इन बातों का असर बढ़ता जा रहा है।

फिर लोग यह भी देखना चाहते हैं कि बीस हजार टन जो इस तरह से प्रोक्योर किया जावेगा वह शहरी जनता का पेट भरने के लिये ही होगा या कि गांवों में भी जो गरीब मजदूर हैं जिनको अनाज खरीदना पड़ता है और शहरी भाव से भी अधिक ऊंचे भाव पर खरीदना पड़ता है, उनको भी कुछ मिलेगा या नहीं ? यह हमारे सामने प्रश्न पैदा होते हैं।

बिजली पैदा होती है। उत्पादन से कम रेट पर 3 नये पैसे पर आम कारखानों को देते हैं, जब कि दूसरी तरफ 25 नये पैसे लिये जाते हैं। तो क्या बिजली को रेशनेलाइजेशन करके सबके लिये मुकर्रर नहीं की जा सकती ? इन सवालों को समझना पढ़ेगा।

मैं कहना चाहता हूं अगर आप सभी वर्गों में समन्वय रखना चाहते हैं तो आपको आज नहीं तो कल शहरी आय पर भी अर्बन सीलिंग लगानी पड़ेगी एक हजार या डेढ हजार रुपये मासिक आय पर। ज्यादा वक्त अब नहीं लगाना होगा।

(श्री शोभाराम)

हम आज एक बड़ी संकटमय स्थिति में से गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं यह दर्खास्त करूंगा कि वित्त मन्त्रालय का फर्ज है कि वह सही तसवीर हमारे सामने रक्खे कि कितनी राज्य की लाइबिलिटी है, कितने हमारे असेटस हैं। हमें सही स्थिति से अवगत कराया जावे और जो सुझाव हम दें उन पर गम्भीरता से विचार करें तो राजस्थान का भला होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करौल।

श्री नाथूलाल करौल (जमवारामगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट पर सामान्य वाद विवाद चल रहा है 11 साल के अरसे में ऐसा मैंने एक भी बजट नहीं देखा जिनमें काश्तकारों पर इतना टैक्सों का बोझ लादा हो। उन पर चार तरह के टैक्स लगाये हैं। सबसे पहले जानवरों पर। दूसरा सिंचाई दर में वृद्धि करके। तीसरा भू-राजस्व पर। चौथा सीमेन्ट पर जो कि सीधा काश्तकारों पर पड़ेगा।

वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा कि जानवरों पर टैक्स इसलिये लगाया कि उनकी दवा दारू के लिये अस्पताल खोले हैं, मेला होता है तो उनकी देखभाल करते हैं, आदि आदि।

पहले दो रुपया प्रति बैल यह टैक्स था, अब पांच परसैन्ट की उसमें वृद्धि कर दी है। काश्तकार नागौरी बैल की जोड़ी दो हजार में खरीदेगा तो उस पर 100) टैक्स के सरकार को देने होंगे। जानवरों पर यह टैक्स ग्रामीण जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको वापिस लेने को वे कृपा करें।

दूसरा टैक्स सिंचाई पर लगाया है जिसमें 25 परसैन्ट इजाफा किया है। यह अनुचित है। काश्तकारों द्वारा पैदा किया हुआ अन्न महंगा हो रहा है इसलिए यह टैक्स लगाया है, ऐसा सरकार कहती है। अनाज के भाव महंगे हो गये हैं तो इसमें किसान का दोष नहीं हैं। उनको यह मालूम होना चाहिए कि उनको काश्त में काम आने वाली हरेक वस्तु महंगी मिलती है। पहले के जमाने में जब 13 सेर का अन्न बेचते थे तो सौ रुपये में बैल की जोड़ी मिलती थी अच्छी नागौरी नस्ल की, वह बैलों की जोड़ी पर बलसर के मेले में आज 2500) में मिलती है। पचीस गुना कीमत उसकी बढ़ गई है।

कुओं से सिंचाई करने वालों को पहले बरस का 2) लगता था आज 50) रुपये मिलता है। चांदी बाजार में पहले काश्तकारों को 40) रु. में सौ भर मिलती थी, आज 450) में सौ भर मिलती है। तो काश्तकार को जब ये चीजें महंगी मिलती हैं तो उसका असर अन्न के भाव पर तो पड़ेगा ही। नहीं तो क्या किसान घर में घाटा उठावेगा?

फिर चाहें हम बीड़ी, माचिस, लोहा, पीतल, चांदी वगैरह और जानवर भी खरीदते हैं तो महंगे भाव पर मिलते हैं, नागौर और जोधपुर दो ही ऐसी जगह हैं जहां जानवरों की नस्ल अच्छी पैदा होती है तो आज उनके भाव भी 25 गुणा बढ़ गये हैं।

(श्री नाथूलाल करोल)

सीमेन्ट के ऊपर भी सरकार ने Tax बढ़ाया हैं इर्रीगेशन के लिये कुओं की आवश्यकता होती हैं और किसान को कुआ बनाने के लिए सीमेन्ट कन्क्रीट और पत्थर की जरूरत पड़ती हैं, सीमेंट Tax का बोझा भी किसान पर पड़ेगा, तो मेरा निवेदन यही करना है कि आप इन चारों टैक्सों को वापिस लें ।

हमारी लायबिलिटीज 430 करोड़ 9 लाख की हैं और असेट्स हमारे 419 करोड़ 13 लाख के हैं। देनदारियों पर ब्याज भी देना पड़ता है । पर हमारी जो लेवाली हैं, उस पर हमें कितना ब्याज मिलता हैं यह नहीं बताया हैं मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारी जो 419 करोड़ 13 लाख की वसूली हैं वह पूरी वसूल नहीं हो सकती । पंचायतों में और कोआपरेटिव सोसायटियों में यह लेनदारी अधिक है और कम्पनियों में जो असेट्स हैं सरकार कभी पूरे प्राप्त नहीं कर सकती । 25 परसेन्ट इनमें से वसूलात नहीं होगी और बट्टे खाते नाम लिखना पड़ेगा ।

....मेरी अर्ज यह है कि जो मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि लेनदारी व देनदारी का हिसाब तैयार होना चाहिये मैं भी इसका समर्थन करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-एक बातें और निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मुझको बहुत थोड़ा समय मिला है । डेवलमेंट में जितने भी काम होते हैं और उनमें जितना रुपया खर्च होता है उनका यूटिलाइजेशन ठीक नहीं होता क्योंकि जितनी भी रकम दी जाती है डेवलपमेंट के कामों के लिए पंचायत समितियों द्वारा जैसे इर्रीगेशन वैल्स के लिए, या तकावी के लिए, या ड्रिंकिंग वाटर वैल्स के लिए, मैंने इसका अच्छी तरह से अनुभव किया है कि 25 परसेन्ट पैसा खर्च होता है और 75 परसेन्ट पैसा बरबाद होता है । आज जो बजट के अन्दर घाटे की नोबत आ रही है यह इसी का कारण है । पंचायत समितियों में से बी० डी० ओ० को हटा लिया और कई प्रकार की कमी कर ली लेकिन पंचायत समितियों द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उस पर आपने कोई कन्ट्रोल नहीं किया । पंचायत समितियों की बैठकें होती हैं प्रधान वगैरह और सदस्य यह सब नाममात्र के होते है और वहां पर सब गर्वनमेंट की मशीनरी काम करती है । वहां न तो प्रधान की चलती है और न सरपंच की चलती है । जो पैसा पंचायत समितियों द्वारा राज्य सरकार खर्च करती उसके ऊपर यदि राज्य सरकार कन्ट्रोल रखे तो इससे राज्य सरकार का काफी पैसा बच सकता है । इस पैसे का यूटीलाइजेशन ठीक नहीं होता यह पैसा बिलकुल बरबाद होता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि प्रशासनिक खर्चे में से कटौती करनी चाहिये माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि असिस्टेन्ट सैक्रेटरी और डिप्टी सैक्रेटरी वगैरह के पद खत्म किये जाकर बड़ी बड़ी तनख्वाह वालों में कमी करने की बात कही गयी है मैं भी इसका समर्थन करता हूं । वाकई ही इसको बिल्कुल कम किया जाये । क्यों कि बजट के अन्दर जो टैक्स जानवरों के ऊपर और सीमेन्ट के ऊपर और सिंचाई की दरों में जो वृद्धि की है तो इन सब की पूर्ति वहां से हो

(श्री नाथूलाल करौल)
सकती है। मेरा यह नम्र निवेदन है कि इन टैक्सों को जरूर वित्त मंत्री जी वापिस लेंगे और किसानों को राहत देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूवालाल।

श्री सूवालाल (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से समय के लिए बजट के सम्बन्ध से निवेदन करना चाहता हूं। मैंने जब बजट भाषण पढ़ा तो पहले यह पढ़ा कि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक की जायेगी लेकिन जब बजट को मैंने देखा और खास तौर से जो राजस्थान के अन्दर किसानों की हालत है उसको रात दिन उनके बीच में रह कर मैंने जहां तक देखा है उसको देखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के द्वारा जो टैक्स लगाये जा रहे हैं किसानों के ऊपर और मौजूदा समय में जो किसानों पर टैक्स है उन पर टैक्सों को देखते हुए और अब जो और टैक्स लगाये जा रहे हैं और आप जो किसानकों की हालत ठीक करना चाहते हैं, खाद्य समस्या हल करना चाहते हैं यह सारी समस्यायें मेरे खयाल से हल नहीं हो पायेंगी। आज तक जो सरकार ने वायदे किये हैं इतने समय में न तो खाद्य समस्या ठीक हुई और न ही किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो पाई और न किसानों के लिए सिंचाई के साधन ठीक हो सके। आज मैं आपको इस बजट के टैक्स के द्वारा जो इस समय किसानों का और खास तौर से मैं भी किसान हूं मुझको भी टैक्स देने पड़ते हैं इनकी संख्या करीब 6-7 है और इतने सारे टैक्स आज के किसान को जो हल चलाते हैं, जो किसान कहलाते हैं उनको टैक्स देने पड़ते हैं। प्रथम टैक्स तो मैं आपको याद दिलाऊं जमीन का रेवेन्यू का लगान, दूसरा सरचार्ज, तीसरा पंचायत समिति का टैक्स, चौथा पंचायती टैक्स और पांचवां सिंचाई का टैक्स और छटा टैक्स है कृषि आयकर यह 5-6 तरह के टैक्स इस समय किसानों को देने पड़ते हैं और किसान इन टैक्सों को देने के बाद उसकी मेहनत को और सरकार के इन टैक्सों को देखते हुए जो किसान का खर्चा होता है और जो उसकी आमदनी होती है और जो बचत होती है उसको यदि देखें तो आज के किसान की वह हालत नहीं है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। जो बजट के अन्दर किसानों के ऊपर पशुओं के ऊपर टैक्स लगाने की बात सोचते हैं और सरचार्ज को बढ़ाने की सोचते हैं, इसी तरह से सिंचाई के टैक्स की बात सोचते हैं मेरे खयाल से मैं आपको, उपाध्यक्ष महोदय, बताऊं कि किसान जिसके पास जमीन बारानी या बंजर है उसके अन्दर किसान महनत करता है, उसमें कुआ बनाता है और नाडा बनाता है और आपको 12 आने बीघा की जमीन है और उत्पादन बढ़ाने के लिए 10 हजार रुपया कुआ बनाने में लगाये और फिर से आपका रेवेन्यू का लगान 10-12 रुपया बीघा के ऊपर हो जाता है तो मैं आपके इस टैक्स का विरोध करता हूं। सिंचाई का टैक्स देते हैं, जमीन का लगान का टैक्स देते हैं और किसान जहां संगठन बनाना चाहते हैं, आप किसान का भला करना चाहते हैं, खेती के जरिये खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं तो पिछले जो टैक्स हैं आप किसानों की हालत को देखिये और आज किसानों की हालत यह नहीं है कि वह आराम से कपड़ा पहन सकें, और आराम

(श्री सूवालाल)

से रोटी खा सकें और आराम से अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिए किसानों के उपर जो टैक्स लगाये जा रहे हैं मेरे खयाल से किसानों की हालत देखते हुए जो राज्य की नीति है वह बिल्कुल कमजोर नीति है। यह साफ नीति है कि आप किसानों को ऊंचा नहीं आने देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो वह अपने हकों की मांग करेंगे और अपना संगठन बनायेंगे। मैं सही माने में कहता हूं कि जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय जो जुल्म करने वाले अंग्रेजों का शासन था और वे किसी तरह से किसानों को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने देना चाहते थे—उस समय में और आज के समय में कोई फर्क मैं नहीं मानता हूं। अगर आप किसानों को आगे लाना चाहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं तो उन टैक्सों का भार किसानों के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना ही टैक्सों के बारे में कहना चाहता हूं।

आप पशुपालन के बारे में कहते हैं। आप कहते हैं कि हमने पशुपालन के लिए दवाइयों का प्रबन्ध किया है और दूसरे प्रबन्ध किये हैं परन्तु सरकार की तरफ से न तो चारे का और न पानी का प्रबंध है। आज राजस्थान से बाहर भी किसान गये हैं अपने जानवरों को लेकर और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। मैं नाम और पूरे प्रमाण सहित पेश कर सकता हूं कि गई साल मेरे क्षेत्र से किसान गाय लेकर गये थे और ग्वालियर के गांवों में डकैतों ने उनके खाने पीने तक के पैसे छीन लिये और किसानों को जान से मार दिया। मैंने सारे आंकड़े और रिपोर्ट दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज वह अपनी गाय, भैंस और जानवर दूसरे प्रान्तों में ले जाते हैं और राजस्थान सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। उनके पीछे से उनके घरों के बाल बच्चों का कोई प्रबन्ध नहीं किया और जो राज्य सरकार की पशुपालन की नीति है वह ठीक नहीं है। गांवों के अन्दर न तो चरागाह हैं, दवा का तो अलग रहा पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस बजट में जितनी स्कीम हैं मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि गाय भैंस के लिए या पशुओं के लिए अच्छे पानी के पीने की व्यवस्था कोई की हो। मेरे खयाल से गांवों में तो व्यवस्था करना दूर रहा शहरों में ही सरकार पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं कर पाती है। जो बजट बनाया गया है उससे राजस्थान के किसानों का या मजदूरों का या अन्य वर्ग का भला नहीं हो सकता। सही मायने में आज की मौजूदा हालत में आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो टैक्स लगाये हैं वह टैक्स किसान नहीं दे सकेंगे।

इसी तरह से जो ग्रामों में व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटी-छोटी जगहों पर बैठ कर मेरे खयाल से पांच सात सौ रुपये की छोटी मोटी चीजें बेच कर दुकान चलाते हैं और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं लेकिन आज उनको भी दस किस्म के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। हर दफा परेशान होना पड़ता है। आज छोटे से व्यापारी की क्या हालत है। वह भी बहुत परेशान है। इसलिए जो टैक्स बजट में रखे गए

(श्री सूवालाल)

हैं और साथ में किसानों के हित के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो बड़ी-बड़ी नहरों पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, मैं तो खास तौर से जयपुर जिले के बारे में कह सकता हूं कि मेरे ख्याल से टूडू की जमीन ऐसी बढ़िया जमीन है कि उस जमीन के लिए हमको एक करोड़ रुपया नहीं चाहिए, इसके लिए हमें एक लाख रुपया नहीं चाहिए, हमारी जो बहुत बढ़िया जमीन है उस पर कुआ बनाने के लिए पैसा मिल जाय। यहां के किसानों को अपनी जमीन पर कुआ बनाने के लिए पैसा चाहिए। बड़ी-बड़ी योजनाएं तो पांच सात साल में जब आवेंगी तब आ जावेंगी लेकिन मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारी इस बढिया जमीन पर कुआ हो जाय तो लाखों मन अन्न हम यहां पैदा कर सकते हैं। हर एक किसान यहां का अपनी जमीन पर कुआ बनाना चाहता है लेकिन कुऐ के लिए तकावी लेने को भी उसे इधर-उधर भटकना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो स्कीम लोन देने की थी उसको भी खत्म करके दूसरी सोसायटी के जिम्मे कर दिया गया है। इस तरह से मेरे खयाल से किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। सही माने में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम अपने यहां पर अन्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इन बड़ी योजनाओं से ही अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ सकता, अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर एक किसान के पास, हर एक जमीन पर कुआ होना चाहिये, अन्न का उत्पादन बढ़ेगा किसानों के सहयोग से, उनके पास कुआ होने से, उनके खेत में कहीं नाला है तो उसको रोकने से, छोटे 2 बांध बांधने से। हमें ये बड़ी 2 योजनायें नहीं चाहिए जिन पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिली, आप कहते हैं कि हमने सिंचाई के इतने साधन बढ़ा दिए लेकिन उनका फल नहीं मिला, उससे ब्याज का पैसा तक नहीं चुका सके। हमारे यहां पर पहले जो छोटे 2 बांध थे, जागीरदारों के टाइम में छोटे 2 गांवों में बांध थे उनकी मरम्मत तक आज नहीं होती है। आज अगर उनकी मरम्मत भी हो जाती है तो उससे गांव के सारे कुओं में पानी आता है। हमको नहीं चाहिए ये आपकी बड़ी योजनाएं, हमको चाहिए हरएक किसान के पास कुआ, हमको चाहिए हरएक खेत में नाडा हरएक के पास सिंचाई के साधन। छोटी जो लघु सिंचाई की योजनाएं हैं उनको आप लागू करिए, यही मैं तो आपको कहना चाहता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट जो हमारे सामने पेश हुआ तो उसके पहले लोगों की अनेक तरह की धारणाएं थीं। कोई कहता था कि वित्त मंत्रीजी समाजवादी विचारों के आदमी हैं इसलिए समाजवादी बजट आएगा। कोई कहता था वह डाइनेमिक पावर के आदमी हैं इसलिए क्रांतिकारी बजट आएगा। लोगों का खयाल था कि इस बजट में जो अनाज के भाव बढ़ते जा रहे हैं उनको गिराने का प्रावधान होगा।

Page No. 101

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

लोग यह भी आशा लगाए बैठे थे कि दूसरी चीजों की दरें जो ऊंची बढती जा रही हैं उनको सस्ता किया जाएगा। सिंचाई का अधिक प्रावधान होगा और ग्राम जनता को एक राहत मिलेगी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वे कहते हैं कि—

"शोर बहुत सुनते थे पहलू में दिल का,
जब चीरा कतराए खून निकला।"

(वाह-वाह, वाह-वाह-अनेक माननीय सदस्यों द्वारा)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से एक कतरा खून निकला तो सही। पहले वाले बजट में तो यह भी नहीं होता था, अब की एक कतरा खून निकला तो सही। माथुर साहब ने अपनी समाजवादिता का परिचय दिया। तीस एकड़ पर सरचार्ज लगाया और नरेशों का बिजली पानी बन्द कर दिया। लेकिन इस बजट में जो माथुर साहब ने साफ साफ बातें कही हैं मैं उनकी साफगोई की तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। उन्होंने अपने भाषण के पैरा 15 में साफ कहा है:

"सार्वजनिक ऋण की बढोतरी को देखकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी विकासशील अर्थ व्यवस्था में इस प्रकार के ऋण लेना एक साधारण बात समझी जाती है।"

बिल्कुल साधारण बात है, उपाध्यक्ष महोदय, ऋण लेना और ऋण भी कोई ज्यादा नहीं है हमारे ऊपर, केवल 430 करोड़ का यह ऋण है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने हमारी अर्थ-व्यवस्था के बारे में कहा है और उनमें चार्वाक ने भी कहा है:

"यावत् जीवेत सुखम् जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत।"

यह हमारे मुनियों ने कहा है कि ऋण करो लेकिन घी पीवो। तो कर्ज लेकर घी पीने की बात कही है। लेकिन अफसोस तो यह है कि आज के मनीषी, हमारे वित्त मंत्रीजी यह व्यवस्था करते हैं कि कर्ज लेग्रो लेकिन मांग कर रोटी खाओ। बस इतना ही फर्क रहा है इसमें।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे अपने बजट में वित्त मंत्रीजी ने कई बातें कही हैं। विकास कार्यों का भी अच्छा चित्र उन्होंने खींचा है। चारों ओर उनके विकास के कार्य चल रहे हैं उसका बखान किया है। हम भी देख रहे हैं कि आज अनाज के भाव ऊंचे बढते जा रहे हैं। सन् 64-65 में सरकार ने जब अनाज के अधिकतम भाव तय किये तब 65) रुपये क्विंटल गेहूं का भाव था लेकिन आज 130) रु० क्विन्टल का भाव है। यानि चार वर्षों में केवल दुगने भाव हो गए हैं। कोई ज्यादा नहीं है। एक प्रकार का इसे विकास ही समझ लीजिए। इसी तरह से हमारी पर-कैपिटा इन्कम के बारे में वित्त मंत्रीजी ने साफ-साफ बताया है कि हमारी पर-कैपिटा इन्कम गिरती जा रही है जो इन सालों में 10 प्रतिशत गिरी है और उन्होंने यह भी आशा की है कि इस साल भी पर-कैपिटा इन्कम गिरेगी! यह विकास का चित्र हमारे सामने आया है। इसी तरह राज्य की आमदनी भी गिरती जा रही है और गिरेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और आगे आपने

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

फरमाया है कि उद्योगों में, राजस्थान में जो सरकारी उद्योग चला रखे हैं इन उद्योगों में जो खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके बदले में राज्य को आमदनी हो रही है–1.08 प्रतिशत। यानि हमारे राज्य में इन उद्योगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, यह सारा का सारा विकास की दृष्टि से जो प्रगति की गई है, उसका चित्र पेश किया गया है। वे यह कहते हैं कि जंगलात जो आज से बीस साल पहले चारों तरफ हरे भरे वृक्ष थे जिनसे वर्षा होती थी राजस्थान में, आज वे सारे के सारे पहाड़ सूखे पड़े हैं। उनके ठेके दिए जाते हैं और आज वे पहाड़ नंगे और सूखे पड़े हैं। उनमें लकड़िया और कोयला भी पूरा नहीं है और उनके ठेकों की आमदनी भी कम होती जा रही है। यह भी एक विकास का चित्र है जो उन्होंने हमारे सामने रखा है। इसी तरह और विकास के कामों के लिए मैं तो उनसे कहूंगी कि जो उन्होंने विकास के काम बताए हैं उनके अलावा भी ऐसे काम हैं जिनके बारे में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से दो चार तस्वीरें और रख दूं।

राजस्थान रोडवेज, जिस पर हमारे राज्य का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, आज वह घाटे में चल रहा है और आज ही नहीं आज तक कभी भी राजस्थान रोडवेज ने नफा नहीं दिखाया है। एक दफा नफा दिखाया था लेकिन वह भी ग्रोस इन्कम, नेट इन्कम नहीं था। यही हमारी व्यवस्था दूसरी मिलों की है। गंगानगर शुगर मिल ने पिछले साल नफा दिखाया था लेकिन इस साल नफा दिखाने का कोई सवाल नहीं है। पिछले साल भी नफा इस तरह से हो गया कि यू. पी. से स्प्रिट मंगाकर उस पर गंगानगर शुगर मिल की छाप लगवा कर बेचते थे। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के सोडियम सल्फेट का हाल है जिस पर हमारे राज्य की मोनोपोली है। हिन्दुस्तान में सोडियम सल्फेट कहीं पैदा नहीं होता है केवल हमारे यहां सांभर के नमक से बनाया जाता है, जिसका एक्सपोर्ट होता है, जो हमें विदेशी मुद्रा लाकर देता है वह भी कई सालों तक इस तरह गड़बड़ चलता रहा, अब शायद कुछ आगे चलने लगा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर, वित्त मंत्रीजी यहां पर बिराजते नहीं मैं एक दो बात जानना चाहती हूं। उन्होंने बजट में कई प्रकार की कमियां की हैं उनके खिलाफ भी आवाज अच्छी नहीं होती है। मैं संक्षेप में बजट को अंग्रेजी में यही नाम दे सकती हूं कि वित्त मंत्री ने जिस ढंग से कमी की है It is a painting of the desert in water colours सदन के सामने सुन्दर तस्वीर तो रखी जाती है लेकिन डेजर्ट की और वाटर कलर्स में। उन्होंने कटौतियों की बातें रखी हैं। मैं मानती हूं कि आज राज्य में कटौतियों की जरूरत है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि सिंचाई विभाग कटौतियों के लिए क्यों चुना गया। आज अन्न के उत्पादन की जरूरत है। हमें उम्मीद तो यह थी कि सिंचाई के लिए ज्यादा रकम दी जायगी। हमारे राज्यों के मिनिस्टर्स भी यही कहते हैं कि सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा धन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगाओ, केन्द्र से भी यही आवाज आती रहती है, लेकिन अफसोस के साथ हमें देखना होता है कि राज्य में कटौती की गई तो इरिगेशन विभाग में। किसी

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

विभाग में 2 पर्सेन्ट की है, किसी में 5 पर्सेन्ट की है, लेकिन इरिगेशन विभाग में 22 पर्सेन्ट । यह मेरी समझ में नहीं आता हैं कि क्या सोच समझ कर उन्होंने यह कटौती की है ? वह एक प्रोडक्टिव महकमा है । उससे प्रोडक्शन होता है और आमदनी देता है । इस समय इरिगेशन से आमदनी राज्य सरकार को 1,60,00,000 रु० है और जो आपने 2 › पर्सेन्ट और लगाया है, अगर यह कायम रहता है तो राज्य की आमदनी कुल मिलाकर इरिगेशन से ढाई करोड़ होती है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आज तालाब से जो सिंचाई होती है तो उसमें मुस्तकिल लगान लागू होता है तो वह लगान तो जोड़ा ही नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, जो सिंचाई में कटौती की गई है; उसका मैं घोर विरोध करती हूं । उन्होंने राजस्थान केनाल में की है और काफी तादाद में की है । मै सोचती हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी जोधपुर के एक ऐसे इलाके से आते हैं इस कारण से सिंचाई के महत्व को नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग सिंचाई वाले इलाकों में रहते हैं चाहे वह गंग नहर हो, चाहे राजस्थान केनाल हो, चाहे घग्घर का हो, चाहे कोटा डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे उदयपुर डिविजन का हो, चाहे भरतपुर का हो, इसके महत्व को वे जानते हैं । अगर आपको कटौती करनी थी तो दूसरे विभागों में करते । अगर आपके पास वर्क लोड नहीं भी हो तो भी, उपाध्यक्ष महोदय तालाब बनाने का काम होता है उनके लिए डिपार्टमेंटल काम शुरू करवा दिया जाय तो 25 प्रतिशत की तो उसमें ही बचत हो सकती है । लेकिन उन्होंने वह ख्याल नहीं किया । उनको तालाबों का अनुभव नहीं है । तालाब बनाने से पहले सर्वे होता है, इन्वेस्टीगेशन होता है और जब तालाब का काम शुरू होता है तो उसमें दो ढाई साल लग जाते हैं । यह वह खेती है जिसका आप बीज डालते हैं तो कई वर्षों के बाद फल मिलता है। उसमें कटौती कर दी गई तो केवल फण्ड एवेलेबल होने पर बिना सर्वे के और इन्वेस्टीगेशन के काम कैसे होगा ? इसके साथ में दुर्भाग्य यह लगा हुआ है कि इस साल अकाल का जो काम पहले हुआ करता था तो उसमें तालाबों का काम बहुत कम लिया जाता था। राज्य सरकार ने फैसला किया कि इस बार सड़कों का काम नहीं लेकर तालाबों का काम लिया जाय। अकाल कई जिलों में हमारे यहां भयंकर रूप में है । केवल तालाबों का काम करना जरूरी है क्योंकि लोग दुःखी हैं उनको अन्न देना जरूरी है, लेकिन बिना स्टाफ के तालाबों का काम कैसे किया जा सकता है ? इस मौके पर सिंचाई मिनिस्टर साहब यहां बिराजते हैं। मैं आपके सामने यह जो कटौती की गई है उसका घोर विरोध करती हूं । मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाय । साथ में ही मैं वित्त मंत्रीजी से यह सवाल पूछना चाहती हूं कि आपने जब सिंचाई में कटौती की तो आपको दूसरी चीजें क्यों नजर नहीं आई जिनमें कटौती की जानी चाहिए थी ? कोटा में दिल्ली क्लाथ मिल लगी और पावर उनको एक तरह से फ्री बहुत जबरदस्त कन्सेशन पर आप दे रहे है। उसमें कटौती क्यों नहीं की ? उसकी तरफ आपको नजर क्यों नहीं पड़ी ?

श्री रामकिशन : चुनाव-कोष कहां से होता ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं यह जानना चाहती हूं कि साल डेढ़ साल पहले यहां जयपुर में चेम्बर आफ कामर्स की इमारत के लिए जगह खरीदी गई। उससे लाखों रुपयों की आमदनी होती, लेकिन कीमत के नाम पर एक रुपये की टोकन वेल्यू लेकर लाखों रुपयों की जमीन उनको इमारत के लिए दी। उस समय आपने क्यों नहीं सोचा कि राज्य की लाखों रुपयों की जमीन उन्हें फ्री क्यों दी जा रही ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े शहरों में, जयपुर जैसे शहर में कई लोग हैं जिनके पास बागों के नाम से जमीनें थीं, कई एकड़ की जमीन थी, तो जयपुर का डेवलपमेंट होने के साथ-साथ उस जमीन का डेवलपमेंट हुआ। जो जमीन उनको कुछ पैसे फी गज में दी गई थी वह 20–30 रुपये गज के हिसाब से बेची जा रही है। आप किसान की जमीन पर बेटरमेंट लेवी लगाते हैं और उस जमीन से जो उनको ज्यादा कीमत के रूप में आमदनी हुई है उन लोगों को तो उनसे बेटरमेंट लेवी लेना कैसे भूल गये ? एक पैसे गज की जमीन 30 रुपये गज बिकती है तो आपका खयाल नहीं गया कि उस पर टैक्स लगाया जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ सम्पन्न लोगों पर रेवेन्यू का रुपया बकाया है जिसका करीब 60 लाख रुपया बाकी है लेकिन सरकार उनसे वसूली नहीं कर रही है। आखिर वह क्यों नहीं करती है ? आप छोटे गरीबों का पेट काटना चाहते हैं। बड़े आदमियों पर हिम्मत क्यों नहीं होती है ? आप जरा इस बात को सोचें और इसका जवाब दें।

आखिर में मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहती हूं हर साल दो-सौ करोड़ का टैक्स लगाकर कितने साल तक बजट को आगे चलायेंगे ? हर साल टैक्स लगाकर आप कैसे इस राज्य को खींच सकेंगे ? आखिर आपको अपनी आमदनी को बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि राज्य का विकास हो, अगर आप चाहते हैं कि जनता का स्तर ऊंचा उठाया जाय, तो इसके लिए आपको अपनी नान-टैक्स रेवेन्यू को बढाना पड़ेगा। जब तक आप नान-टैक्स रेवेन्यू नहीं बढा सकते तब तक न डेवलपमेंट हो सकता है, न आप राज्य को आगे बढा सकेंगे। आप कर्जदार हमेशा बनते रहेंगे। आप जिस प्रकार रुपया लगाकर उद्योग खोलते हैं तो आखिर वे रिटर्न क्यों नहीं देते हैं ? आज आम जनता के दिमाग में यह बात घर कर चुकी है कि जो भी व्यापार राज्य सरकार हाथ में लेती है उसमें वह असफल रहती है। राज्य व्यापार चला नहीं सकती। यह धारणा क्यों बनी जनता में ? वह इसलिए बनी कि जितने कारखाने आप चला रहे हैं या तो वे फेल होते है या अगर अकस्मात कोई चल गया तो उससे नाममात्र की आमदनी होती है, जैसे धौलपुर की ग्लास फेक्ट्री है, गंगानगर शुगर मिल है वे इसी तरह से चल रहे हैं। सौभाग्य से अभी यहां पर खनिज मंत्रीजी बिराजे हैं। आज राजस्थान में खनिजों के वे भंडार पड़े हुए हैं। हिन्दुस्तान में हमारे मुकाबले में खनिज संपदा के मामले में कोई बराबरी नहीं कर सकता है। उस खनिज सम्पदा को क्यों नहीं बाहर निकालते हैं ? लिग्नाइट भरा हुआ है। सोडियम हमारे यहां है, जिप्सम हमारे यहां है। जिप्सम को लेकर खाद के कारखाने क्यों नहीं तैयार किये जाते हैं ? जब सांभर लेक हमारे यहां पर

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

मौजूद है तो कई सोडियम सल्फेट के कारखाने बनाकर पूरी मात्रा में सोडियम तैयार क्यों नहीं करते ? एक कारखाना खोला है जर्मनी के कोलेबारेशन से वह अब जाकर किसी तरह से लाइन पर आया है, लेकिन वह 1 पर्सेन्ट आमदनी देता है, तो क्या यह हमारे लिए शर्म की चीज नहीं है ? अगर आज यही उद्योग आपके हाथ में न होकर किसी कार्यकुशल के हाथ में होता, किसी व्यापारी के हाथ में होता तो उससे करोड़ों रुपयों की कमाई होती। राज्य के हाथ में लिए हुए काम क्यों विफल जाते हैं ? करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च कर चुके हैं, उधार लेकर खर्च कर चुके हैं उसका फायदा कोई नहीं मिलता है रुपया आता है तो उसमें से चार आना तो काम में लगता है और 12 आना बेकार जाता है, फिजूल खर्च होता है। मंत्री महोदय ये गम्भीर बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शासन सुव्यवस्थित चले तो सबसे पहले आपके राज्य को नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी। इसके बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते।

अनाज के भाव आज आसमान को छूने जा रहे हैं। गेहूं 135 रुपया क्विन्टल है। इसके साथ आप नहीं चल सकते। आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ? अनाज के भाव आपको नीचे लाने पड़ेंगे। मैं आपसे पूछती हूं कि माल के, अनाज के जखीरे भरे पड़े हैं, आप उनको कब्जे में क्यों नहीं कर सकते ? आपका कानून इतना दब्बू क्यों है ? आपका कानून इतना कमजोर क्यों है ? आज आप किसी भी गरीब आदमी को सजा दे सकते हैं लेकिन किसी गुनहगार आदमी को सजा नहीं दे सकते। आप करोड़ों आदमियों के फायदे के लिए एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्यों होता है ? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी आंख के नीचे शादियों में हजारों लोग जीमते रहे, आपकी आंख के सामने बड़ी बड़ी पार्टियां होती रहीं। आपको केवल अच्छे अच्छे कानून चाहिए लेकिन आप एक कानून की भी रक्षा नहीं कर पाये हैं। अगर कानून आपका व्यवहार में लाने लायक नहीं होता है तो आपने यह कानून क्यों बनाया कि सौ आदमियों से ज्यादा नहीं जिमाये। या तो यह कानून तोड़ डाला जाय और लोगों को पूरी आजादी दे दी जाय कि जिसके जो में जैसा आवे वैसा करें। लेकिन आपने जो कानून लगाये हैं उनका पूरी तरह से पालन क्यों नहीं होता है ? मैं इसको सबसे बड़ा दोष आपका मानती हूं कि आप कानून तो बहुत बनाते हैं, रोज रोज कानून बनाते हैं, आप असेम्बली से कितने ही कानून पास करा चुके हैं लेकिन उनमें से एक भी कानून का पूरी तरह से पालन नहीं होता है। जब कानून का पालन नहीं होता है तो मैं समझती हूं कि कानून बनाना गुनाह है, यह कानून की तौहीन है और इससे जनता की कानून से आस्था उठती है। आप दस कानून न बनायें केवल एक कानून बनायें लेकिन उसका, उपाध्यक्ष महोदय, पालन होना बहुत जरूरी है।

अगर आपको कुछ छटनी करनी है तो कई दूसरे महकमों में आप छटनी कर सकते हैं। इससे अपनी आमदनी को बढ़ाने के

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

अलावा कुछ सुविधा भी हो सकती है। आज आपके यहां पर जो जीपों की फौज भरी हुई हैं उन जीपों की संख्या में कमी की जा सकती है। आज इतनी जीप हैं कि आप चाहें तो उनमें से सौ, दो सौ की कटौती आसानी से कर सकते हैं। आज हर एक जगह जीपें मिल जाती हैं और जिस तरह की आपकी व्यवस्था है उसके कारण से जिस तरह से उन जीपों का दुरुपयोग होता है उसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरह की जीपों का जिस तरह से दुरुपयोग होता है उससे शासन के ऊपर आज अंगुली उठाई जाती है।

मैं आपको कहती हूं कि आपको कटौती करनी है तो आप इरिगेशन में न करें बल्कि शीप एण्ड वूल और एनिमल हसबेन्ड्री—इन दोनों विभागों को एक कर दें, इसी तरह से एक्साइज और टैक्सेशन इन दोनों विभागों को एक कर दें। लेकिन जो आज देश के लिए बहुत महत्व की चीज है इरिगेशन, उसमें आपको कमी नहीं करनी चाहिए।

मैं आपसे कहती हूं कि जो आपकी खाद्य नीति है उससे एक जबरदस्त असंतोष लोगों में फैला हुआ है। मैं नम्र निवेदन करूंगी कि आज लोगों में इतना असंतोष बढ़ा हुआ है कि आप और हम ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर आप इस खाद्य समस्या को हल नहीं कर सकते हैं, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इसका नतीजा किसी न किसी रूप में खतरनाक हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त न लेकर आपके द्वारा, क्योंकि वित्त मंत्रीजी नहीं आये हैं, लेकिन सिंचाई मंत्री हैं, तो सिंचाई मंत्री से अर्ज करना चाहूंगी कि सिंचाई में जो कटौती हुई है, उसको खत्म किया जाय। इसी प्रकार जो टैक्स लगाया गया है पिलाई के ऊपर वह पच्चीस पर्सेन्ट अधिक लगाया गया है उस को भी कम किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, पशुओं पर भी टैक्स लगाया गया है वह किसी प्रकार व्यवहार योग्य नहीं है। इस टैक्स को लेना ठीक नहीं है। इसलिये इसको हटाया जाना चाहिए।

अन्त में मैं निवेदन करूंगी कि जो खनिज सम्पदा राजस्थान के अन्दर है उसको आप बाहर निकालिये। हमारे घर में रत्न भरे पड़े है, हमारे घर में खनिज का भंडार बन्द पड़ा है लेकिन हमारे यहां की जनता आज तंगी में है और भुखमरी की स्थिति में दिखाई देती है। जब तक आप हमारे लिए अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तब तक हमारे देश की प्रतिष्ठा आगे नहीं बढ सकती है। आज आपने जो हिन्दुस्तान की तस्वीर दुनियां के सामने भिखारी के रूप में रख दी है। जो लोग हमको अन्न दान में देते हैं, उनकी निगाह में हमारी कोई इज्जत नहीं है। आज कोई भी हिन्दुस्तान वाला व्यक्ति स्वाभिमान के साथ में अपना सर ऊंचा नहीं उठा सकता है क्योंकि भीख मांगने के लिए हम दुनियां के एक एक मुल्क में जा चुके हैं, हम अनाज कनाडा से लेते हैं, आस्ट्रेलिया से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं और रूस से लेते हैं। जब कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आपने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मेहनत के साथ में कदम नहीं उठाया है। आज सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हमारे

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

देश में केवल दस प्रतिशत अनाज की कमी है और उसके अलावा पन्द्रह प्रतिशत अनाज हमारे यहां चूहे खा जाते हैं। आखिर हमारे यहां जो अन्न उत्पादन होता है, उसमें से इतना नष्ट क्यों हो जाता है ? मैं तो यहां तक कहती हूं कि यदि इस सरकार ने कुछ नहीं किया है तो नहीं किया है कम से कम आप चूहे मारना शुरू कर दें तो काफी अन्न हमें मिल जाय। मैं कहूंगी कि आप इन बातों की ओर ध्यान दें और ऐसे प्रयत्न करें कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, हमारा राज्य स्वावलम्बी बन सके और राज्य की स्थिति सुदृढ़ हो सके और राजस्थान दूसरे प्रान्तों से ट्रेड करने की स्थिति में आ सके। इस तरह की बातें आप करते हैं तो वह हमारे लिए हितकर हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा राजस्थान रोडवेज के नेशनलाइजेशन का प्रश्न है। एक तरफ सरकार के आर्डर निकलते हैं कि फलां सड़क को नेशनलाइज करते हैं, तो दूसरी तरफ होता क्या है कि इधर तो हुक्म जारी होता है और उधर उस पर रिट हो जाती है। और आपका उस सड़क का राष्ट्रीयकरण वैसा का वैसा रह जाता है। मैं कहती हूं कि इस सरकार की योजना गर्भ में पैदा होती है और गर्भ में ही मर जाती है। आखिर यह क्यों है ? मैं कहना चाहती हूं कि आपके कानून में कहीं न कहीं कोई लेकूना रह जाता है। वह लेकूना क्यों रह जाता है। जब कानून का पूरा का पूरा विभाग आपके पास में है, उसमें कानून को जानने वाले कर्मचारी बैठे हुए हैं तो फिर कानून में लेकूना क्यों रह जाता है ? आप और हम यह जानते हैं कि कानून में लेकूना रहता नहीं है, कानून में लेकूना आपरेटर्स के द्वारा रखाया जाता है। मेरा निवेदन है कि यातायात मिनिस्टर इस ओर ध्यान दें। या तो आप नेशनलाइजेशन का नाम मत लीजिये और यदि आपको करना है तो पूरी ताकत के साथ अपने कदम बढ़ाइये। क्योंकि कानून में लेकूना रह जाता है इसलिए इधर तो आदेश हुआ और उधर रिट हुई और फिर मामला लम्बा ही लम्बा होता जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बस! अब सुमित्रा जी का भाषण हो जाय। महिला के बाद महिला का भाषण हो जाय। आपका हो गया, आपका हो गया और आपका हो जाय और सुनने के लिए आब-जर्वर के रूप में बैठे हैं लड्ढा साहब और हरिदेव जी। सुमित्रा जी का भाषण हो जाय।

श्री हरिदेव जोशी : हमारे बीच में कोई कम्पटीशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीत सिंह !

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान, जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुमित्रा जी का भाषण हो जाय !

श्री उपाध्यक्ष : मैंने हिसाब से नाम लिया है। पन्द्रह मिनट शेष है, इनका सदुपयोग जो माननीय सदस्य कर सकते हैं उनको कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोलना चाहती हैं।

(श्रीमती सुमित्रा के खड़े होने पर करतल ध्वनि)

हार मत जाना !

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा जी!

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं वह इस बात की भी परवाह नहीं करते हैं कि उनके बजट के ऊपर चर्चा हो रही है जो उन्होंने सदन के सामने रखा है।

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत् मंत्री) : धीरे धीरे तेजी आयेगी।

श्रीमती सुमित्रा : और उस पर इस सदन के सदस्यों की प्रतिक्रिया क्या है, इसको जानने और सुनने की उन्हें परवाह नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्या ने कहा, यह नहीं है कि वित्त मन्त्री यहां रहना नहीं चाहते बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टडी टीम आई हुई है, इसमें जोइन्ट सेक्रेटरी फाइनेन्स के आये हुए हैं, हमारा प्लान डिस्कस करने के लिए और अधिकारी आये हैं, उस डिस्कशन में चीफ मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर वहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिप्टी मिनिस्टर कहां हैं ?

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य और अफसोस की बात है कि इस सदन में बजट डिस्कस हो रहा है और....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आपको निवेदन किया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका एतराज बिल्कुल वाजिब है। बजट डिबेट के समय फाइनेन्स मिनिस्टर को रहना चाहिए। वह नहीं हो तो डिप्टी मिनिस्टर को रहना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : जैसा आपने कहा था, उसके जवाब में मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री विजयसिंह रावत : वहां कोई भी दूसरा मंत्री जा सकता था।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं जा सकता था।

श्री विजयसिंह रावत : जा सकता था।

श्री हरिदेव जोशी : You don't know that.

श्री विजयसिंह रावत : I know. It was necessary for him that he should have been in the House.

श्री हरिदेव जोशी : मंत्रिमण्डल में से कोई भी सदस्य यहां हों......

श्री विजयसिंह रावत : This is the question of whole Rajasthan.

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सदन में दूसरे सदस्य से किस तरह से बात की जाती है, उसको पहले वह सोचें और उसके बाद में कुछ कहें।

श्री विजयसिंह रावत : यहां पर आप इस तरह की बात मुझे मत सिखाइये। मैंने यह सब बातें किताबों में भी पढ़ी हैं, जो आपने नहीं पढ़ी हैं और उन देशों में भी जाकर आया हूं जहां आप नहीं गये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपको इस बात का दम्भ है कि आपने उन स्थानों को देखा है। उन चीजों को भी आप अपने दिमाग में ही रखिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी अपेक्षा किसी भी माननीय सदस्य को मैंने इस तरह का नहीं देखा। मुझे सदन में ज्यादा बैठने का अवसर मिला है और मैंने ज्यादा लोगों को देखा है और मैं जानता हूं किसी माननीय सदस्य से किस तरह से बात की जाती है।

श्री विजयसिंह रावत : मैं बर्ताव करना जानता हूं और मैनर्स भी जानता हूं। वह मैनर्स भी जानता हूं जो आप सिखा रहे हैं। और आप क्या कह रहे हैं वह भी जानता हूं

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कन्टेम्पचुअस इस बात को मानता हूं। जैसे माननीय सदस्य बर्ताव करते हैं और बोलते हैं उसका मैं एक्सेप्शन लेता हूं और निवेदन करता हूं कि आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि दूसरे माननीय सदस्य से ठीक भाषा में और ठीक तरह से बात करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य . . .

श्री विजयसिंह रावत। आप ऐसे रूप में, शासक के रूप में बन कर व्यवहार नहीं करें बल्कि सदस्य बन कर सदन के सदस्य के रूप में व्यवहार करें। आदेश के रूप में बात न करें।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने माननीय सदस्य का अपमान नहीं किया है। मैंने केवल सदन को सूचना दी है कि अत्यन्त आवश्यक कार्य-वश मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी अमुक-अमुक जगह गये हैं। लेकिन आप जिस ढंग से खड़े हुए और जिस ढंग से मेरी तरफ देख कर बात की उस बात को मैं अपमानजनक समझता हूं।

श्री विजयसिंह रावत : You intentionally questioned my personal integrity in your sentence.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री हरिदेव जोशी : मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस बात को इतना तूल क्यों देते हैं। आप बहुत पुराने सदस्य हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं बहुत पुराना सदस्य हूं इसलिए ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नये नये सदस्य हैं और मिलिट्री से आये हुये हैं। आपको टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : आप क्या यह कहना चाहते हैं कि मिलिट्री में रहने वाले दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं ?

श्री विजयसिंह रावत : बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन कांग्रेस में रहे हुए अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपने जो कुछ कहा है उससे मैं संतुष्ट हो गया हूं।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जोश बहुत ज्यादा लाया करते हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह : और कई दफा कुछ भी कह देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य किसी में कुछ गलती देख सकते हैं। लेकिन यह समझ कर चलना चाहिए कि व्यवहार, या देखने का ढंग या चेहरे के एक्सप्रेशन–यह सब चीज काउन्ट करती हैं। इस बात की तरफ ध्यान रखना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इशारेबाजी सामने-सामने होती है। पीठ पीछे क्या होता है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे उस व्यवहार से एतराज नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय वित्त मंत्री का केवल जोइन्ट सैक्रेटरी के आ जाने के कारण इस सदन में उपस्थित नहीं होना-हम इस बात का एक्सैप्शन लेते हैं। और हम यह मानते हैं कि उनको यहां आना चाहिए था और इसको पहले महत्व देना चाहिये था। यह सदन का अपमान है। वास्तव में उनका उस मीटिंग में जाना जरूरी था तो वे उसे 5 बजे के बाद रख सकते थे। 6 बजे रख सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : आम तौर से वित्त मंत्री को यहां रहना चाहिए ...

(हियर-हियर)

लेकिन कुछ परिस्थितियों के वश वे यहां नहीं रह सके तो उनकी तरफ से दूसरे मंत्री उपस्थित हैं और नियमों में भी कोई मंत्री और उपमंत्री सब को बराबरी के अधिकार दिए गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले अध्यक्ष की रूलिंग है कि कोई मंत्री सदन से अनुपस्थित रहे तो अध्यक्ष महोदय को पहले इत्तला दे कर रहे और कहीं जाए तो इत्तला दे कर जावे। क्या वित्त मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री आपको पहले इत्तला दे कर गये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को निवेदन करके गये हैं यह बात मेरी जानकारी में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय यहीं हैं ...

श्री हरिदेव जोशी : मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि वे अध्यक्ष महोदय को निवेदन करके गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय को इस विवाद में नहीं घसीटा जावे। आप 3 घण्टों से यहां आसन पर बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या आपको सूचना दी है, जो देनी चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरे को न तो माननीय सदस्य को पूछने का अधिकार है कि क्या सूचना दी। अगर कोई ऐसा अवसर हो तो सूचना दे सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, खेतसिंह जी कहते हैं कि मुझ से कह कर गये हैं ये कौन हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब उपाध्यक्ष महोदय ने श्रीमती सुमित्राजी को बोलने के लिए कहा तो आप कौन हैं बीच में खड़े होने वाले ।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे 7, 8 मिनिट यों ही चले गए। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे सोमवार को बोलने के लिए कन्टीन्यू करने की इजाजत दें ।

श्री उपाध्यक्ष : सोमवार को कन्टीन्यू करने की व्यवस्था नहीं है । जितना समय इसमें निकल गया है और जाया हुआ है उतना समय बढ़ा दिया जावेगा ।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय मंत्री जो यहां बैठे हैं वे वित्त मंत्री तक सदन की भावना है उसे पहुंचा दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह डिस्क्रीमिनेशन क्यों रखा जाता है कि एक लेडी सदस्या को 15 मिनिट का ही समय दिया जाए और दूसरी को आधा पौन घंटा दिया जाए।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 67 के बजट में वित्त मंत्री ने 5 लाख की बचत का पेश किया है । मैं यह कहूंगी असंतुलित और असमाजवादी बजट है । (हियर–हियर) मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मंत्री जी जिस समय वित्त मंत्री बने थे उस समय कहा करते थे कि मेरा बजट एक क्रांतिकारी बजट होगा और इस पर राजस्थान के सभी लोगों ने और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भी राजस्थान के खजाने के वितरण का कार्य बड़ी आशा और विश्वास के साथ आपको सौंपा था । और राजस्थान की जनता भी और राजस्थान के गांवों में रहने वाले मजदूर और गरीब किसान आपसे बड़ी-बड़ी आशाएं व विश्वास लगाये हुए बैठे थे । लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और सदन को जानकारी देनी पड़ रही है कि सन् 67 का जो बजट है वह एक किसान विरोधी बजट है ।

(हियर-हियर)

इस बजट में जितने भी नये करों का प्रस्ताव है वे खास एक खास तबके पर असर डालने वाले हैं । इसलिए यह मानकर चलती हूं कि राजस्थान के वित्त मंत्री के दिल में यदि राजस्थान के किसानों की वह बूढ़ी से कोई टीस या दर्द है तो कोई गलत बात नहीं, किन्तु उन्हें संवेदना तो नहीं है ।

(हियर-हियर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्थ शास्त्र के विद्यार्थी के हैसियत से इस बजट की आलोचना नहीं करना चाहती क्योंकि अर्थ शास्त्र के विद्यार्थी बजट को आंकड़ों से आंकते हैं और बजट के आंकड़े किसी भी कारण से गलत हो सकते हैं मिस प्रिन्ट हो, उसमें गलत हो सकते हैं, जोड़ने में भी गलती हो सकती है इसलिये मैं उसको इस हैसियत से नहीं आंकती लेकिन मैं एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते इसकी आलोचना करना चाहती हूं ।

किसी भी बजट को देखते हैं तो उसको दो दृष्टिकोणों से जजमेंट करते हैं । राजस्थान के इस बजट में राजस्थान के सभी हिस्सों को, सभी जिलों को किस हिसाब से जो पैसों का वितरण किया जाना चाहिये वह नहीं किया गया है । राजस्थान में सरकार ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी की, माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण के प्रथम में ही

(श्रीमती सुमित्रा)

इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पिछली तीन योजनाओं से हमारा जो उत्पादन होना चाहिये था और अन्न का उत्पादन बढ़ना चाहिये था और इन्कम में बढ़ोतरी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। उन्होंने अपने भाषण के पेज 2 में खुद ने इस बात को स्वीकार किया है कि जहां तक खेती के उत्पादन का प्रश्न है, राजस्थान में खेती की कमी के कारण राज्य की आय पर काफी असर पड़ा है।

(4.55 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

मैं आपका ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष, महोदय नहीं हैं सभानेत्रीजी हैं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्षजी गये।

श्रीमती सुमित्रा : मैं सरकार का ध्यान आपके द्वारा जो बजट हमें मिला है उसकी ओर दिलाना चाहती हूं। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि टैक्सेशन की जहां तक पॉलिसी का प्रश्न है, जब हमारी सरकार ने समाजवाद में अपनी आस्था जाहिर की है तो इस समाजवाद के शीघ्र लाने के लिए कोई न कोई नया कदम उठाना चाहिए था। लेकिन जब हम दूसरी तरफ बजट को देखते हैं तो उसको देखने से ऐसा महसूस होता है कि गांवों में रहने वाले लोग हैं, आप स्वयं इस बात को महसूस करते होंगे कि शहरों में रहने वाले लोगों पर जितना बजट का खर्चा किया जा रहा है गांवों में रहने वालों पर नहीं किया जा रहा है, और उसका बहुत कम परसेन्टेज खर्च किया जाता है। आज हम देखते हैं कि जो किसान तपती हुई धूप और लू में पृथ्वी का पेट फाड़ कर अन्न पैदा करता है उसको आप अन्नदाता बना कर भगवान के समक्ष तो कर देते हैं मगर उसको सुविधाओं के लिये आप कोई ध्यान नहीं रखते। आपने अपने भाषण में कहा है और बजट में आपने स्वीकार किया है सिंचाई योजना को जिन लोगों ने सुविधा प्राप्त की है और जिनकी आर्थिक स्थिति उन सुविधाओं को देने के बाद बढ़ी है उन लोगों पर सिंचाई की दर 25 परसेन्ट बढ़ा दी जावेगी और 30 एकड़ से जमीन ज्यादा जमीन जोतने वाले लोग हैं उनको अब भू-राजस्व दुगुना देना होगा। मैं सदन के दूसरे माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहती हूं और निवेदन करना चाहती हूं कि क्या आपने हर जिले में सिंचाई की व्यवस्था कर दी है? क्या उसकी खेती केवल आपकी सिंचाई पर निर्भर है। आप जानते हैं कि वह किसान आपकी सिंचाई पर नहीं प्रकृति के साधनों पर ज्यादा निर्भर है और वह तीन महीने तक सुबह से शाम तक आशाएं लगाए बैठा रहता है तब कहीं जा कर अनाज खेत से उसके घर में आता है।

आपने क्या यह नहीं समझा कि टिड्डी आती है तो किस तरह से किसानों की सारी फसल का सफाया कर देती है? आपने यह नहीं सोचा कि जब किसानों की फसल में तरह तरह की बीमारियां लग जाती है, तरह तरह के कीटाणु लग जाते हैं तो उनकी सारी की सारी फसल किस तरह नष्ट हो जाती है? आपने यह विचार नहीं किया कि जब आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं और जब उनके पके हुए जौ और गेहूं की लहलहाती बालियों को अंधड़ बरबाद कर देता हैं, अनाज अब

Page No. 113

(श्रीमती सुमित्रा)

खलिहानों में अनाज पड़ा हुआ होता है उस समय वर्षा आ जाती है तो उनकी 3 महीनों की सारी आशाओं और स्वप्नों पर किस तरह से पानी फिर जाता है और वे दिल मसोस कर हाथ मलते हुए अपने घरों में बैठ जाते हैं

(5 म. प.)

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्या बोलें तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

श्रीमती सुमित्रा : सभानेत्री महोदया, इस सम्बन्ध में सरकार ने सम्वेदना की दृष्टि से नहीं सोचा, सहानुभूति के दृष्टिकोण से नहीं सोचा। राजस्थान में तीन वर्ष तक लगातार अकाल पड़े और वैसे साधारणतया राजस्थान में 3 वर्षों में एक अकाल अवश्य पड़ जाता है, तो उस वक्त वह किसान अपनी जिंदगी के सहारे पशुओं को ले कर मालवा जाने के लिए क्या बाध्य नहीं हो जाता है ? क्या उसे अपने पशुधन को लेकर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती है ? मैं पूछना चाहती हूं वित्त मंत्रीजी से कि सिंचाई की दरें बढ़ा कर, सिंचित जमीन की एक मिकदार पर सरचार्ज लगा कर, किसानों की जिन्दगी के एकमात्र साधन उसके जानवरों पर सेल्स टैक्स लगा कर क्या आपने अन्न पैदा करने के उनके initiative को खत्म नहीं किया है ? Initiative को तो खत्म किया ही है, वह यह बात भी उनके दिमाग में आपने पैदा की है कि राज्य सरकार उनके प्रति कोई सहानुभूति का दृष्टिकोण नहीं रखती। आपने क्या यह सोचा है कि इसका राजस्थान की खाद्य स्थिति पर क्या असर होने वाला है ?

आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान का सारा आर्थिक ढांचा कृषि पर निर्भर करता है, राजस्थान में कृषि के उत्पादन में गिरावट आयेगी तो राजस्थान की पर-केपिटा इन्कम निश्चित रूप से घटेगी। इसलिये सबसे पहले अत्यावश्यक बात यह थी कि चुनाव के बाद के इस बजट में कोई न कोई ऐसी सुविधा, कोई न कोई ऐसी सहूलियत आप किसानों को प्रदान करते जिससे प्रोत्साहित होकर, जिससे प्रेरित होकर हमारा किसान पहले से ज्यादा कस कर मेहनत करता, सर्दी और गर्मी में खेतों में अपनी जिन्दगी झोंक कर इस प्रान्त को खुशहाल बनाने के लिये ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करता, कृषि की पैदावार को अधिक से अधिक बढ़ाता, जिस पर कि हमारे प्रान्त की सारी योजनाएं और बहबूदी निर्भर करती है।

पर यह सब करना तो दूर रहा, जहां आपने उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा ठीक होते देखा तो आपने फौरन यह महसूस कर लिया कि किसान और अधिक टैक्स देने में समर्थ है और आपने उस पर नये टैक्सों का भार बढ़ा दिया। मैं खुद लोक कल्याणकारी समाजवादी समाज की हामी हूं पर हमें नवीन करारोपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि नवीन करारोपण समाज के उस तबके पर ही होना चाहिये जिसकी ऐसी हैसियत है। लोकतन्त्र में आवश्यकता इस बात की नहीं है कि आप प्रान्त के किसी हिस्से या एक तबके को बहबूदी के लिये अन्धाधुन्ध पैसा ही न खर्च करते जायं, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि आपके प्रान्त में रहने वाले हर तबके के लोग, हर जिले के लोग यह अहसास भी करें कि आप उनके लिये कुछ कर रहे हैं। माफ करिये मुझे आपके इस बजट में, ग्रामों में रहने वाले

(श्रीमती सुमित्रा)
ग्रामीणों को, ग्रामों में रहने वाले किसानों को, ग्रामों में रहने वाले मजदूरों और गरीब लोगों को कोई ऐसा अहसास और अनुभव नहीं हो रहा है कि आप उनके लिये कुछ सहूलियतें, कुछ सुविधाएं जुटा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यदि आपको हमारे इस प्रान्त को विकसित करना है, खुशहाल करना है, इसकी बहबूदी करनी है, समाजवादी समाज के लक्ष्य की पूर्ति के लिये यदि आप आज की असमानता को दूर करना चाहते हैं और इस प्रान्त को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो हमारे समाज की, जो हमारे प्रान्त की रीढ़ की हड्डी किसान है उसको मजबूत, सशक्त और खुशहाल करिये। मैं वित्त मन्त्री जी से यह भी पूछना चाहती हूं कि 30 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि पर लगाया गया अधिकार, सिंचाई की दरों में बढ़ोत्तरी और किसानों के पशुओं पर लगाया गया टैक्स क्या किसानों को यह सोचने के लिये मजबूर नहीं कर देगा कि आज की राजस्थान सरकार की नीतियां किसान विरोधी नीतियां हैं ? मैं सदन के माध्यम से वित्त मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि वे इस पर फिर से विचार करें, किसानों पर इतना भार नहीं डाले।

मैं यह जानती हूं कि वित्त मंत्रीजी और सदन के माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं कि यदि किसानों के ऊपर से यह सारा कर भार हटाया जायगा तो फिर आखिर किस पर यह भार लादा जायगा ? मैं याद दिलाना चाहती हूं माननीय सदस्यों को और वित्त मंत्रीजी को कि कितने ही ओवर ड्यूज बड़े बड़े लखपति सेठ साहूकारों में बाकी पड़े हुए हैं, जागीरदारों में और ठेकेदारों में और इस तरह के लोगों में पड़े हुए हैं जिनको सख्ती से मुस्तैदी से वसूल करें तो टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस प्रान्त में ऐसे ऐसे सेठ साहूकार हैं जिनको विशेष सहूलियतों की दर पर बिजली दी जाती है, एन. बी. सी. जयपुर और डी. सी. एम. कोटा ऐसे उद्योग हैं जिनको 3 पैसे से कम दर पर बिजली दी जाती है, जब कि खेतों में रात दिन मेहनत करने वाले किसान को 12 पैसे की दर से बिजली दी जा रही है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि 3 लाख की भूतपूर्व नरेशों को बिजली-पानी देने की सुविधा को जो हटाया है उसका मैं स्वागत करती हूं पर राजाओं के साथ साथ बड़े बड़े सेठ साहूकारों को भी लिया जाना चाहिये। एन. बी. सी. को 3 पैसे की दर से आप विशेष सहूलियतें देकर, विशेष रियायतें देकर बिजली देते हैं, उससे आप 3 पैसे की बजाय 15 पैसा की दर से बिजली दे सकते हैं, इससे आपकी कई लाख की आमदनी बढ जायगी। इसी प्रकार डी. सी. एम. कोटा को विशेष रियायती दर पर आप जो बिजली देते हैं वह 15 पैसे की दर से दे सकते हैं, इससे भी आप लाखों रुपयों की बचत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह आपका एक ऐसा कदम होगा जिससे समाज के गरीब, मेहनतकश और शोषित लोगों को दिल में यह अहसास होगा कि सरकार केवल हमसे ही टैक्स नहीं लेना चाहती है ऐसा नहीं है पर जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, बड़े बड़े जागीरदार है, पूंजीपति हैं, ठेकेदार हैं उनसे भी टैक्स लेने में सरकार हिचकती नहीं है।

माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहती हूं, वैसे तो सदन के कई माननीय सदस्य पहले इस बात को कह चुके हैं,

(श्रीमती सुमित्रा)

मेरा तो इस बात को केवल दोहराना मात्र होगा। असल मुद्दे की बात यह है कि नान टैक्स रेवेन्यू को हमें बढ़ाना होगा क्योंकि आखिर कब तक हम कर बढ़ाते चले जायेंगे। आज हम देखते हैं कि अन्न की कीमतें किस तरह बढ़ती चली जा रही है, जीवन की आवश्यक जरूरतों की चीजों की कीमतें किस कदर बढ़ती चली जा रही हैं, इनकी कीमतों का इस प्रकार बढ़ता जाना जन-जीवन के लिये बड़ा भयंकर सिद्ध होगा, इससे हमारे गरीबों पर बड़ा बोझा पड़ेगा जिसको सहन करने के लिये वह गरीब तबका कतई तैयार नहीं है, समर्थ नहीं है।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहती हूं कि योजना में कई हमारी इस तरह की गलतियां हैं कि जिनके कारण बार-बार जब भी हम बजट पेश करते हैं तो भूलें पा लेते हैं पर भूलें पा लेने के बाद भी उनको सुधारते नहीं हैं। यदि वित्त मंत्रीजी पिछले वर्षों के बजटों को लेकर बैठ जाते और जिन कमियों को, जिन भूलों को महसूस किया जाता उनको इस बजट में दूर करने का प्रयास करते तो उत्तम होता। तीसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म हो जाने के बाद आज स्कूलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और उसी तरह आप पैसा खर्च करते जा रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के लिये शिक्षा आवश्यक है पर यह ध्यान रखना है कि आज जिस तरह से शिक्षा बढ़ रही है, पढ़े लिखे बेरोजगारों की सेना भी बन रही है, कहां खपायेंगे आप इस सारी सेना को ? हमारे बजट के आंकडों में यह नहीं दिखाया गया है कि इनमें से कितने लोगों को नौकरी पर, काम पर लगाया गया है। तो यह कुछ ऐसे अहम सवाल हैं, जिनकी तरफ जब तक सरकार का ध्यान नहीं जायेगा तब तक बजट और योजनाएं कभी कामयाब नहीं हो सकतीं। इसलिये मुद्दे की बात यह है कि राजस्थान से बेरोजगारी की समस्या को हल किया जाय। इन समस्याओं के बारे में जब तक बजट में किसी तरह का संकेत नहीं होगा तो सही मायने में इसे लोक कल्याणकारी सरकार नहीं कहा जा सकता।

तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वित्त मंत्रीजी, जिन्होंने नये करों का आरोपण किया है, इन पर फिर से विचार करें, जिस तबके पर यह कर लगाये गये हैं वह ये कर देने की सामर्थ्य नहीं रखता।

शराब पर बिक्री कर, एक्साइज कर बढ़ाने की बात कही है, मैं यह बात उनके ध्यान में लाना चाहती हूं कि गांधीजी के आदर्शों के माफिक, गांधीजी के पद चिन्हों पर यदि सरकार चलना चाहती है तो यह सरकार शराब की आमदनी को बिलकुल बन्द कर दे, पूर्ण नशाबन्दी इस राज्य में लागू करनी चाहिये लोगों के दिमाग खराब करके, लोगों को मदहोश बना कर यदि कोई सरकार आमदनी प्राप्त करती है तो उस सरकार को लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता।

लोगों को मदहोश बना कर आमदनी करना यह लोक कल्याणकारी राज्य के लिये शोभा की बात नहीं है।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि शराब की बिक्री को

(श्रीमती सुमित्रा)

आमदनी जो लगाई गई है, वह बिल्कुल अन्दाज है जो भी गलत है। एक तरफ वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले वर्ष की बनिस्पत शराब में कमी आई है, डिस्टलरीज बन्द पड़ी हैं, तो जब शराब बनेगी ही नहीं तो उसकी बिक्री कहां से होगी और बिक्री ही नहीं होगी तो फिर उससे आमदनी कैसे होगी। शराब की आय के बारे में बड़ी बदनामी होती है, इसकी आमदनी लेने की बजाय कल्याणकारी कामों में यदि हमें कम पैसा खर्च करना पड़े तो कम पैसा खर्च करना चाहिये पर लोगों के दिमागों को मदहोश बना कर आमदनी बढ़ाते हैं तो यह लोक कल्याणकारी राज्य के लिये शोभा की बात नहीं है।

सभानेत्री महोदया, अन्त में मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगी, और वित्त मंत्रीजी का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करूंगी कि जो नये कर लगाये गये हैं वे लोक कल्याणकारी राज्य के लिये शोभाजनक नहीं हैं, मैं चाहती हूं कि या तो उनमें कुछ कमी की जाते अथवा वापिस ले लें।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 5 जून के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.14 दिनांक 5-6-67 के म० पू० 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय मे न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

मांगरोल-रामगढ़ सड़क का निर्माण

213. श्री नंदलाल : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोटा जिले में मांगरोल से रामगढ़–रेलावन सड़क का निर्माण की मंजूरी किस साल में हुई ?

(2) इस सड़क का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ ?

(3) इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

(4) अब तक इस सड़क पर कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

(5) और यह सड़क पूरी होने तक कितनी धनराशि लगने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) 1963 में मंजूरी दी गई थी ।

(2) जनवरी 1965 में काम शुरू हुआ है ।

(3) उम्मीद है चौथी योजना के आखिर तक काम पूरा हो जावेगा ।

(4) 10861) रु० खर्च किया गया है ।

(5) 580000) रु० की मंजूरी दी गई है । लगभग 12 लाख लगने पर पुल व पुलिया के साथ सड़क पूरी हो सकेगी ।

भूमिहीन किसानों, मजदूरों आदि के बच्चों को शिक्षा सुविधा

214. श्री भीमसेन : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे—

क्या सरकार राज्य के भूमिहीन किसानों मजदूरों एवं कम आय वाले किसानों के बच्चों को विशेष शिक्षा सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से उनके लिये तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश हेतु स्थान निर्धारित करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में कब व किस प्रकार कदम उठाना चाहती है ?

उत्तर

जी नहीं ।

चन्दलोई नदी की पुलिया की मरम्मत

215. श्री बृजवल्लभ : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील लाड़पुरा में चन्दलोई नदी पर मानस गांव के पास मानस गांव पुलिया की मरम्मत की जाने का फैसला राज्य सरकार ने गत वर्ष में किया था? यदि हां, तो कितनी धनराशि उक्त कार्य हेतु खर्च की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इन दिनों उक्त पुलिया का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? और वह अधूरा कार्य कब तक पूरा होगा ?

उत्तर

(1) जी हां 38733) रु. खर्च किया गया है ।

(2) कार्य चल रहा है आशा है अगले साल तक कार्य पूरा हो जावेगा ।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 2 जून, 1967)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
28	1	य	या
,,	अन्तिम से 2	श्री कृणकुमार	श्री कृष्णकुमार
30	अन्तिम से 5	कठिनाईयां	कठिनाइयां
37	अन्तिम से 13	पीसांगंज	पीसांगन
38	6	,,	,,
41	13	पूजा गया	पूछा गया
42	अन्तिम से 3	(बूंदी)	(हिन्डोली)
51	15	और	×
55	17	ओह	और
66	18	सदस्यों	सदस्यों के
78	15	केलव	केवल
165	16	जित तरह	जिस तरह
166	15	साध में	साथ में
182	अन्तिम से 9	75	7.5
185	अन्तिम से 5	कन्टीन्डेन्सी	कन्टीनजेन्सी
186	8	मह बताया	यह बताया
193	अन्तिम से 6	डेवल	डेवलप
195	अन्तिम से 14	किसान कों की	किसानों की
210	19	इसको	इसमें
222	अन्तिम से 11	ओंकती	आंकती
224	13	जमीन	×
225	2	अनाज	×
230	12	करों का अ. पण	करों का आरोपण